★★★★★

वार्षिक
संस्करण
2019

अपराध अनुसंधान विभाग

पुलिस मुख्यालय भोपाल

पुलिस मुख्यालय भोपाल
मध्यप्रदेश

★★★★★

वार्षिक
संस्करण
2019

अपराध अनुसंधान विभाग

पुलिस मुख्यालय भोपाल

पुलिस मुख्यालय भोपाल
मध्यप्रदेश

(संदेश)

वर्ष 2019 मध्यप्रदेश पुलिस के लिये एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। जहां मध्यप्रदेश पुलिस को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है वहीं पुलिस को सफलतायें भी प्राप्त हुई हैं। डकैती के क्षेत्र में सतना, रीवा एवं ग्वालियर चम्बल संभाग में मध्यप्रदेश पुलिस ने अपार सफलतायें प्राप्त की हैं। नक्सल क्षेत्र बालाघाट में नक्सली घटनाओं पर न केवल नियंत्रण रखा है बल्कि पुलिस ने साहसिक मुठभेड़ कर नक्सलियों को ढेर करने में सफलता हासिल की है।

चिन्हित अपराधों में 66 प्रतिशत सजायाबी कराकर सफलता प्राप्त की है। इसे हमें बनाये रखना है व बेहतर बनाना है। विभिन्न माफिया एवं संगठित अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है, दुग्ध अपमिश्रण के विरूद्ध एसटीएफ ने जहां एक ओर बड़ी सफलता हासिल की है वहीं नारकोटिक्स में जप्ती की उल्लेखनीय कार्यवाही की गई है। ''सायबर क्राइम'' में उल्लेखनीय कार्य के लिये निरीक्षक श्री अभिषेक सोनेकर को नई दिल्ली में डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा अवॉर्ड भी दिया गया है।

सभी पुलिस अधीक्षकों ने कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं अपराधों पर नियंत्रण रखने में अच्छा योगदान दिया है। पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर, भोपाल एवं पुलिस अधीक्षक सतना, सागर, राजगढ़, खरगौन ने अपराधों का पर्दाफाश कर उल्लेखनीय सफलतायें प्राप्त की हैं। थाना (अजाक) बुरहानपुर को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ तीन थानों में चयनित किया गया। थाना कोतवाली गुना एवं थाना अजाक गुना द्वारा आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है पुलिस अधीक्षक गुना, बुरहानपुर एवं उनकी टीम को विशेष बधाई।

आप सभी को नव–वर्ष की शुभकामनाओं सहित।

व्ही.के. सिंह
पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र.
1	पुरस्कार	1
2	प्रशिक्षण/सेमीनार/बैठक	4
3	अपराध अनुसंधान विभाग	6
4	महिला अपराध शाखा	11
5	सायबर अपराध शाखा	12
6	स्पेशल टास्क फोर्स	14
7	नारकोटिक्स विंग	18
8	अजाक शाखा	18
9	पी.टी.आर.आई.	19
10	प्रशिक्षण शाखा	20
11	भोपाल जोन	22
12	इंदौर जोन	25
13	उज्जैन जोन	28
14	जबलपुर जोन	31
14	बालाघाट जोन	35
15	ग्वालियर जोन	35
16	चम्बल जोन	38
17	सागर जोन	38
18	रीवा जोन	41
19	शहडोल जोन	43
20	होशंगाबाद जोन	44
22	रेल जोन	45
23	तुलनात्मक चिन्हित अपराध	48

''पुरस्कार''

पुलिस अधिकारियों को शस्त्र पुरस्कार

दिनांक 29 जून 2019 की रात्रि पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री सचिन अतुलकर के नेतृत्व में पुलिस की 4 टीमों द्वारा कुख्यात रौनक गुर्जर गैंग के 07 सदस्यों की गिरफ्तारी के साहसिक कार्य पर **श्री सचिन अतुलकर** एवं पुलिस अधीक्षक बालाघाट **श्री अभिषेक तिवारी** एवं सेनानी हॉक फोर्स **श्री तरूण नायक** के नेतृत्व में दिनांक 09 जुलाई 2019 को हुई मुठभेड़ में 02 नक्सलियों को धराशायी करने पर उक्त तीनों अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश द्वारा 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड में हुए गरिमामय समारोह में शस्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रदेश के 21 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा

मध्यप्रदेश पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ 21 अधिकारी व कर्मचारियों को विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2019 के ''राष्ट्रपति पुलिस पदक'' प्रदान करने की घोषणा की गई है। पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार सिंह ने इन सभी अधिकारी व कर्मचारियों को पदक की घोषणा होने पर हार्दिक बधाई दी है। पदकों का वितरण अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त, 2020 को किया जाएगा।

''जीवन रक्षा पदक''

दिनांक 16.01.2018 को नर्मदा ब्रिज होशंगाबाद से एक महिला के कूदकर आत्महत्या का प्रयास करने की सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा थाने के स्टाफ को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिये गये। महिला नर्मदा ब्रिज के पास बने हनुमान जी के मंदिर के पीछे गहरी खाई के किनारे खड़ी होकर कूदने का प्रयास कर रही थी। महिला के दोनों हाथों में पत्थर थे। पुलिस द्वारा महिला को समझाईश देने पर महिला समझने को तैयार नहीं हो रही थी। प्रयास विफल होने पर उसकी जान बचाने के उद्देश्य से आरक्षक क्र. 709 **अंकित धनगर** एवं आरक्षक क्र. 106 **महेन्द्र टेकाम** ने खाई में पीछे से ऊपर चढ़कर अपने साहस एवं बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुये महिला को अपनी सुरक्षा में लिया, तो महिला ने हाथ में रखे पत्थर से आरक्षक अंकित के सिर पर वार किया, जिससे उसके सिर में गहरी चोट आई एवं महिला को खाई में गिरने से बचाने के दौरान आरक्षक महेन्द्र को कमर में चोट आई।

उपरोक्त परिस्थितियों में भी महिला को सुरक्षित बचाकर उसके प्राणों की रक्षा करने के इस सराहनीय कार्य में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देने पर आरक्षक 709 अंकित धनगर तथा आरक्षक 106 महेन्द्र टेकाम को दिनांक 24 जनवरी, 2019 को **''राष्ट्रपति जीवन रक्षा पदक''** प्रदाय किया गया। इस हेतु पुलिस महानिदेशक म.प्र. द्वारा आरक्षकों को बधाई दी गई।

''म.प्र. पुलिस को मिले तीन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार''

देश के व्यापार एवं उद्योग जगत् की प्रमुख संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज **''फिक्की''** द्वारा घोषित स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड्स– 2019 की तीन श्रेणियों में मध्यप्रदेश पुलिस को नई दिल्ली स्थित फिक्की के ऑडिटोरियम में 22 अगस्त को यह पुरस्कार प्रदान किए गये। प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने और स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में पुलिस द्वारा किए गए नवाचारों के लिए यह अवॉर्ड दिये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर के इन पुरस्कारों का निर्णय एक ज्यूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें भारत के पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई के नेतृत्व में पेशेवर पुलिस उद्योग जगत् के दिग्गज शामिल होते हैं।

''फिक्की'' द्वारा एक पुरस्कार महिलाओं और बच्चों से यौन उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को सजा दिलाने के लिए म.प्र. पुलिस द्वारा बनाए गए पुख्ता तंत्र के लिए दिया गया है। दूसरा पुरस्कार **''चिन्हित अपराध''** के लिए दिया गया है। म.प्र. पुलिस राज्यभर में प्रतिवर्ष करीब 800 से एक हजार सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों की पहचान करती है। इन मामलों में सजा 66 प्रतिशत से भी अधिक है। तीसरा पुरस्कार एससीएमआरसी भोपाल एवं पुलिस दूरसंचार के वाहन जांच पोर्टल के लिए दिया गया है। इस पोर्टल पर चोरी के वाहनों का पता लगाने के लिये संपूर्ण डेटा एकत्र कर विश्लेषण किया जाता है। अपराधों में अक्सर वाहनों का दुरुपयोग होता है। वाहन से संबंधित समस्त विवेचनाओं में सहायतार्थ वाहन डिटेक्शन पोर्टल भी बनाया गया है।

आग में फंसे मरीज़ों को बचाने वाले सिपाहियों को डीजीपी ने दिया 10-10 हजार रुपयों का पुरस्कार

भोपाल : निशातपुरा के जीवनश्री अस्पताल में 31 मई को लगी आग को काबू करने वाले दो सिपाहियों सुंदर राजपूत और नागेंद्र रावत को डीजीपी व्ही.के. सिंह ने 10-10 हजार रुपये का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डीआईजी इरशाद वली भी उपस्थित थे। ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से धुआं अस्पताल में भर गया था। इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों सिपाहियों ने सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए ऑपरेशन थिएटर की दीवार में छेद कर दिए। जिससे धुआं तेजी से बाहर निकलने लगा था। सिपाहियों ने हिम्मत कर आग में फंसे मरीजों को सकुशल बचा लिया। इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई

म.प्र. पुलिस के उन्नीस पुलिस अधिकारी केन्द्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित

वर्ष 2018 एवं 2019 में उप निरीक्षक से पुलिस अधीक्षक रेंक के विवेचना अधिकारियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु **''केन्द्रीय गृह मंत्री पदक''** से सम्मानित किया गया है। पुरस्कृत अधिकारी हैं– 1. श्री अमित सुरेश तोलानी (भा.पु.से.) जबलपुर, 2. श्री राकेश मोहन शुक्ला (डीएसपी), 3. श्री राजेश कुमार सिंह राठौर (डीएसपी), 4. श्री मुख्तार कुरैशी (निरीक्षक), 5. श्री महेन्द्र सिंह चौहान (निरीक्षक), 6. श्री अमित सोनी (निरीक्षक),7. श्री संजय रावत (निरीक्षक), 8. श्री नरेन्द्र सिंह राजपूत (निरीक्षक), 9. श्री इन्द्रेश कुमार त्रिपाठी (निरीक्षक) कटनी, 10. श्री शिव कुमार यादव (निरीक्षक) बैतूल, 11. श्री प्रकाश वास्कले (निरीक्षक) उज्जैन, 12. श्री राकेश तिवारी (निरीक्षक) जबलपुर, 13. श्री कुंवर सिंह मुकाती (निरीक्षक) रायसेन, 14. श्री कमलेन्द्र सिंह करचुली (निरीक्षक) सागर, 15. श्री विनोद सिंह कुशवाह (निरीक्षक) मंदसौर, 16. श्री मनोज कुमार त्रिपाठी (उप निरीक्षक), 17. श्री बाबूलाल यादव (उप निरीक्षक), 18. श्रीमती आम्रपाली दहात (उप निरीक्षक), 19. श्री विजय बहादुर सिंह (उप निरीक्षक)

कुख्यात नक्सलियों को मार गिराने वाली हॉक फोर्स की टीम में शामिल 17 पुलिस कर्मचारियों को क्रम से पूर्व पदोन्नति

अदम्य साहस का परिचय देकर 14-14 लाख के इनामी दो कुख्यात नक्सलियों को मार गिराने वाली हॉक फोर्स की टीम में शामिल 17 पुलिस कर्मचारियों को **क्रम से पूर्व पदोन्नति (आउट ऑफ टर्न प्रमोशन)** दी गई है। ज्ञात हो कि, मध्यप्रदेश पुलिस के हॉक फोर्स द्वारा सूझ-बूझ एवं साहस का परिचय देकर गत 9 जुलाई की दरम्यानी रात बालाघाट जिले के ग्राम नेवरवाही के पुजारीटोला में हुई मुठभेड़ के दौरान 14-14 लाख रुपये के इनामी दो कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया था। इन नक्सलियों पर मध्यप्रदेश द्वारा 3-3 लाख, छत्तीसगढ़ द्वारा 5-5 लाख एवं महाराष्ट्र द्वारा 6-6 लाख रुपये का इनाम घोषित था।

जिन 17 पुलिस कर्मचारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला है, उनमें एक उप निरीक्षक को निरीक्षक, तीन प्रधान आरक्षकों को सहायक उप निरीक्षक एवं 13 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पदों पर पदोन्नति मिली है। पुलिस मुख्यालय द्वारा उप निरीक्षक श्री अमित सिंह सैयाम को उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पदोन्नति दी गई है। इसी प्रकार प्रधान आरक्षक श्री अजीत सिंह, श्री विपिन चंद्र खल्खो व श्री राम पदम शर्मा को सहायक उप निरीक्षक बनाया गया है। आरक्षक श्री गंगाराम परस्ते, श्री प्रवीण कुमार परतेती, श्री भीमसिंह पटेल, श्री अजय कुमार पटेल, श्री नाहर सिंह नरवरिया, श्री फूलचंद कुशवाह, श्री संदीप उपाध्याय, श्री राजेश गौड़, श्री आशीष कुमार, श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला, श्री दीपक कुमार तिवारी, श्री अरविंद सिंह गुर्जर व श्री प्रवीण चौरे को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति दी गयी है।

जिला गुना थाना कोतवाली एवं अजाक को मिला आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट

दिनांक 22.12.2019 को जिला गुना के थाना कोतवाली एवं थाना अजाक गुना को **आई.एस.ओ.** सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है आई.एस.ओ. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप थाने को तैयार करने में थाना प्रभारी अवनीत शर्मा एवं थाना कोतवाली गुना के समस्त स्टाफ ने अथक परिश्रम एवं प्रयास किये जिसके परिणाम स्वरूप दोनों थानों को आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट प्राप्त हो सका।

डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (DSCI) अवॉर्ड- 2019

राज्य सायबर पुलिस मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) में पदस्थ निरीक्षक अभिषेक सोनेकर को डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (DSCI) द्वारा गुडगाँव में आयोजित (DSCI) Excellence Award 2019 में सर्वोत्तम सायबर अपराध विवेचना के संदर्भ में ''India Cyber Cop Award'' श्रेणी में प्रथम उपविजेता घोषित किया गया। निरीक्षक अभिषेक सोनेकर को यह पुरस्कार उनकी वर्ष 2018 के अपराध क्रमांक 166/18 थाना सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस, भोपाल की उत्कृष्ट विवेचना हेतु प्रदान किया गया है, जिसमें भोपाल से फर्जी कॉल सेन्टर के माध्यम से अमेरिकी नागरिकों के साथ ठगी की जा रही थी। इस विवेचना में प्रथम बार राज्य की किसी विवेचना में अमेरिका की जाँच एजेंसी FBI की भी सहभागिता रही थी तथा FBI ने मध्यप्रदेश पुलिस की इस कार्यवाही के लिये प्रशंसा भी की थी।

प्रदेश पुलिस की "Third Eye" को दिल्ली में मिला सम्मान

हर घटना पर नजर या हर जगह की मौजूदगी किसी के लिए भी संभव नहीं है। म.प्र. पुलिस ने भी अपने काम की आसानी के लिए सीसीटीवी को अपनी Third Eye का दर्जा देकर उससे सहयोग लेना शुरू किया है। इसकी उपयोगिता और इसके जरिये गंभीर और उलझे हुए मामलों को निराकृत करने में मिली सफलता का आंकड़ा देशभर के विभिन्न प्रदेशों की पुलिस से आगे है। गत दिनों नई दिल्ली में हुए एक गरीमामय समारोह बी.डब्ल्यू. बिजनेस वर्ल्ड डिजीटल इंडिया समिट अवॉर्ड-2019 में **मध्यप्रदेश पुलिस की इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी सर्विलेंस सेवा को बेस्ट सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट इनवाइट श्रेणी में बिजनेस वर्ल्ड डिजीटल इंडिया अवॉर्ड-2019** से नवाज़ा गया है। यह अवॉर्ड मध्यप्रदेश पुलिस की तरफ से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) उपेन्द्र जैन एवं पुलिस अधीक्षक (रेडियो) सीसीटीवी नीतू ठाकुर ने ग्रहण किया। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश पुलिस की सीसीटीवी सर्विलेंस योजना के तहत मध्यप्रदेश पुलिस दूरसंचार शाखा द्वारा प्रदेशभर के 60 शहरों में 1966 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये जा चुके हैं। जिनके द्वारा वाहनों की चोरी और अन्य संदिग्ध वाहनों के द्वारा अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने का कार्य भी किया जा रहा है।

प्रशिक्षण/सेमीनार/बैठक

माननीय गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई अपराध समीक्षा बैठक

03 जून, 2019 को गृह मंत्री म.प्र. शासन श्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कमी एवं दर्ज प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना एवं पैरवी के कारण सजायाबी में वृद्धि पर सन्तोष व्यक्त करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

अपराध अनुसंधान विभाग अंतर्गत ''अनुसंधान में कौशल उन्नयन''कार्यशाला

अपराध अनुसंधान विभाग, पुमु, भोपाल के द्वारा ''अनुसंधान में कौशल उन्नयन'' विषय पर प्रदेश के वरिष्ठ आरक्षक से निरीक्षक स्तर के विवेचकों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन चरणों में संचालित किया गया। माह नवम्बर में दो चरणों में कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं तथा माह दिसम्बर में 01 कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में सायबर अपराध एवं सायबर साक्ष्य संकलन, बैंक एटीएम फ्रॉड एवं इनका अनुसंधान, CCTNS प्रणाली, बाल अपराध एवं इनके अनुसंधान में फॉरेंसिक साइन्स एवं घटना स्थल का महत्व, चिन्हित एवं सनसनीखेज अपराधों की विवेचना एवं ट्रायल का अनुसरण नवीन कानूनी संशोधन आदि विषयों को शामिल कर विशेषज्ञों को व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन किए जाने की कार्य योजना है।

''गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं, दोष सिद्धि महत्वपूर्ण''- न्यायमूर्ति श्री रघुराम

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में आयोजित हुई तीन दिवसीय सायबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन एवं इंटेलीजेंस समिट 14 सितंबर 2019 को सम्पन्न हुई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं ज्यूडीशियल अकादमी के निदेशक न्यायमूर्ति श्री जी. रघुराम ने कहा ''समाज में यह धारणा है कि आरोपी की गिरफ्तारी ही प्रकरण का समाधान है पर असल सफलता तब है जब न्यायालय में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्धि हो। इसके लिए अभियोजन और पुलिस को बेहतर समन्वय के साथ काम करने की जरूरत है।''

न्यायमूर्ति श्री रघुराम ने जनोन्मुखी पुलिसिंग पर जोर देते हुए कहा लोक सेवक के लिए देश का हर नागरिक नियोक्ता होता है। अतः लोक सेवक को मानवता को ध्यान में रखकर अपने काम को अंजाम देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आगे आने वाले समय में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसलिए पुलिस को सायबर तकनीक में निपुण होकर विशेष सतर्कता के साथ काम करना होगा। उन्होंने सायबर इन्वेस्टीगेशन विषय पर आयोजित की गई समिट की सराहना की। साथ ही कहा ''इस प्रकार के सेमीनार पुलिस के लिए मददगार साबित होंगे''। समिट में दो केन्द्रीय एजेंसियों एवं मध्यप्रदेश व जम्मू-काश्मीर सहित 24 राज्यों के सवा-सौ से अधिक पुलिस अधिकारियों ने सायबर क्राइम से निपटने एवं आधुनिक तरीकों से खुफिया जानकारी जुटाने की बारीकियां सीखीं। इस समिट का आयोजन मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सॉफ्ट क्लिक फाउंडेशन, यूनीसेफ व क्लीयर ट्रेल कम्यूनिकेशन एनालिटिक्स के सहयोग से किया गया। समिट में देश एवं दुनिया के विख्यात सायबर क्राइम व इंटेलीजेंस विशेषज्ञों द्वारा सायबर क्राइम रोकथाम के गुर सिखाए गए। यह समिट विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले सायबर अपराध रोकने एवं पुलिस अधिकारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इसमें विभिन्न राज्यों के पुलिस अधीक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों ने भाग लिया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर प्रदेश स्तरीय सेमीनार

भोपाल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर आयोजित प्रदेश स्तरीय दो दिवसीय सेमीनार/प्रशिक्षण दिनांक 26 एवं 27 जून 2019 को अजाक शाखा पु.मु. भोपाल द्वारा आयोजित किया गया जिसमें लगभग 75 पुलिस अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक, उप सेनानी, एसडीओपी, उप पुलिस अधीक्षक एवं निरीक्षक सम्मिलित हुए तथा उक्त विषय पर परीक्षा भी आयोजित की गई जिसमें श्रीमती अनिता कदम, निरीक्षक रा.अ.अ. ब्यूरो द्वारा उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षण उपरान्त आयोजित की गई परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया जिस पर उन्हें माननीय मुख्यमंत्री म.प्र. शासन श्री कमल नाथ द्वारा पुलिस महानिदेशक एवं अन्य अधिकारीगणों की उपस्थिति में पुरस्कृत किया गया।

मध्यप्रदेश पुलिस के नवाचारों की ''पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय बैठक'' में हुई सराहना

जिला भोपाल, 07 सितंबर, 2019 मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अपराधों पर नियंत्रण एवं दोषियों को सजा दिलाने के मकसद से किए गए नवाचारों की जयपुर में आयोजित हुई पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कांफ्रेंस में सराहना की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता श्री कैलाश मकवाणा ने कॉन्फ्रेंस में मध्यप्रदेश पुलिस के नवाचारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता श्री मकरंद देउस्कर ने भी इस बैठक में भाग लिया। बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियों का आदान–प्रदान किया।

गत 6 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित हुई बैठक में मुख्यतः सड़क सुरक्षा, महिलाओं व बचों के विरूद्ध अपराध, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था आदि ज्वलंत विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। अगले साल यह बैठक मध्यप्रदेश पुलिस की मेजबानी में भोपाल में आयोजित होगी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री मकवाणा ने मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों की बैठक में जानकारी दी। उन्होंने कहा मध्यप्रदेश पुलिस ने चिन्हित एवं सनसनीखेज अपराधों की विवेचना के लिए विशेष सिस्टम विकसित किया है। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और दोषियों को सजा दिलाने की दर में उल्लेखनीय इज़ाफ़ा हुआ है।

बच्चों पर घटित अपराधों एवं बच्चों से संबंधित अन्य विधिक प्रावधानों संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण

दिनांक 18.09.2019 को **'बचपन बचाओ'** आंदोलन के सहयोग से ''बच्चों पर घटित अपराधों एवं बच्चों से संबंधित अन्य विधिक प्रावधानों'' संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण प्रदेश के विभिन्न जिलों की विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, थानों के बाल कल्याण अधिकारियों के लिये नवीन पुलिस मुख्यालय भोपाल के भूतल स्थित कॉन्फ्रेस हॉल में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी श्री राजीव टण्डन द्वारा किया गया इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक (समन्वय) एवं सहायक पुलिस महानिरीक्षक (जे) भी उपस्थित थे। श्री राजीव टण्डन द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को बच्चों पर घटित होने वाले अपराधों के अनुसंधान के दौरान विभिन्न कानूनी प्रावधानों का संवेदनशीलता के साथ पालन करने के संबंध में दिशा निर्देश दिये। इस अवसर पर **'बचपन बचाओ'** आंदोलन के पूर्व सहयोगी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक हरियाणा एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व मेम्बर श्री एस.सी. सिन्हा द्वारा भी प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा की गई एवं फील्ड में आने वाली समस्याओं से रूबरू हुए।

महिला अपराध शाखा द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित ''कौशल उन्नयन'' प्रशिक्षण कार्यक्रम

भोपाल, 01 अगस्त 2019 पुलिस महानिदेशक श्री विजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित महिलाओं एवं बच्चों संबंधी अपराध अनुसंधान कौशल उन्नयन प्रशिक्षण के तीन दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में कहा कि **''पुलिस अधिकारी अच्छे मनोवैज्ञानिक भी बनें, जिससे पीड़ितों की काउंसिलिंग कर उनकी मदद की जा सके''** पुलिस का व्यवहार पीड़ित पक्ष के प्रति सदैव संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि पुलिस के पास शिकायत लेकर आने वाले पीड़ित पक्ष की मानसिक स्थिति उस समय सामान्य नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों की विवेचना व्यवसायिक दृष्टिकोण के साथ पूरी गंभीरता से की जाए। फॉरेंसिक साक्ष्य लेने का तरीका सही हो, जिससे न्यायालय में हमारे साक्ष्य खरे उतरें और अपराधियों को दंड मिल सके। मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराधों में सजा दिलाने में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। वर्तमान में म.प्र. में सजा दिलाने में 9 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। महिलाओं से दुष्कर्म व उत्पीड़न करने वाले 27 अपराधियों को पिछले 15 महीनों के दौरान पुलिस ने मजबूत साक्ष्य रखकर फांसी की सजा दिलवाई।

अपराध अनुसंधान विभाग

अपराध अनुसंधान विभाग में चलाये गये विशेष अभियान वर्ष 2019

विशेष अभियान (वर्ष-2019 दिनांक 15.02.2019 से 31.03.2019 तक):-

- अवैध शस्त्र- कुल 3989 प्रकरण में 722 आग्नेय एवं 3483 धारदार हथियार जप्त किये गये।
- अवैध शराब- कुल 20868 प्रकरण में शराब 214142.59 लीटर, कीमत 4,90,42,159 रुपये की जप्त की गई।
- प्रतिबंधात्मक कार्यवाही- कुल 30895 प्रकरण में 32919 आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
- मादक पदार्थ- कुल 485 प्रकरण में 6,58,55,495 रुपये का मादक पदार्थ जप्त किया गया।
- गिरफ्तारी वारण्ट- कुल 27442 गिरफ्तारी वारण्ट तामील।
- स्थाई वारण्ट- कुल 8777 स्थाई वारण्ट तामील।

विशेष अभियान (दिनांक 15.09.2019 से 15.10.2019 तक)-

- आग्नेय शस्त्र- कुल 364 प्रकरण में 405 आग्नेय हथियार जप्त किये गये।

गुम बालक/बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु चलाये गये विशेष अभियान वर्ष 2019 :-

क्र.	माह एवं वर्ष	गुम			दस्तयाब		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	दिनांक 15.03.19 से 15.04.19 तक	152	885	1037	230	824	1054
2	दिनांक 15.09.19 से 15.10.19 तक	238	571	809	257	814	1071

विवादास्पद प्रलेख परीक्षक शाखा के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा सजा

थाना कोतवाली बैतुल के अपराध क्र. 726/15 धारा 302 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मृतिका आरती चढ़ोकर की नृशंस हत्या ई.एल.सी. बालक हॉस्टल बैतूल में की गई थी। उक्त प्रकरण में कोई भी प्रत्यक्ष साक्षी घटना के संबंध में नहीं था। घटना दिनांक पर आरोपी कमलेश गावंडे की उक्त हॉस्टल में उपस्थिति एवं मृतिका तथा आरोपी के बीच प्रेम संबंधों संबंधी पत्रों के अतिरिक्त कोई भी साक्ष्य नहीं था। उक्त पत्रों में मृतिका तथा आरोपी के मध्य शादी को लेकर विवाद का उल्लेख था। प्रकरण के पत्र जांच हेतु क्यू.डी. शाखा में प्राप्त हुए जिनकी जांच उप पुलिस अधीक्षक श्री ऋतुराज गुप्ता द्वारा की गई एवं जांच पर 'पत्र' आरोपी कमलेश गांवडे द्वारा लिखे पाये गये। परिणामस्वरूप आरोपी को माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 4 जून 2019 को भादस की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

बाल अपराध प्रकोष्ठ

गुम, अपहृत नाबालिग बालक/बालिकाओं के संबंध में प्रशंसनीय कार्य

सागर जिले में दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 25.12.2019 तक की अवधि में 544 बालक/बालिकाओं को सागर जिले में विशेष अभियान चलाकर जिला, दीगर जिलों एवं अन्य राज्यों से बरामद किया गया है, बरामद बालक/बालिकायें जो काफी लंबे समय वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 से गुम थे, ऐसे बालक/बालिकाओं की बरामदगी की गई है जो कुल गुम बालक/बालिकाओं में से करीब 70 प्रतिशत बालक/बालिकाओं की बरामदगी/दस्तयाबी की गई है।

प्रदेश में गुम बालक/बालिकाओं की तलाश हेतु चलाया गया विशेष अभियान

प्रदेश में लगातार गुम हो रहे बालक/बालिकाओं की तलाश कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपने हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर पर सीआईडी द्वारा दिनांक 15.03.2019 से दिनांक 15.04.2019 तक प्रदेश स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया गया। उक्त अवधि में सम्पूर्ण प्रदेश से कुल 1037 बालक/बालिकाएं गुम हुईं एवं पुलिस द्वारा अभियान अवधि में सफलतापूर्वक कुल 1054 बालक/बालिकाओं की तलाश कर उन्हें उनके परिजनों से मिलवाया गया जिसमें अभियान अवधि से पूर्व में गुमी हुई बालक/बालिकाएं भी सम्मिलित हैं। प्रदेश के जिला इंदौर, सतना, रतलाम एवं रीवा द्वारा इस अभियान के दौरान अपेक्षाकृत बेहतर कार्यवाही करते हुये अधिक संख्या में बालक/बालिकाओं की बरामदगी की गई। मैहर नवरात्रि मेले में सतना पुलिस की महिला एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाई गई विशेष पुलिस टीम ने संवेदनशीलता एवं तत्परता से कार्यवाही कर कुल 229 लोगों (35 महिलाएं 162 बच्चे एवं 22 पुरुष) को उनके परिजनों/अभिभावकों से बिछड़ने पर वापस मिलवाया। पुलिस द्वारा बालक/बालिकाओं के गुमने की ज्वलंत समस्या के संबंध में विशेष अभियान आयोजित कर तत्परता एवं संवेदनशीलता दर्शाते हुये गुम बालक/बालिकाओं एवं उनके परिजनों को राहत पहुँचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया।

अबोध बालिका की बरामदगी

थाना जीआरपी आमला दिनांक 16.08.2019 को किशन लाल यादव की रिपोर्ट पर से अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्र.122/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। अपहृत बालिका की तलाश में बच्ची के फोटो बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में डाले गए। फरियादी के बताये अनुसार आरोपी का पोट्रेट तैयार किया गया। पोट्रेट को सीमावर्ती थानों/जिलों में भी भेजा गया था, सिटी थाना लोधी खेड़ा जिला छिन्दवाड़ा से एक संदेही की फोटो थाने पर प्राप्त हुई। आरोपी एवं बच्ची की तलाश की गई व मुखबिर लगाए गये। दिनांक 23.08.2019 को मुखबिर से ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति बुधनी पुलिया के नीचे जहां गणेश जी व दुर्गा जी की मूर्तियां बनती हैं वहां है जो कि अपने पास एक बच्ची को भी रखे हैं। जो फोटो के संदेही से मिलता-जुलता है एवं बच्ची भी मिलती जुलती है उक्त सूचना पर बुधनी से संदेही राजा उर्फ किशोर पिता तारन प्रजापति उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मोमीनपुरा थाना दमुआ जिला छिन्दवाड़ा को पकड़ा, जिसके कब्जे में अपहृत बच्ची भी मिली। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद किया गया।

''08 माह बाद दो मासूम सुरक्षित घर पहुंचे''

पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आलोचनाएं भले ही हों, लेकिन एक पहलू यह भी है कि इस विभाग के मातहत कई बार समाज सेवियों की तरह बेहतर काम करते हैं ऐसे ही एक मामले में विशेष किशोर पुलिस इकाई जिला सागर ने दो मासूम भाई-बहिनों को घर तक पहुंचाया जो 08 माह से परिजन से बिछड़े हुए थे, करीब 08 माह पूर्व मोतीनगर क्षेत्र में रहने वाले 10 वर्षीय बालिका और उसका छोटा भाई अपनी मां के साथ ट्रेन में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले थे। बच्चों को रास्ते में ट्रेन मे ही मां छोडकर चुपचाप निकल गई, बच्चे रोते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली चाइल्ड लाइन ने दोनों बच्चों को एक बाल आश्रम में भर्ती करा दिया। पुलिस के अनुसार करीब दो माह पूर्व सूचना मिली थी कि दोनों बच्चे दिल्ली के बाल आश्रम में हैं इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस अधीक्षक जिला सागर को दी जिस पर लापता मां के हवाले से बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट मोतीनगर थाने में दर्ज कराई गई, इसके बाद थाने की टीम दिल्ली रवाना होकर दिल्ली के चाइल्ड लाइन से दोनों बच्चों को सागर लेकर वापस आई और दोनों बच्चों को सुरक्षित उनके माता-पिता को सुपुर्द किया गया।

''अबोध बच्चों की खरीदी/बिक्री के रैकेट का पर्दाफाश''– 14 बच्चे बरामद

जिला अलीराजपुर, दिनांक 11.11.2018 को पुलिस द्वारा शहर में बच्चे खरीदने/बेचने के संबंध में प्राप्त हो रही सूचनाओं के आधार पर कार्य योजना बनाकर नि:संतान दम्पति को बच्चा बेचने वाले संदिग्ध शैलेन्द्र सिंह राठौर उर्फ शैलू निवासी अलीराजपुर से संपर्क कराया गया जो किसी बच्चे को बेचना चाह रहा था शैलेन्द्र ने उन्हें डेढ़ वर्षीय बच्चे का फोटो दिखाया। शैलेन्द्र के घर के हॉल में 04 अन्य व्यक्ति भी थे। जिनसे शैलेन्द्र सिह के घर आने का कारण पूछा तो उन्होंने शैलेन्द्र सिह राठौर को उक्त एक बच्चा बेचना बताया तत्काल शैलेन्द्र सिह राठौर के कब्जे से बालक उम्र करीब डेढ़ साल को बरामद किया गया तथा उन 04 व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 363,370,34,120 बी भादवि, 81 जुवेनाईल जस्टिस एक्ट का पाया जाने से थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 389/18 दर्ज किया गया। अपराध की विस्तृत विवेचना के दौरान कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तथा कुल 14 बच्चों को बरामद किया गया उक्त बरामद 14 बच्चे जिसमें 10 बालक एवं 04 बालिकाएं तथा जिनकी उम्र लगभग 02 माह से 3 वर्ष 6 माह के बीच है तथा इनके वास्तविक माता–पिता भी ज्ञात नहीं है। वर्तमान में नवदीप चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर संजीवनी सेवा संगम इन्दौर व मातृछाया बाल संरक्षण गृह इन्दौर में हैं।

प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि यह पूरा गोरखधंधा एक प्रसिद्ध चित्किसालय के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। इस चित्किसालय में ऐसी महिलाओं के गर्भपात गैर कानूनी तरीके से कराये जाते थे, जो किन्ही कारणों से उन बच्चों को रखना नहीं चाहती थीं चित्किसक उन महिलाओं का गर्भपात न करते हुए उनकी फुलटर्म डिलेवरी कराता था। इस तरह पैदा हुए बच्चों को आरोपी चित्किसक नि:संतान दम्पतियों को रुपये लेकर बेच देता था। इस घटना के बाद अति पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर द्वारा जिले के समस्त पुलिसकर्मियों को मानव दुर्व्यापार को लेकर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संवेदनशील बनाया गया। जिसका परिणाम आज अलीराजपुर जैसे जिले से 50 अधिकारी/कर्मचारी **मानव दुर्व्यापार विरोधी** विषय में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। जो भविष्य में निश्चित ही विभाग के लिये रिसोर्स परसन्स कार्य करेंगे। इस कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर श्री विपुल श्रीवास्तव एवं अति. पुलिस अधीक्षक सुश्री सीमा अलावा की सराहनीय भूमिका रही है।

पुलिस द्वारा 2 दिन में 10 माह का अपहृत बालक बरामद

जिला शाजापुर, दिनांक 06.01.2018 को फरियादी मुकेश की रिपोर्ट पर थाना बैरछा में अप.क्र. 06/2018 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में अपहृत बालक उम्र 10 माह जो घर से अचानक गायब हो गया था। के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला शाजापुर के मार्गदर्शन में पुलिस टीम बनाकर बदमाशों की धरपकड़ तथा बालक की तलाश में रवाना हुई, पुलिस को भय था कि 10 माह के अपहृत बालक के साथ कोई अनहोनी घटना घटित न हो जाये, पुलिस अधीक्षक ने जिला सायबर सेल को तत्काल पुलिस टीम के साथ मिलकर सक्रिय भागीदारी कर नेटवर्क ट्रेकिंग करने और लगातार बदमाशों की लोकेशन ट्रेस करने हेतु लगाया। अपहरणकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य फिरौती था, जिसके जरिये बदमाशों को 10–15 लाख रुपये की फिरौती मिलने की आशा थी। दो दिन तक पुलिस ने अथक प्रयास कर आखिर अपहृत बालक को देवास से बरामद कर ही लिया और अपहरणकर्ताओं को भी धर दबोचा। बदमाशों से पूछताछ में अपहरण काण्ड का मास्टर माइंड आवेदक का भांजा राकेश पिता मनोहरलाल कारपेन्टर निवासी देवास ही निकला। यह घटना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, किसी भी हाल में बच्चे को ढूँढ निकालना जरूरी था अन्यथा मासूम बच्चे की जान को खतरा हो सकता था, पुलिस ने दिन–रात मेहनत कर आखिर बच्चे को ढूँढ निकाला। इस संबंध में रहवासियों द्वारा पुलिस के कार्य की दिल से सराहना की गई।

''बालिका गृह रतलाम से लापता 5 नाबालिग बालिकाएं बरामद''

दिनांक 24.01.2019 को 'बालिका गृह कुन्दन कुटीर जावरा जिला रतलाम से 05 नाबालिक बालिकाएं बिना बताये कहीं चली गई थीं जिस पर कुन्दन कुटीर अधीक्षिका श्रीमती हंसा पाठक निवासी रेल नगर रतलाम की रिपोर्ट पर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर अपराध क्रमांक 50/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की अपहृता बालिकाओं को उक्त अपराध में 24.01.2019 को दस्तयाब किया गया।

बालिका गृह कुन्दन कुटीर जावरा से भागी बालिकाओं के संबंध में जिला दण्डाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रियल जाँच एस.डी.एम. जावरा श्री आर्य द्वारा कराई गई। उक्त जाँच में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31.01.2019 को थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 59/19 धारा 376 (2)(डी) 354-ए, 323, 120-बी भादवि 5डी/6, 7/8 पॉक्सो एक्ट व धारा 75 बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 31.01.2019 को चार आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अपहृत बालिकाओं का मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा धारा 164 जाफो के कथन कराये गये। जिसमे बालिकाओं ने उनके साथ छेड़छाड़ होना बताया दिनांक 01.02.2019 को चारो आरोपीगण को माननीय जे.एम.एफ.सी. न्यायालय जावरा पेश किया गया जहां चारों आरोपीगण को जेल भेजा गया। पुलिस द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालानी कार्यवाही पूर्ण की।

07 वर्षीय अबोध बालिका की रेडलाइट इलाके से सकुशल बरामदगी

जिला सतना, दिनांक 05.03.2019 को नाबालिग बालिका उम्र 7 वर्ष अपने परिवार के साथ मैहर माता मन्दिर दर्शन करने गई थी जो अपने परिजनों से बिछड गई थी। बालिका के परिजनों को बिछड़ने की खबर घर पहुंचने पर लगी घटना पर से थाना मैहर में अपराध क्रमांक 154/2019 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान मंदिर एवं उसके आस-पास के वीडियो/सीसीटीवी फुटेज तलाशे गये जिसमें एक व्यक्ति के साथ उक्त बालिका जाते हुए दिख रही थी, उसके आधार पर बालिका एवं आरोपी के फोटो/पैम्पलेट प्रकाशित कर समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, बसों, ट्रेनों में अपहृता बालिका एवं संदिग्ध के पैम्पलेट चस्पा कराए गए और आस पास जिलों को भी सूचना एवं पेम्पलेट भेजे गए। इस प्रचार प्रसार का असर यह हुआ कि 15 दिन के अन्दर पुलिस रीवा को अपहृता के बारे मे जानकारी प्राप्त हुई उक्त जानकारी मैहर पुलिस सतना को शेयर की गई। इस आधार पर अपहृता को पुलिस अधीक्षक श्री रियाज इकबाल द्वारा किये गये विशेष प्रयासों से नागपुर महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से रेडलाइट इलाके से बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। इस पूरे घटनाक्रम में तीन व्यक्तियों जिसमें एक महिला भी शामिल है को गिरफ्तार किया गया।

''अस्पताल से चोरी बच्चा बरामद''

जिला आगर, जिला चिकित्सालय आगर मालवा परिसर से दिनांक 15.02.2019 की सुबह ग्राम भादवा थाना कानड के निवासी इजराइल खां की लड़की जो अस्पताल में भर्ती थी, उसका दो वर्ष का बच्चा अस्पताल में खेल रहा था जो अचानक गुम हो गया था। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 88/19 धारा 363 भादवि का पंजीबद्ध कर अनुसंधान व वीडियो फुटेज खंगाले गये जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीव्ही फुटेज में बच्चे को ले जाते दिखाई दिया तथा ग्राम घोंसला से मुखबिर ने टीआई अजीत तिवारी को सूचना दी कि अपहृत बच्चा मनीषा किन्नर के पास घोंसला में है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ग्राम घोंसला से मनीषा किन्नर के घर से, अपहृत बच्चे को बरामद किया और मनीषा को गिरफ्तार किया। जिसने बताया कि उसने अजय नाम के व्यक्ति से शादी कर ली है तथा वह अपने भविष्य को देखते हुये किसी बच्चे को गोद लेना चाह रहे थे इसी कारण मनीषा किन्नर के कहने पर दिनांक 15.02.2019 को आरोपी अजय आगर अस्पताल आया और अस्पताल परिसर में खेल रहे बच्चे को लेकर मनीषा के सुपुर्द कर फरार हो गया। इस तरह पुलिस दल द्वारा मात्र 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया के प्रयोग से व जन सहयोग से अबोध अपहृत बच्चे को बरामद करने मे सफलता प्राप्त की।

चिन्हित अपराध

चिन्हित अपराध वर्ष 2019 में

चिन्हित सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों में वर्ष 2019 (01.01.2019 से 30.11.2019 तक) में कुल 966 प्रकरणों को चिन्हित श्रेणी में लिया गया है, कुल 752 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। जिसमें से 493 प्रकरणों में दोषसिद्धी हुई है। जिसमें कुल 314 प्रकरणों में 564 अपराधियों को आजीवन कारावास एवं 11 प्रकरणों में 11 आरोपियों को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है, इस प्रकार सजायाबी 66% रही है।

''चिन्हित'' अपराध के आरोपी को दोहरी फांसी की सजा

जिला ग्वालियर, थाना पनिहार के अप.क्र 64/17 धारा 363 भादवि इजाफा धारा 366, 376 (2), 302, 201 भादवि, 5/6 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 04.07.2017 को आरोपी मनोज पुत्र जगदीश प्रजापति उम्र 22 साल निवासी नयागांव पनिहार जिला ग्वालियर द्वारा आठ वर्षीय नाबालिग पीड़िता को स्कूल से ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या किये जाने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी।

इस प्रकरण को ''चिन्हित'' श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में मात्र 36 दिवस में चालान पेश किया गया था। दिनांक 08.05.2019 को मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी को धारा 366 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड व धारा 376(क), संशोधन अधि. 2013 के आरोप में मृत्युदण्ड एवं धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड व धारा 201 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

चिन्हित प्रकरण में मृत्युदण्ड

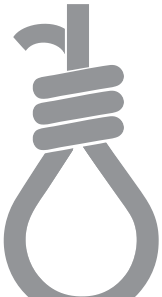

जिला विदिशा, थाना सिविल लाइन के अप.क्र 514/15 धारा 302, 201, 376 (2)(1) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोपी रवि उर्फ टोली पुत्र सुरेश उर्फ विशाल मालवीय उम्र 24 साल निवासी पूरनपुरा जिला विदिशा द्वारा 7-8 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर हत्या किये जाने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को ''चिन्हित'' श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। दिनांक 30.09.2019 को मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी रवि उर्फ टोली को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है।

चिन्हित प्रकरणों में आजीवन कारावास

जिला नरसिंहपुर, दिनांक 23.10.2018 के करीब 10:00 बजे प्रार्थी श्रीराम मल्लाह के घर के बाजू में चन्नू लाल गोंड दाढ़ी बनवा रहा था तभी राजेश यादव पीछे से आया और हाथ में रखी कुल्हाड़ी से चन्नू गोंड को पीठ में कुल्हाडी मारा जिससे वह लुढ़क गया, फिर दो बार गर्दन में मारा जिससे गर्दन की हड्डी कटकर बाहर निकल गयी और मौत हो गई, दोनों के बीच लेन-देन का पुराना विवाद होने की जानकारी मिली, रिपोर्ट पर थाना सुआतला में अप.क्र. 627/18 धारा 302 भादवि एवं 3(2-5) एससी/एसटीएक्ट का कायम किया गया। मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी मे चिन्हित कर आरोपी राजेश पिता मुन्नीलाल यादव उम्र 29 साल नि. अमोदा थाना सुआतला को दि. 24.10.2018 को गिरफ्तार किया गया, विवेचना पूर्ण कर चालान क्र. 287/18 तैयार कर दि. 15.11.2018 को न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटी एक्ट) जिला नरसिंहपुर श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्र. 178/18 पर सुनवाई कर अपने निर्णय दि. 30.08.2019 को आरोपी राजेश यादव को धारा 302 भादवि मे सश्रम आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

चिन्हित जघन्य/ सनसनीखेज अपराधों में मृत्युदण्ड की सजा

जिला होशंगाबाद, थाना पिपरिया के अप.क्र.–410/18 धारा 363 भादवि इजाफा 302, 376ए, बी, 201 भादवि, 3/4, 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 31.10.2018 को नाबालिग बालिका नि. कस्तूरबा वार्ड पिपरिया को आरोपी दीपक उर्फ नन्हू पिता कुन्दन किरार उम्र 22 साल निवासी ग्राम सिलारी द्वारा चॉकलेट दिलाने का लालच देकर झूला पुल के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर हत्या करने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दिनांक 19.11.2018 को चालान पेश किया गया था। दिनांक 29.07.2019 को मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आरोपी को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष सश्रम कारावास, 200 रु. अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास, 300 रु. अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास, 400 रु. अर्थदण्ड, धारा 376ए,बी भादवि व पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) 500 रु. अर्थदण्ड एवं 302 भादवि व पॉक्सो एक्ट में मृत्युदण्ड व 500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस कार्य के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद सक्सेना एवं पुलिस टीम की पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा प्रशंसा की गई है।

जिला ग्वालियर, थाना बहोड़ापुर के अप.क्र.260/17 धारा 302, 377, 201, 363, 366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 28–29.04.2017 की दरम्यानी रात आरोपी योगेशनाथ उर्फ जोगेशनाथ पुत्र बुद्धमेन नाथ सपेरा निवासी नाथ मोहल्ला शंकरनगर द्वारा 10 वर्षीय बालक को बहला–फुसलाकर ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य कर गला दबाकर हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को छुपाने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दि. 02.07.2017 को चालान पेश किया गया था। दि. 06.07.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी को धारा 363 भादवि में 07 साल सश्रम कारावास व 2 हजार रु. अर्थदण्ड, धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 साल सश्रम कारावास व 2 हजार रु. अर्थदण्ड एवं धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड व धारा 201 भादवि में 07 साल कारावास व 2 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जिला इंदौर, थाना द्वारकापुरी के अप.क. 539/18 धारा 363 भादवि बढ़ाने धारा 366, 366ए, 376(क)(ख), 302, 201 भादवि एवं 3/4, 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आरोपी हनी उर्फ कक्कू पुत्र राजेश अठवाल उम्र 25 साल निवासी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर, हाल निवासी– सुदामा नगर इंदौर द्वारा चार वर्षीय नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म कर हत्या किये जाने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को ''चिन्हित'' श्रेणी में लिया जाकर विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। दिनांक 30.09.2019 को मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/– रुपये के अर्थदंड , धारा 366 भादवि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000/– रुपये के अर्थदंड, धारा 376 एबी भादवि में आजीवन कारावास व 4000/– रुपये के अर्थदंड, धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 4000/– रुपये के अर्थ दंड, धारा 201 भादवि में 3 वर्ष के कारावास व 2000/– रुपये के अर्थदंड , धारा 376ए भादवि में मृत्युदंड व 5000/–रुपये के अर्थदंड एवं धारा 5 एन/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 4000/–रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

मासूम से दुष्कृत्य एवं हत्या के चिन्हित प्रकरण में दोहरी फांसी की सजा

जिला भोपाल, थाना कमलानगर के अप.क्र. 474/19 धारा 363, 366, 376, 377, 364, 302, 201 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 08.06.2019 के 20.00 बजे रात आरोपी विष्णु भामोरे पिता ताराचंद भामोरे उम्र 35 साल निवासी खेडी टिक्का खण्डवा, हाल–नेहरू नगर भोपाल द्वारा 8 साल की अबोध बालिका के साथ बलात्कार कर उसकी निर्ममतापूर्वक हत्याकर साक्ष्य छुपाने हेतु शव को नाले में फेंकने की वीभत्स एवं जघन्य घटना घटित की गई थी। इस प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक विवेचना पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में दिनांक 12.06.2019 मात्र 4 दिवस में चालान पेश किया गया था। दिनांक 16.07.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित निर्णय में आरोपी को धारा 377 भादवि में आजीवन कारावास व 1 हजार रु. अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रु. अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में 03 वर्ष कारावास व 1 हजार रु. अर्थदण्ड एवं धारा 302,376(क,ख) भादवि में पृथक–पृथक मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है।

14 दिन में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को तिहरी उम्रकैद

जिला रीवा : चोरहटा, दो साल की अबोध बच्ची से बलात्कार के मामले में सुश्री महिमा कछवाहा माननीय विशेष न्यायाधीश, न्यायालय (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम– 2012) रीवा मध्यप्रदेश द्वारा सिर्फ 14 दिन में दोषी को तिहरी उम्रकैद की सजा सुनाई गई तथा उस पर 34 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना चोरहटा थाना क्षेत्र के गांव में 10 नवम्बर को हुई थी। सतना के कोटर निवासी आरोपी शीतला प्रसाद द्विवेदी ने बच्ची से बलात्कार किया था।

आरोपी के खिलाफ अप.क्र 581/19 धारा 376(–)(इ) लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम की धारा 5 सहपठित धारा 6 पॉक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस ने मात्र 72 घण्टे में चालान पेश किया। फिर 14 दिन के भीतर तमाम गवाही कराई। प्रकरण में कोर्ट ने त्वरित सुनवाई कर दिनांक 26.11.2019 को दोषी को सजा सुनाई।

ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

जिला भोपाल : बैरागढ़– राजधानी की एक अदालत ने नाबालिग से ज्यादती करने वाले आरोपी मोनू जाटव उर्फ नट्टू को पूरा जीवन जेल में गुजारने की सजा सुनाई है। आरोपी ने 7 अप्रैल 2018 को बैरागढ़ थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया था। बच्ची घर पर टीवी देख रही थी, उसी समय अकेला पाकर आरोपी मोनू ने उसके घर में घुस कर ज्यादती की थी। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी मोनू के विरूद्ध अप.क्र. 137/18 इजाफा धारा 376(2)(m) भादवि 5/6 पॉक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया था। इसकी विवेचना उनि उर्मिला द्वारा की गई थी। न्यायाधीश वंदना जैन ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए उसे जीवनभर जेल में रखने की सजा सुनाई।

डबल मर्डर के आरोपी को फांसी की सजा

जिला भिण्ड, में थाना कोतवाली के चिन्हित अप.क्र. 232/16 धारा 302, 201 भादवि में आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है।

मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी को मृत्यु दण्ड की सजा

जिला सिंगरौली, थाना मोरवा के अप.क्र. 164/14 धारा 302, 201 भादवि में आरोपी रामजग बिन्द पिता रमाशंकर बिन्द उम्र 38 साल निवासी ग्राम कुसवई थाना मोरवा जिला सिंगरौली द्वारा मृतक उडगन बिन्द पिता रूप नारायण बिन्द उम्र 85 साल एवं श्रीमती शांति उर्फ रूती पत्नी उडगन बिन्द उम्र 75 साल की मारपीट कर हत्या कर दी।

इस प्रकरण को ''चिन्हित'' श्रेणी में लिया जाकर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। दिनांक 23.11.2019 को मान. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में आरोपी रामजग बिन्द को धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड एवं 2000 रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महिला अपराध शाखा

वर्ष 2019 में प्रथम 04 माह में महिला संबंधी अपराधों में 03 प्रकरणों में हुई फांसी की सजा

थाना अमलाई जिला शहडोल के अप.क्र. 217/15 धारा 376, 302, 201 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट जिसमें 15 दिवस में अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। जिसमे विचारण पश्चात् आरोपी को दोहरे मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। थाना सिविल लाइन जिला छतरपुर के अप.क्र. 66/17 धारा 457, 376, 323, 302, 450 भादवि में 66 दिवस में अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। जिसमें एक साल आठ माह में विचारण एवं निर्णय होकर आरोपी को अलग–अलग धाराओं में क्रमशः मृत्युदण्ड ,10 वर्ष कठोर कारावास, आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसी प्रकार थाना शाहपुर जिला बुरहानपुर के अप.क्र. 435/18 धारा 366–ए, 376(2)(ड),376(।,ठ), 302,201 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में 34 दिवस में अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया जिसमें 72 दिवस में विचारण एवं निर्णय होकर आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया है। इसी प्रकार दि. 01.01.2019 से 31.03.2019 तक कुल 836 प्रकरणों में सजा हो चुकी है इसमें 73 आजीवन कारावास की सजाएं दी गई हैं।

दिनांक 8 मार्च 2019 को पुलिस मुख्यालय में महिला क्राइम रिपोर्टर के साथ ''अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस'' सम्मेलन आयोजित किया गया है। विवेचना की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये 110 मैदानी अधिकारियों का 11 से 13 मार्च 2019 को प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जोन एवं जिलों में भी प्रशिक्षण कराने के प्रयास जारी रखे गये। प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया और 06 केस स्टडीज बनाई गई।

12 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के प्रकरणों को ''चिन्हित'' कराया जाकर इनकी मॉनीटरिंग की जा रही है। डी.एन.ए. परीक्षण हेतु सैम्पल भेजने की प्रक्रिया में सुधार कराया गया है। अब जोनल पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर जिला पुलिस अधीक्षक को ही अधिकृत कर दिया गया है।

पुलिस मुख्यालय स्तर पर सतत् मॉनीटरिंग एवं मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत से अधिक बलात्कार के प्रकरणों में दो माह की अवधि के भीतर विवेचना पूर्ण हो रही है। भारत सरकार ग्रह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के प्रकरणों में शीघ्र निराकरण के मामलों में देश में मध्यप्रदेश तृतीय स्थान पर है।

वर्ष 2019 में प्रदेश में घटित सनसनीखेज एवं जघन्य अपराधों को चिन्हित श्रेणी में लिये जाने का लक्ष्य 945 निर्धारित किया गया था। वर्ष में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक संख्या में गंभीर अपराधों को प्रदेश में प्रथम बार चिन्हित श्रेणी में लिया गया है। वर्ष में माननीय न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये चिन्हित प्रकरणों में सजायाबी का प्रतिशत 70 रहा है।

सायबर अपराध

अन्तर्राष्ट्रीय ठगों का गिरोह पकड़ाया, देश में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से करते थे ऑनलाइन ठगी

सायबर क्राइम पुलिस भोपाल में एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उससे फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से दोस्ती की गई तथा स्वयं को यू.एस. (अमेरिका) में कार्यरत होना बताया महिला से ऑनलाइन झूठे वादे किये गये तथा फरियादिया को यू.एस. से एक गिफ्ट बॉक्स भेजना बताया इसके बाद फरियादिया को फर्जी कस्टम विभाग से इस गिफ्ट बॉक्स को क्लीयरेन्स कराने के नाम पर धमकाया गया व राशि की मांग की गई। फर्जी कस्टम अधिकारी द्वारा फोन पर कहा गया कि गिफ्ट बॉक्स में बड़ी मात्रा में फॉरेन करेंसी है और उनके नाम पर आई हुई है यदि वह कस्टम विभाग से गिफ्ट बॉक्स को छुड़ाने के लिये राशि नहीं देती है तो उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। महिला ने डर से तथा प्रोफाइल के उपयोगकर्ता के कहने पर एसबीआई के 3 व्यक्तिगत खातों में 10 लाख रुपये जमा करा दिये। महिला को ठगी का एहसास होने पर व आरोपी द्वारा सभी कॉन्टेक्ट बंद करने पर रिपोर्ट की गई।

रिपोर्ट पर उक्त अपराध पंजीबद्ध कर सायबर पुलिस भोपाल द्वारा आरोपीगण नाइजीरियन नागरिक स्टीफन चुकवूमा ओको उम्र 38 वर्ष एवं विवियन अघलोर उम्र 31 वर्ष को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी में प्रयुक्त लेपटॉप अनेक मोबाइल व फर्जी सिम, इंटरनेट डोंगल, पैन ड्राइव नगद रकम, डेबिट कार्ड, चैक बुक फॉरेन करेंसी इत्यादि जप्त किये गये हैं।

भोपाल क्राइम ब्रांच की नई यूनिट का गठन

सायबर क्राईम और सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिये भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नई यूनिट बनाई है। यह यूनिट सायबर क्राइम और इन्टेलीजेंस पर स्पेशल फोकस करेगी। आवेदक पूर्व में सायबर क्राइम ब्रांच व थाने में आवेदन तो करते थे, परन्तु उन पर तत्काल कार्यवाही नहीं हो पाती थी क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास सायबर एक्सपर्ट टीम नहीं थी। सायबर सेल में भी शिकायतों पर कार्यवाही होने में समय लगता था इस समस्या के निदान के रूप में क्राइम ब्रांच की यह नई यूनिट बनाई है। श्री संदेश जैन की पदस्थापना ए.एस.पी. साइबर क्राइम और सायबर इन्टेलीजेन्स के पद पर की गई है।

मध्यप्रदेश- सायबर पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर महंगे ब्रांडेड मोबाइल हैण्डसेट मंगाकर अमेजन की बाय बैंक स्कीम का दुरुपयोग किया जाकर ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन को लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया। संगठित रुप से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को राज्य सायबर सेल इंदौर द्वारा माह जनवरी 2019 में गिरफ्तार कर धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति, मोबाइल फोन जप्त किये गये।

सूचना प्रौधोगिकी विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य सायबर पुलिस को डिजीटल इनोवेशन एण्ड सायबर सिक्यूरिटी समिट 2019 में स्टॉप बैंकिंग फ्रॉड इन सेफ सिटी इनीशियेटिव में उत्कृष्ट कार्य के लिये अवॉर्ड दिया गया।

एस.टी.एफ.

AIIMS में फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जिला- भोपाल, दिनांक 16.10.2019 अवैध धन लाभ प्राप्त कर राष्ट्रीय संस्थान AIIMS व अन्य शासकीय चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती करवाने का झांसा देने व फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के सक्रिय होने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर, त्वरित कार्यवाही कर गिरोह के सदस्यों को एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों द्वारा कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर फर्जी चयन सूची में नाम दर्शाकर अभ्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर प्रति अभ्यार्थी 04 से 15 लाख रुपये प्राप्त किए जाते थे। आरोपीगण द्वारा पूछताछ में लगभग चार दर्जन से अधिक छात्राओं के साथ ठगी कर लाखों रुपये प्राप्त करना स्वीकार किया गया है। आरोपी (01)- दिलशाद खान निवासी जबलपुर (02)- आलोक कुमार बामने निवासी भोपाल के विरूद्ध थाना एस.टी.एफ. में अपराध क्रमांक 20/19 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा.दं.वि. पंजीबद्ध किया जाकर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है।

एटीएम फ्रॉड से संबंधित गिरोह गिरफ्तार

एटीएम का पावर ऑफ करके और कैश इजेक्टर विंडो में हाथ से नोट रोककर ठगी करने वाले हरियाणा की एक गैंग को एस.टी.एफ. भोपाल द्वारा दिनांक 20.06.2019 को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए जालसाजों ने पिछले 6 माह में 10 राज्यों में 102 वारदातों को अंजाम देकर 50 लाख से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अलग-अलग बैंकों के 28 ए.टी.एम. कार्ड जप्त किए हैं। इनमें 21 एटीएम कार्ड से 50 लाख रुपये की ठगी की पुष्टि हो चुकी है। आरोपियों ने भोपाल जिले की 6 वारदातें कुबूल की हैं। उक्त अपराध में हरियाणा के नूह जिले के सलीम, मोहित, नदीम एवं राशिद शामिल हैं। प्रकरण में गिरोह के द्वारा प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट डिज़ायर भी जप्त की गई, जिसे कि म.प्र. की फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर गिरोह के द्वारा उपयोग किया जा रहा था।

गिरोह की कार्य पद्धति – एटीएम प्रक्रिया में कैश इजेक्टर विंडो पर रकम आने पर रकम को 30 सेकेण्ड तक पकड़कर रखा जाता था, जिससे कि सिस्टम द्वारा ट्रांजेक्शन कैंसिल करने का मैसेज जेनरेट होता था, इसके पश्चात् रकम निकाल ली जाती थी, इधर सिस्टम में ट्रांजेक्शन कैंसिल होने की जानकारी प्रविष्ट हो जाती थी, जिसके पश्चात् संबंधित बैंक के कॉल सेंटर को कॉल करके ये लोग राशि अपने खाते मे डलवा लिया करते थे।

उक्त कार्यवाही में एस.टी.एफ. निरी. एस.के. दास, उनि. भीम सिंह, सउनि (अ) अमित दीक्षित, आर. अवध वाथवी, आर. सौरभ सिंह चौहान, आर. शिवराज सिंह भदौरिया आदि द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

दुग्ध उत्पाद अपमिश्रण पर पुलिस की कार्यवाही

एस.टी.एफ. ग्वालियर संभाग, द्वारा दिनांक 19.07.2019 को लहार, जिला भिण्ड तथा अम्बाह, जिला मुरैना में छापामार कार्यवाही करते हुए मानव जीवन के लिए हानिकारक रसायनों का प्रयोग कर नकली दूध, मावा, घी, पनीर बनाये जाने से थाना एस.टी.एफ. भोपाल में वन खण्डेश्वरी डेयरी एण्ड फैक्ट्री, अम्बाह जिला मुरैना के मालिक एवं संचालक के विरूद्ध अप.क्र. 11/19 तथा गिर्राज फूड सप्लायर, लहार जिला भिण्ड एवं गोपाल आईस फैक्ट्री एण्ड चिलिंग सेंटर, लहार जिला भिण्ड के विरूद्ध अप.क्र. 12/19 धारा 420, 272, 273, 120-बी भादवि एवं धारा 51/59 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम कायम किया गया है।

साथ ही अग्रवाल लैबोरेटरी एवं सप्लायर, अम्बाह जिला मुरैना से रिफाइण्ड ऑइल (सोयाबीन तेल) 500 टीन, रेंजी शैम्पू 200 बोतल, एवं अन्यण केमिकल्स, नवीन सप्लायर सेंटर, लहार जिला भिण्ड से 25 किग्रा. की 91 बोरी ग्लूकोज (माल्टों डेक्सटिन पाउडर), 100 बोतल रेजी शैम्पू एवं 1000 लीटर ऑइल, 20 टैंकर व 11 वाहन सिंथेटिक दूध से लोडेड जप्त किए गए। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से नकली तथा जहरीले डेयरी पदार्थ से आम जनता का जीवन सुरक्षित हुआ है, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है।

दो करोड़ कीमती अल्प्राजोलम ड्रग जप्त

एस.टी.एफ. ने तीन किग्रा. अल्प्राजोलम के साथ भोपाल रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 6 के पास से दो आरोपियों को पकड़ा है। करीबन दो करोड़ कीमत की इस ड्रग की सप्लाई वाराणसी एवं बिहार से होती थी। इस ड्रग का इस्तेमाल विदेशी नागरिक ज्यादा करते हैं। म.प्र. पुलिस द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में अल्प्राजोलम पकड़ने का यह पहला मामला है। पकड़े गये आरोपी मन्दसौर निवासी यास्मीन एवं उसका बेटा साबिर हुसैन हैं आरोपीगण के विरुद्ध थाना एस.टी.एफ. में अप.क्र. 15/19 धारा 8,22 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।

एस.टी.एफ. द्वारा निम्नानुसार प्रशंसनीय कार्यवाहियां भी की गई है :-

जाली भारतीय मुद्रा के विरूद्ध कार्यवाही

स.क्र.	जप्तशुदा राशि	आरोपी की संख्या	रिमार्क
1	5,51,670/- रुपये के नकली नोट	03	प्रेस से छापे गए नोट
2	1,83,600/- रुपये के नकली नोट	03	स्कैनर, कलर प्रिंटर से छापे गए नोट

अवैध मादक पदार्थ के विरूद्ध कार्यवाही

स. क्र.	थाना/अपराध क्रमांक	आरोपी की संख्या	जप्ती	
			मादक पदार्थ	मात्रा
1	थाना ओमती जिला जबलपुर अपक्र. 11/19	01	स्मैक	260 ग्राम
2	कोतवाली जिला राजगढ़ अपक्र. 16/19	01	स्मैक	157.17 ग्राम
3	थाना करेली जिला नरसिंहपुर अपक्र. 51/19	02	स्मैक पाउडर	100 ग्राम
4	थाना एसटीएफ अप.क्र. 01/19	01	चरस	10 किलो
5	थाना एसटीएफ अप.क्र. 03/19	03	अफीम का परिष्कृत पाउडर 01 किलो	
6	थाना क्राइम ब्रांच ग्वलियर अपक्र. 74/19	01	स्मैक	150 ग्राम
7	पुलिस थाना बसई, जिला दतिया	02	गांजा	45 किलो
8	थाना एसटीएफ अपक्र.10/19	01	अफीम	04 किलो 300 ग्राम
9	थाना एसटीएफ अप.क्र. 15/19	02	अल्फा पाउडर	03 किलो
10	थाना एसटीएफ अप.क्र. 17/19	01	अफीम	01 किलो 550 ग्राम
11	थाना एसटीएफ अप.क्र. 23/19	02	स्मैक	65 ग्राम स्मैक
12	थाना एसटीएफ अप.क्र. 26/19	01	गांजा	70 किलो 500 ग्राम
13	थाना एसटीएफ अप.क्र. 29/19	01	ब्राउन शुगर	172 ग्राम

आग्नेय शस्त्र के विरुद्ध कार्यवाही

स. क्र.	थाना/अप.क्र.	आरोपी की संख्या	जप्ती	
			आग्नेय शस्त्र	कारतूस
1	सिविल लाइन, मुरैना	02	07, पिस्टल 32 बोर	10
2	क्राइम ब्रांच ग्वालियर	01	05, पिस्टल 32 बोर	05
3	थाना दमोह देहात, जिला दमोह अपक्र. 122/19	02	06, देशी कट्टा	05(315 बोर), 01(32 बोर)
4	थाना कम्पू जिला ग्वालियर	01	13, पिस्टल 32 बोर	-
5	कोतवाली खंडवा अप. क्र. 161/19	02	15, देशी कट्टा 32 बोर	-
6	थाना एसटीएफ अप. क्र. 02/19	04	01, रिवाल्वर	184
7	थाना कम्पू जिला ग्वालियर अपक्र. 109/19	02	01, रायफल 303 01, रायफल 12 बोर	04 02
8	थाना एसओजी जयपुर अपक्र. 03/19	02	05, पिस्टल	05
9	क्राइम ब्रांच ग्वालियर अपक्र. 75/19	02	10, देशी कट्टा 315 बोर	20 (315 बोर), 130 (32 बोर)
10	थाना एसटीएफ अपक्र. 27/19	02	05, देशी कट्टा 315 बोर	40 (315 बोर), 40 (32 बोर)

वन्य प्राणी अपराध

स. क्र.	जप्तशुदा सामग्री	आरोपी की संख्या	रिमार्क
1	तेंदूए की खाल कुल लंबाई 56 इंच, चौडाई 14 इंच, मय चारों पैर, नाखून, मूंछ (खाल की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपये)	01	आरोपी को मय खाल वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, मध्य रेंज, जबलपुर के सुपुर्द किया गया
2	तेंदूए की खाल (कीमत लगभग 05 लाख रुपये)	04	आरोपीगण के विरुद्ध थाना करनपठार में अपक्र. 110/19 धारा 05, 09, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 पंजीबद्ध किया गया।
3	01 जिंदा पेंगोंजिन, वजन 06 किलो 790 ग्राम, (अनुमानित कीमत 50 लाख रुपये)	01	राज्य वन परिक्षेत्र बडवारा द्वारा पीओआर नं. 109/205 धारा 2, 9, 39, 48ए, 49बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 पंजीबद्ध किया गया
4	पेंगुलिन स्किल्स भार लगभग 04 किलोग्राम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 20 लाख रुपये)	01	थाना कुरई जिला सिवनी में अपराध क्रमांक 303/19 धारा 9, 39, 49, 51 वन्ये जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पंजीबद्ध किया गया।
5	03 दो मुंहा सांप (01 सांप 3.200 किलोग्राम, 02 सांप लगभग 02 किलोग्राम, कीमती लगभग 35 लाख रुपये)	04	मामला वन विभाग के सुपुर्द किया गया।
6	दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए ''किंग लीओपार्ड'' की खाल	01	मामला वन विभाग को सुपुर्द किया गया।
7	पेंगुलिन के स्किल्स 12 नग (अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य लगभग 15 लाख रुपये	01	वन विभाग द्वारा दर्ज अप. क्र. 126/2019

नारकोटिक्स विंग

नारकोटिक्स विंग : नशामुक्ति जनजागृति कार्यक्रम

नारकोटिक्स विंग के प्रभारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विपिन माहेश्वरी के निर्देशन, जी.जी. पाण्डे पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स विंग के मार्गदर्शन एवं श्रीमती मीना चौहान शर्मा के नेतृत्व में नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर प्रभारी उनि भारत सिंह चावडा, उनि राजवीर सिंह कुशवाह, द्वारा 20 से 26 जून तक चलाये जा रहे नशामुक्ति जनजागृति अभियान के तहत 25 जून को किटियानी क्षेत्र व कृषि महाविद्यालय में नशामुक्ति एवं जनजाग्रति के पेम्पलेट वितरण कर नशा न करने की सलाह दी गई एवं नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में नारकोटिक्स प्रकोष्ठ मंदसौर के सउनि (एम) प्रकाश मालीवाड, प्रधान आरक्षक रूपेश शर्मा, आरक्षक दीपक शुक्ला, विवेक सिंह, अभिषेक शर्मा, रविन्द्र सिंह, राकेश सूर्यवंशी, कमल पटेल, दिनेश परमार, अनिल खरे, महेश परिहार सम्मिलित रहे।

नारकोटिक्स विंग : अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़

पुलिस महानिदेशक महोदय के अवैध मादक पदार्थों पर कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश पुलिस एवं नारकोटिक्स, विंग म.प्र. द्वारा तत्परता से अत्यंत कड़ी व प्रभावी कार्यवाही करते हुए कई बड़े–बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थों, जिसमें मुख्यत: डोडाचूरा गांजा, अफीम, चरस एवं नशीली दवाइयां जप्त की गयी हैं।

प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्व कार्यवाही करने एवं नशामुक्ति जनजागृति हेतु दिनांक 01.08.2019 से 31.08.2019 तक माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से विशेष अभियान ''प्रहार'' एवं ''प्रतिकार'' संचालित किया गया है जिसके तहत प्रदेश में 13 दिनों में 183 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं तथा 232 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस विशेष अभियान के तहत प्रदेश में कुल 1417 सभाएं आयोजित कर 1.5 लाख युवाओं/छात्र/छात्राओं व आमजनों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराकर उनके द्वारा नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प कराया गया है।

अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार

भोपाल– आंध्रप्रदेश के मलकानगिरी राजमुंदरी बॉर्डर से 3.75 क्विंटल गांजा लाने वाले 5 अन्तर्राज्यीय तस्करों को पिपलानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात ये है कि आरोपी गांजा लोहे के ऑयल ड्रम में भरकर लाते थे। ड्रम होल में अंदर की ओर उतनी ही परिधि का फंसा पाइप तलहटी तक रहता है। इसमें ऑयल भरा जाता था और ड्रम के बाकी हिस्से में गांजा भरा होता था। तस्कर गिरोह भोपाल और सीहोर में गांजे की सप्लाई करते थे। एक सटीक सूचना के बाद पिपलानी पुलिस ने इन तस्करों को हथाईखेड़ा रोड आंनद नगर से पकड़ा है। पता चला था कि गांजे की बड़ी खेप पिकअप जीप और अल्टो कार में भरकर लाई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों में सीहोर निवासी हमीद अली, वहीद खान, पीर खां, शहीद खान और शफीक अली उर्फ शप्पू शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिकअप, कार, लोहे के छह ड्रम और 3.75 क्विंटल गांजा जप्त किया है। जप्त किए गए कुल माल की कीमत 40 लाख रुपए बताई गई है। घटना के संबंध में थाना पिपलानी में अप.क्र. 885/19 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।

नारकोटिक्स विंग इंदौर : महत्वपूर्ण उपलब्धियां

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों के तस्करी एवं क्रय-विक्रय करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कड़ी व प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके पालन में वर्ष 2019 में संपूर्ण मध्यप्रदेश में विशेष अभियान ''प्रहार'' चलाया गया एवं माह नवम्बर 2019 तक की अवधि में नारकोटिक्स विंग द्वारा 84 प्रकरण पंजीबद्ध कर 124 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया एवं इसी तारतम्य मे मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा 3270 अपराध पंजीबद्ध कर 4051 आरोपियों को गिरफ्तार उनके विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा वृहद मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जप्त किये गये।

इस प्रकार 26 प्रकरण दर्ज कर 52 किलो 400 ग्राम अफीम, 12 प्रकरण दर्ज कर 368 किलो 700 ग्राम गांजा, 29 प्रकरण दर्ज कर 13870 किलो 700 ग्राम डोडाचूरा तथा 09 प्रकरण दर्ज कर 29882 किलो 16 ग्राम कैमिकल ड्रग जप्त किये गये हैं।

इसी प्रकार मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिये नशामुक्ति जनजागृति हेतु चलाये गये विशेष अभियान ''प्रतिकार'' के तहत कुल 4797 कार्यक्रम आयोजित कर 4,35,392 छात्र/छात्राओं एवं जनसामान्य को जागरुक किया गया है।

अजाक

अजाक शाखा पुलिस मुख्यालय, भोपाल

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं अपराधों में दोषसिद्ध की दर में वृद्धि के लिए तथा पीड़ितों व साक्षियों को भयमुक्त वातावरण एवं विधिक प्रोत्साहन व संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण तथा सहायता प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों में से प्रत्येक जिले से प्रकरणों का चयन कर उन प्रकरणों में अनुसंधान के दौरान विचारण पूर्ण होने तक मॉनीटरिंग टीम गठित कर निरंतर पीड़ितों एवं साक्षियों से सम्पर्क कर विधिक प्रोत्साहन तथा उचित संरक्षण प्रदान करते हुये न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु भयमुक्त वातावरण प्रदान किया जाता है। प्रोग्राम के अन्तर्गत न्यायालय से निराकृत प्रकरणों में दोषसिद्धि की दर में अत्यन्त सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये हैं। अभी तक विशेष न्यायालयों में अधिनियम से संबंधित 1149 प्रकरण चयनित कर साक्षी संरक्षण सहायता प्रोग्राम के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं। प्रोग्राम में चयनित प्रकरणों में दोषसिद्धि की दर 64 प्रतिशत रही है, जो कि सामान्यत: विशेष न्यायालय में दोषसिद्धि की दर से बहुत अधिक है। 01 जनवरी से 30 नवम्बर 2019 तक अन्य सजाओं के अलावा 39 प्रकरणों में आरोपियों को आजीवन कारावास तथा 09 प्रकरणों में 10 वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. समाज के कमजोर वर्गों के प्रति पुलिस को और अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से जिला, जोन एवं मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2019 में 3758 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

3. गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सम्पूर्ण भारत के सभी थानों की कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें उनके द्वारा अपराधों में उत्कृष्ट अनुसंधान, सजायाबी, जनता से व्यवहार और थाने के प्रति क्षेत्र की जनता का मत आदि विषय पर समग्र अध्ययन कर देश के तीन उत्कृष्ट थानों का चयन किया गया। जिसमें मध्यप्रदेश के जिला बुरहानपुर के अजाक थाने को भी तीन उत्कृष्ट थानों में से एक थाने के रूप में चयनित कर पुरस्कृत किया गया है।

पी.टी.आर.आई.

(1) विशेष अभियान –

अ. दिनांक – 01.01.2019 से 31.10.2019 तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों (सभी प्रकार के वाहन चालक) के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 11760 चालान बनाये गये। जिसमें कुल 3896 लायसेंसधारी चालकों के लायसेंस निलंबित किये जाने हेतु रिपोर्ट परिवहन विभाग को भेजी गयी है।

ब. दिनांक – 01.01.2019 से 31.10.2019 तक बिना हेलमेट धारण किये दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध कुल 372473 चालान बनाये जाकर शमन शुल्क राशि 9,45,28,111/– (नौ करोड़ पैंतालीस लाख अट्ठाइस हजार एक सौ ग्यारह) वसूल की गई है।

स. दिनांक – 01.01.2019 से 31.10.2019 तक रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कुल 28011 चालान बनाये गये, जिसमें कुल 1826 लायसेंसधारी चालकों के लायसेंस निलम्बन किये जाने हेतु रिपोर्ट परिवहन विभाग की ओर भेजी गयी है।

द. दिनांक – 01.01.2019 से 31.10.2019 तक बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कुल 2354 चालान बनाये जाकर शमन शुल्क राशि 2204516/– (बाईस लाख चार हजार पांच सौ सोलह) रुपये वसूल की गई है।

(2) शमन शुल्क –

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश के समस्त जिलों से यातायात के नियमों का उल्लंघन किये जाने वाले वाहन चालकों से राशि 28,22,25,873/– (अट्ठाइस करोड़ बाईस लाख पच्चीस हजार आठ सौ तिहत्तर) रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया है।

(3) प्रशिक्षण –

दिनांक 01.04.2019 से 30.11.2019 तक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में 1. यातायात बेसिक कोर्स 2. यातायात रिफ्रेशर कोर्स 3. रोड एक्सीडेन्ट इनवेस्टीगेशन एवं प्रवेन्शन 4. पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स 5. यातायात में आधुनिक उपकरणों का उपयोग 6. सड़क सुरक्षा प्रबंधन कोर्स 7. सुरक्षित वाहन चालन कोर्स 8. मानव व्यवहार एवं मानव प्रबंधन कोर्स के अंतर्गत यातायात संबंधी कुल 23 कोर्स चलाये गये, जिसमें आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 753 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(4) बजट –

प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में 750–ब्रीथ एनालाइजर का क्रय किया जाकर प्रदेश के समस्त जिलों को उपलब्ध कराये गये हैं

(5) सड़क सुरक्षा –

वर्ष 2015, 2016, 2017, 2018 में क्रमशः सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु की संख्या 8.7 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2019 (जनवरी से अक्टूबर) में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु का प्रतिशत 1 रहा है, लगातार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर सुधारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। दुर्घटनाओं में वर्ष 2018 की तुलना में 2.5 प्रतिशत की कमी तथा समान अवधि में घायलों की स्थिति में 0.8 प्रतिशत की कमी हुई है

(अ) ब्लैक स्पॉट – सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में ऐसे स्थान चिन्हित किये गये हैं जहां 500 मीटर के दायरे में तीन वर्ष में 5 ऐसी सड़क दुर्घटनाएं जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुये हों अथवा 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई हो।

विगत तीन वर्षों (2016, 2017, 2018) के आधार पर म.प्र. के समस्त जिलों से कुल 463 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये हैं जिन पर लगातार सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा शॉर्ट टर्म एवं लांग टर्म परिशोधन की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें 392 ब्लैक स्पॉट पर शॉर्ट टर्म परिशोधन पूर्ण हो चुका है, 52 ब्लैक स्पॉट पर शॉर्ट टर्म परिशोधन प्रक्रियारत/प्रस्तावित हैं एवं 117 पर लांग टर्म परिशोधन पूर्ण हो चुका है एवं 160 ब्लैक स्पॉट पर लांग टर्म परिशोधन प्रक्रियारत/प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण शाखा

डीजीपी रिसर्च एवं पॉलिसी सेल के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम

1. शैफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी (U.K.) एवं TISS (मुंबई) के साथ राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों हेतु मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (MCTP –2019)

राज्य पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों के लिये प्रथम बार मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (MCTP–2019) का आयोजन दिनांक 13.10.2019 से 18.11.2019 तक किया गया। प्रथम सप्ताह आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में प्रशिक्षण उपरांत दिनांक 20.10.2019 से 25.10.2019 तक उत्तर–पूर्वी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (NEPA) उमसाव, मेघालय में संवेदीकरण कौशल, आंतरिक सुरक्षा आदि विषयों पर प्रशिक्षण एवं BSF के सहयोग से भारत–बांग्लादेश सीमा, आदि का मैदानी भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

MCTP के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण TISS (मुंबई) एवं शैफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी (U.K.) के हेलेना कैनेडी सेण्टर में समस्त प्रशिक्षुओं को दिनांक 28.10.2019 से 02.11.2019 तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुम्बई में Emotional Intelligence नेतृत्व, मेगा पुलिसिंग आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) मुख्यालय मुंबई में भी आंतरिक सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों का परिचय प्रदान किया गया। प्रशिक्षुओं को वर्ष 2017 में शैफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी (U.K.) के साथ हुए MOU के तहत दिनांक 04.11.2019 से 08.11.2019 तक शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी यू.के. में प्रशिक्षण शाखा में दिया गया। उक्त प्रशिक्षण साउथ यार्क शायर पुलिस के सहयोग से आयोजित किया गया। जिसमें साउथ यार्क शायर के शैफील्ड, डोन्कास्टर, रॉदरहम आदि जिलों में भ्रमण के साथ प्रशिक्षुओं को ब्रिटिश पुलिस संरचना, यातायात प्रबंधन, पब्लिक आर्डर हैंण्डलिंग, सायबर फोरेंसिक एंड इन्वेस्टीगेशन, प्राब्लम सॉल्विंग, नेबरहुड पुलिसिंग की जानकारी साउथ यार्क शायर के चीफ कान्सटेबल मि. स्टीफन वाटसन्, डिप्टी चीफ कांस्टेबल मि. मार्क रॉबर्ट्स, शैफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी में कार्यरत डॉ. सुनीता टूर आदि द्वारा दी गई।

इस प्रकार MUTP–2019 के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु डीजीपी रिसर्च एंड पॉलिसी सेल द्वारा TISS एवं शैफील्ड हेलम् यूनिवर्सिटी के साथ हुये MOU के तहत् एक नई एवं प्रभावी आधारशिला स्थापित की गई। जो देशभर में अपनी तरह का सर्वथा प्रथम उदाहरण है।

---

2. मैसाच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत J-PAL ग्रुप के साथ Urja Help Desk अंतर्गत शोध कार्य :–

डीजीपी रिसर्च एवं पॉलिसी सेल के अंतर्गत Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) से हुए MOU के तहत प्रदेश के 12 जिलों (जिला भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, विदिशा, मुरैना, रीवा, पन्ना, रतलाम, बालाघाट, बैतूल, सिवनी) के 180 थानों में संचालित ऊर्जा हेल्प डेस्क में पीड़ित महिलाओं को त्वरित वैधानिक संबल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष कम्यूनिटी आउटरीच के तहत एक्शन एड नामक संस्था एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से भी ऊर्जा हेल्प डेस्क द्वारा अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है।

3. ब्रिटिश हाई कमीशन एवं FXB India Suraksha के साथ प्रशिक्षण :–

दिनांक 04.07.2019 को मध्यप्रदेश पुलिस की रिसर्च एवं पॉलिसी सेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था FXB India Suraksa नई दिल्ली के साथ MOU किया गया। जिसमें संस्था के द्वारा पुलिस के माध्यम से विभिन्न शोध, महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, यौन अपराध, मानव तस्करी व दुर्व्यापार विषयों पर किये जायेंगे साथ ही विवेचना अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण भी कराये जायेंगे। इस MOU के तारतम्य में सर्वप्रथम दिनांक 17.07.2019 को श्री रिचर्ड बार्लो, हेड पॉलिटिकल एवं बाइलेट्रल अफेयर्स ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली, सोफी रोज डिप्टी हेड पॉलिटिकल एवं बाई लेट्रल अफेयर्स ब्रिटिश हाई कमीशन नई दिल्ली, श्री प्रद्युम्न बोस ब्रिटिश हाई कमीशन, श्री सत्य प्रकाश FXB India Suraksha तथा सुश्री प्राजिंता बोस FXB India Suraksha के दल ने मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी के सभागार Surakcha Sustainable Learning Programme हेतु उपस्थित होकर श्री रिचर्ड बार्लो द्वारा FXB India Suraksha तथा ब्रिटिश हाई कमीशन के मार्गदर्शन में महिलाओं एवं बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा हेतु Comprehensiver Training Program आगामी 05 वर्षों तक 3 चरणों में आयोजित किये जाने का ब्यौरा दिया गया जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों तथा बच्चों की सुरक्षा से जुडे स्टेक होल्डर्स का प्रशिक्षण जिसमें 11 जिले सागर, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, इन्दौर, मुरैना, मण्डला, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल तथा भोपाल शामिल हैं, के साथ ही विशेषज्ञ पुलिस अधिकारी जो इस क्षेत्र में विवेचना का बेहतर तथा अद्यतन ज्ञान रखते हैं का पूल तैयार करने के अलावा पीटीएस तथा अकादमी में प्रशिक्षण देना भी निर्धारित किया गया। FXB India Suraksha द्वारा इसी तारतम्य में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल रीवा से प्रशिक्षण की शुरूआत भी की जा चुकी है।

4. उप पुलिस अधीक्षकों का प्रशिक्षण :–

मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षणरत 9वां बैच के प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों हेतु दिनांक 27.05.2019 से 02.06.2019 तक एवं 40वां बैच के प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों हेतु दिनांक 01.07.2019 से 06.07.2019 तक Law Enforcement विषय पर एन.एल.यू. नई दिल्ली, में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षणरत 9वां एवं 40वां उप पुलिस अधीक्षक बैच के 83 उप पुलिस अधीक्षकों की पासिंग आउट परेड दिनांक 30.11.2019 को पुलिस महानिदेशक मध्यप्रदेश के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई।

उक्त दोनों बैच के प्रशिक्षुओं को वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य से परिचित कराने हेतु देश के ख्यात एवं नामचीन्ह व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। विक्टमोलॉजी एवं विधि उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, में भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं महू स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा भी प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया गया।

भोपाल जोन

जिला भोपाल

1. एटीएम बूथ में धोखाधड़ी कर रकम निकालने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ाया

दिनांक 19.05.2019 को थाना तलैया क्षेत्र में होटल चैकिंग के दौरान होटल शगुन में दो व्यक्तियों पर संदेह होने पर पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर खुर्शीद नामक व्यक्ति मोबाइल पर बात करने का बहाना करते हुये भाग गया। पुलिस ने उसके साथी शाकिब को पकड़ा व कमरे की तलाशी ली, तो कुल 49 अलग–अलग बैंको के एटीएम कार्ड, 1 रजिस्टर जिसमें कई व्यक्तियों के नाम, दिनांक, अंक इत्यादि विवरण अंकित है बरामद हुये। पूछताछ में शाकिब ने बताया कि वे लोग अपने पहचान वालों से एटीएम कार्ड लेकर देश के अलग–2 हिस्सों में जाते हैं एवं वहां पर एटीएम मशीन पर एटीएम कार्ड का उपयोग करते हुये रुपये निकालते हैं रुपये निकालते समय एक व्यक्ति एटीएम से रुपये निकालता है एवं दूसरा एटीएम मशीन के पावर स्विच के पास खड़ा रहता है जैसे ही एटीएम मशीन से रुपये निकलने वाले स्लॉट में पहुंचता है दूसरा व्यक्ति उसी समय एटीएम मशीन का पावर सप्लाई बंद कर देता है एवं स्लॉट में से रुपये बाहर निकाल लेते हैं इस प्रक्रिया में पावर सप्लाई रुक जाने से एटीएम मशीन का प्रोसेस रुक जाता है और बैंक के मेन सर्वर पर संबंधित अकाउन्ट से पैसे निकलने के प्रयास की सूचना तो चली जाती है किन्तु अचानक हुये पावर ऑफ के कारण बैंक को ट्रांजेक्शन की जानकारी नहीं मिल पाती है बाद में रुपये निकालने वाला व्यक्ति कस्टमर केयर को फोन लगाकर एटीएम मशीन से रुपये नहीं निकलने की शिकायत करता है। इस पर बैंक संबंधित अकाउन्ट में पुनः उतना रुपये डाल देता है इस प्रकार बैंक से धोखाधड़ी कर देश भर के विभिन्न एटीएम से रुपया निकाला जाता है। पुलिस द्वारा आरोपी शाकिब को गिरफ्तार कर आरोपी खुर्शीद की तलाश की जा रही है।

2. नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

रातीबड़ पुलिस ने नकली नोट बनाने और तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 200–200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। बरामद रकम 22 हजार 400 रुपए बताई गई है। पुलिस ने गिरोह के सरगना के कब्जे से नकली नोट बनाने का सामान भी बरामद किया है। देवास में रहने वाले सरगना अपनी दुकान पर स्कैनर व प्रिंटर की मदद से नकली नोट बनाता था।

3. पैरोल पर छूटे कैदी ने क्राईम पेट्रोल की तर्ज पर की दोस्त की हत्या

थाना रातीबड़ के अप.क्र. 318/19 धारा 302, 303, 364, 201, 120–बी भादवि के प्रकरण में दिनांक 28.06.2019 को केन्द्रीय जेल भोपाल से 15 दिन की पैरोल पर छूटे कैदी राजेश परमार ने जेल जाने से बचने और हमेशा के लिये अपनी पहचान छिपाने के लिये अपने ही एक दोस्त को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी कैदी राजेश परमार निवासी ग्राम नीलबड़ को चेन्नई से और उसके दोस्त निहाल खान को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है।

4. नशे के खिलाफ प्रदेश की सबसे बड़ी कार्यवाही

पुलिस उप महानिरीक्षक (शहर) जिला भोपाल के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में इतवारा के दो मोहल्लों में भोपाल थाना तलैया पुलिस द्वारा कुल 31 आरोपियों, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं, को दिनांक 01.08.2019 को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में चरस, गांजा एवं देशी शराब जप्त करने में महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई। आरोपियों के विरुद्ध थाना प्रभारी निरीक्षक श्री मुख्तार कुरैशी द्वारा कुल 9 अपराधिक प्रकरण थाना तलैया में पंजीबद्ध किये गये हैं। अपराध क्रमांक 302/19, 304/19, 305/19, 306/19, 308/19, 309/19, 310/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में कुल 21 किलो 500 ग्राम गांजा, अप.क्र. 303/19 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में 52 लीटर देशी शराब, अप.क्र. 307/19 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट में 900 ग्राम चरस एवं नगदी कुल 11,83,000/– आरोपियों के कब्जे से पुलिस द्वारा जप्त की गई है।

5. नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार

एम.पी. नगर पुलिस को एक ऐसे ठग को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है जो पहले स्थानीय समाचार पत्रों में नौकरी देने के नाम पर विज्ञापन प्रकाशित कराता था। तथा लोगों को फंसाकर पीड़ितों से उनके बैंक बैलेन्स आदि के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर उन्हें इन्टरव्यू के बहाने अन्य शहर बुलाता था तथा उन्हें अच्छे होटलों में ठहराकर कॉफी में नींद की गोलियां डालकर पिलाता और बेहोश कर देता था, और वह शरीर में पहने जेवरात, रुपये, मोबाइल फोन, चैक आदि लेकर भाग जाता था। आरोपी पीड़ितों के मोबाइल फोन पुलिस को गुमराह करने के लिये किसी ट्रेन में साईलेन्ट मोड में रख देता था। आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट पर थाना एमपी नगर में अप.क्र.779/19 धारा 420,328 भादवि और 780/19 धारा 328,420,376 भादवि का पंजीबद्ध किया गया है।

6. लोहे के सब्बल से तोड़ दिए दो एटीएम

टी.वी. सीरियल में एटीएम को सब्बल से टूटता देख एक ड्राइवर ने नाबालिग समेत दो साथियों के साथ बंगरसिया के दो एटीएम को निशाना बना दिया। तीनों सब्बल लेकर पहुंचे और पटेल मार्केट में दो एटीएम तोड़ दिए। आरोपियों में एजाज खान, लोकेश राय उर्फ नंदकिशोर और 17 वर्षीय बालक शामिल है। एजाज खान अलग-अलग चैनलों पर आने वाले क्राईम सीरीयल देखने का शौकीन है। एक सीरीयल में उसने लोहे के सब्बल से एटीएम टूटते देखा था। इसके बाद उसने अपने दोनों साथियों को बड़ी रकम मिलने का लालच दिया। सीरीयल देखने के बाद तीनों लोहे का सब्बल लेकर एटीएम तोड़ने पहुंच गए थे, लेकिन कैश ट्रे तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके। इस संबंध में थाना मिसरोद में अप.क्र. 577/19 धारा 457, 427 भादवि का पंजीबद्ध किया गया है।

जिला राजगढ़

1. राजगढ़ पुलिस की सबसे बड़ी बरामदगी

थाना खिलचीपुर के अपराध क्रमांक 215/19 धारा 457, 380 भादवि के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री प्रदीप शर्मा के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में गठित विशेष अनुसंधान दल द्वारा आरोपीगण जाकिर एवं बाबर नि. नारदा बडली तथा शाहिद नि. सोमवारिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी गया मशरूका नगदी 22 लाख 50 हजार एवं 23 तोला सोना कीमती 08 लाख रुपये करीबन, घटना में प्रयुक्त तीन मोटर साईकिल कीमती एक लाख 20 हजार एवं आरोपीगणों के तीन मोबाइल कुल मशरूका कीमत 32 लाख रुपये बरामद करने में महवपूर्ण सफलता अर्जित की गई है।

2. अंधे कत्ल का पर्दाफाश, अज्ञात मर्ग से मर्डर तक का राजगढ़ पुलिस ने किया खुलासा

दिनांक 09.04.2019 को तीज बड़ली के पास ग्राम तिंदौनियां में बद्री खाती के कुएं में अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने पर मर्ग क्रमांक 13/19 धारा 174 जाफौ. का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान मृतक की बात महेश अहिरवार की पत्नि रीना से होना पाया गया। सम्पूर्ण विवेचना से रीना से विनोद के अबैध संबंध होना पाया जाने व उक्त संबंधों के सन्देह पर उसके पति महेश अहिरवार द्वारा कुएं में धक्का देकर विनोद की हत्या करना पाया जाने से दिनांक 14.05.2019 को थाना कुरावर में अपराध क्रमांक 184/19 धारा 302, 201 भादवि का पंजीबद्ध किया गया व मुखबिर की सूचना पर दिनांक 15.05.2019 को आरोपी महेश अहिरवार को गिरफ्तार कर उक्त अंधे कत्ल का खुलासा किया गया।

3. राजगढ़ पुलिस ने डूब रहीं दो महिलाओं को बचाया

थाना नरसिंहगढ़ में दिनांक 04.07.2019 को सूचना मिली थी कि दो महिलाएं बड़ा तालाब में पानी में डूब रहीं हैं, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची जहां दो महिलाएं जिनमें से एक काफी बुजुर्ग दिखाई दे रही थी, बीच तालाब में पानी में डूब रहीं थीं तभी पुलिस बल में से प्रआर गुलाब चंद धाकड़ एवं आर रवि धाकड़ ने बिना समय गंवाए गहरे पानी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत से उन्हें पानी में से बाहर निकाला और दोनों महिलाओं को तालाब में डूबने से बचाकर सकुशल उन्हें बाहर ले आए।

4. अवैध मादक पदार्थ जप्त

थाना माचलपुर के अपराध क्रमांक–388/19 धारा 34(2) आबकारी एक्ट :– वाहन चैकिंग दौरान प्रातः 6:25 बजे ट्रक क्रमांक–जीजे–11 वाय–5707 से 1. कासम पिता लाखा भाई गामेती उम्र 36 साल निवासी खोड़िया नगर सावलपुर जूनागढ़ गुजरात 2. अजय पिता सरमन भाई रातिया मेहर उम्र 19 साल निवासी बाटवा, जूनागढ़ गुजरात के ट्रक को चेक करने पर उसमें 175 पेटी पार्टी स्पेशल एवं 275 पेटी क्रेजी रोमियो अंग्रेजी शराब कुल 3951 लीटर कीमती 27 लाख 65 हजार 700 रुपये की पाई जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया व उक्त अवैध शराब मय ट्रक वाहन क्रमांक को जप्त किया गया।

जिला विदिशा

1. विदिशा पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना ग्यारसपुर द्वारा आरोपी 1– सुरेन्द्र उर्फ संतोष राजपूत पिता मोहर सिंह राजपूत उम्र 28 साल जिला देवास, 2– बबलू उर्फ भारत सिंह राजपूत पिता रूपसिंह राजपूत जिला उज्जैन से 06 देशी पिस्टल, 06 देशी 315 बोर कट्टा, 02 देशी 12 बोर कट्टा, 1 सिक्सर रिवाल्वर, 35 कारतूस 315 बोर कट्टा, 17 कारतूस 12 बोर कट्टा, 03 कारतूस 7.62 रिवाल्वर एवं 08 तलवारें जप्त की गई एवं आरोपियों से पूछताछ करने पर ग्यारसपुर बस स्टैण्ड से आरोपी 1– आषिक पिता जब्बार खां जिला सीहोर, 2– करीम खां पिता सलीम खां जिला सीहोर, 3– शंकर पिता रामचंदर लोहार जिला उज्जैन को गिरफ्तार किया जाकर उनके कब्जे से 05 देशी कट्टे तथा 05 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये।

2. थाना ग्यारसपुर अप.क्र. 74/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट :– दिनांक 30.03.19 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी सुरेन्द्र उर्फ संतोष नि. निवोदा हाल पिपरिया जिला देवास, 2. बबलू उर्फ भारत राठौर नि. नादेड थाना माकडोन जिला उज्जैन 3. गुलउफरान उर्फ कालाशाह नि. कमलापुर थाना बागली जिला देवास उक्त आरोपीगण को पकड़ा जिनकी जामा तलाशी ली गई जिसमें 10 पिस्टल 08 तलवार 50 राउण्ड मिले मौके जप्ती पंचनामा बनाया एवं विधिवत गिर. कर आरोपीगणों को पेश न्यायालय किया गया।

3. थाना कोतवाली विदिशा के अप.क्र 640/19 धारा 8/20 एन.डी.पी. एस. एक्ट :–दिनांक 17.11.19 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी मुन्ना कुशवाह नि. मढईपुरा रायसेन, खिलान सिंह राजपूत नि. विदिशा सोनू धाकड़ नि. विदिशा को पकड़ा जिसके कब्जे से 60 किलो गांजा कीमती 600000/रु. (छै लाख रुपये) को जप्त किया, जिस पर से थाना कोतवाली विदिशा में अप.क्र. 640/19 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट कायम कर विवेचना में लिये गये आरोपीगण को पेश न्यायालय किया, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला सीहोर

1. थाना कोतवाली अवैध तीन पिस्टल एवं आठ कारतूस सहित दो आरोपी गिरफ्तार, एक बाईक जप्त

थाना कोतवाली सीहोर में पंजीबद्ध अप.क्र. 398/19 धारा 294,323,506 के आरोपी साकेत साहू पुत्र डॉ. एन.के. साहू नि. बस स्टैंड के पास सीहोर को गिरफ्तार किया, उसकी तलास लेने पर उसके पास से एक देशी पिस्टल मय 4 जिंदा राउंड जप्त किया गया। जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली सीहोर अप.क्र. 406/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट कायम किया गया।

2. 24 किलो चन्दन की लकड़ी सहित युवक गिरफ्तार

मण्डी पुलिस को दिनांक 10.01.19 को सूचना प्राप्त हुई कि कोनाझिर तरफ से मोटर साइकिल क्र. एमपी 04 एमयू 2396 पर एक व्यक्ति पेट्रोल की टंकी पर एक सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी एवं मोटर साइकिल चालक अपनी पीठ पर एक काले रंग का बैग लिये कोनाझीर तरफ से चन्दन की लकड़ी भरकर सीहोर तरफ ले जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु टीम गठित कर भेजी गई जिनके द्वारा थोड़ी देर बाद कोनाझिर तरफ से मुखबिर द्वारा बताये हुलिये की मोटर साइकिल आई। टीम द्वारा रोककर नाम–पता पूछा, तो अपना नाम इरशाद शाह पिता बन्ने शाह निवासी कोनाझिर का बताया। मोटर साइकिल के सामने टैंक पर रखी प्लाीस्टिक की बोरी एवं पीठ पर टंगे पिटठू बैग में चंदन की लकड़ी के टुकड़े पाये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 10/19 धारा 379 भादवि एवं भारतीय वन अधिनियम की धारा 41,41–ए एवं मध्यप्रदेश वन अधिनियम 33–बी, 33–सी, 51 पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर मोटर साइकिल एवं 24 किलो चन्दन की लकड़ी को जप्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 50,000/– बतायी गई है।

इंदौर जोन

जिला इंदौर

1. इन्दौर क्राइम ब्रांच : करोड़ों रुपये मूल्य का दो मुहां बोआ साँप बरामद

दिनांक 20 फरवरी 2019 को इन्दौर क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से बेशकीमती दो मुंह वाला साँप जिसका वैज्ञानिक नाम रेड सेंड बोआ है, की तस्करी की सूचना मिलने पर टीम द्वारा सुखलिया क्षेत्र में गौरव पिता वेदप्रकाश श्रीवास्तव निवासी लालपुरा शाजापुर को साँप सहित रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस द्वारा साँप को वन विभाग के सुपुर्द किया गया है जिनके द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 3, 9, 39, 41, 50, 51, 52 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

2. इंदौर में सायबर आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले गिरोह का पर्दाफाश

दिनांक 30 जुलाई 2019- थाना हीरानगर की पुलिस टीम ने देश की सायबर सुरक्षा को चुनौती देने वाले एक ऐसे अपराधी गैंग का पर्दाफाश किया जो मोबाइल फोन का मुख्य पहचान कोड आईएमईआइ नंबर बदलकर बडे स्तर पर फ्रॉड कर रहा था। ये गैंग मात्र 200 रुपये में किसी भी मोबाइल का आईएमईआई नंबर बदलकर मोबाइल की पहचान परिवर्तित कर देता था। पुलिस द्वारा गैंग का मास्टर माइंड जितेंद्र एवं उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया साथ ही विभिन्न कंपनियों के 192 मोबाइल फोन, सॉफ्टवेयर ओपन करने का डोंगल, कम्प्यूटर, सीपीयू आदि जप्त किये गये।

3. अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 07 आरोपी गिरफ्तार

इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा थाना कनाड़िया पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये चार आरोपियों 1. शुभम उर्फ चिकना उम्र 23 साल 2. अमित बैसवार उम्र 32 साल 3. गणेश वर्मा उम्र 25 साल 4. आशिक मंसूरी उम्र 22 साल को थाना कनाड़िया क्षेत्रांतर्गत पकड़ा। आरोपियों की मौके पर तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 04 अवैध हथियार जिसमें एक कट्टा, व तीन पिस्टल बरामद हुए। आरोपियों के विरुद्ध थाना कनाड़िया में अप.क्र. 462,463,464,465/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4. फरार ईनामी आरोपी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा 42 करोड़ के आबकारी घोटाले में फरार आरोपी विजय कुमार श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु 20 हजार रुपये के ईनाम की घोषणा की गई थी। आरोपी ने एम.जी. रोड ग्रुप की शराब की दुकानों में सात करोड़ इकत्तीस लाख रुपये की चालानी राशि का घोटाला किया था। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को लखनऊ से पकड़ा। घटना के संबंध में थाना रावजी बाजार इंदौर में अपराध क्रं. 172/17 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि पंजीबद्ध है।

5. कुख्यात आरोपी गिरफ्तार

इंदौर शहर में सिलसिलेवार गोलीबारी की वारदातों को अंजाम दे रहा कुख्यात आरोपी अंकित शर्मा, क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना खुड़ैल के अपराध क्रमांक 142/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जूनी इंदौर में अपराध क्रमांक 149/19 धारा 452, 336, 394, 506, 34 भादवि व 25, 27 आर्म्स एक्ट, थाना चंदननगर में अपराध क्रमांक 224/19 धारा 307, 34, 394 का प्रकरण, थाना लसूड़िया में अपराध क्र 350/19 धारा 294, 506, 427 भादवि, थाना चंदननगर में अपराध क्र 234/19 धारा 307, 294, 34 भादवि, थाना जूनी इंदौर के प्रकरण क्र 201/08 धारा 398, 396 भादवि पंजीबद्ध किया गया हैं।

6. फर्जी आयकर अधिकारी पुलिस की गिरफ्त में

हिन्दी फिल्म स्पेशल-26 की तर्ज पर इंदौर में ठगी कर रही फर्जी आयकर अधिकारी (Chief Investigation Officer) की टीम को क्राइम ब्रांच इंदौर ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना राजेन्द्र नगर इंदौर में अपराध क्र. 294/19 धारा-419, 420, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया है।

7. डबल मर्डर के सनसनीखेज अंधे कत्ल का पर्दाफाश

बेटमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6-7 माह पूर्व किराना व्यापारी गुप्ता डबल मर्डर के सनसनीखेज अंधे कत्ल का पर्दाफाश, 03 आरोपी गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त हथियार व रैकी में प्रयुक्त मोटर साइकिल भी हुई जप्त। इस संबंध में थाना बेटमा पर अपराध क्रमांक 341/18 धारा 302, 307, 394, 397 भादवि पंजीबद्ध किया गया है।

8. नशे के कारोबारियों के विरुद्ध कार्यवाही

इंदौर, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश पाने के लिये नशे के कारोबारियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी ''प्रहार''अभियान के अंतर्गत क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्यवाही में प्रतिबंधित नशीली दवाओं की तस्करी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार किये जाकर उनसे भारी मात्रा में लगभग 15 हजार अल्प्राजोलम टेबलेट व घटना में प्रयुक्त दो पहिया वाहन बरामद किये गये।

जिला खरगौन

जिला खरगौन द्वारा अवैध हथियारों का निर्माण एवं व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस द्वारा विगत तीन माह में अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना चैनपुर द्वारा आरोपी मुकेश पिता बोदर सिंह बडौले उम्र 25 वर्ष से 08 देशी पिस्टल जप्त, थाना भीकनगांव द्वारा आरोपी चन्द्रभान सिंह भदौरिया 26 वर्ष से 05 पिस्टल जप्त, थाना बैडिया द्वारा आरोपी जांगल उर्फ छोटू पिता वीरसिंह उम्र 25 वर्ष से 02 पिस्टल, 02 बत्तीस बोर, 01 बारह बोर के देशी कट्टा जप्त, थाना खरगौन द्वारा आरोपी 1. राघवेन्द्र पिता फूलसिंह शर्मा उम्र 30 वर्ष जिला ग्वालियर, 2. सोनू पिता जीतसिंह गिल उम्र 25 साल जिला ग्वालियर, 3. जितेन्द्र पिता पुरूषोत्तम सैनी उम्र 30 साल जिला ग्वालियर, 4. तकदीर पिता रतनसिंह सिकलीगर उम्र 35 साल जिला खरगौन से 04 देशी पिस्टल, 02 बारह बोर एवं 04 कारतूस जप्त, थाना ऊन द्वारा 1. अरूण पिता अजबसिंह जाट उम्र 20 साल जिला अलीगढ़ (उ.प्र.), 2. पवन पिता अजबसिंह जाट उम्र 30 साल जिला अलीगढ़ (उ.प्र.) से 03 देशी कट्टे 07 देशी पिस्टल जप्त, थाना भगवान पुरा द्वारा आरोपी 1. नानक सिंह पिता जगदीश सिकलीगर उम्र 26 साल, 2. शेरसिंह पिता धरमसिंह सिकलीगर उम्र 24 साल से 10 देशी पिस्टल एवं अवैध हथियार बनाने का सामान (कारखाना) जप्त किया गया।

जिला खण्डवा

1. 8 लोगों को 45 सेकंड के वीडियो ने दिलाई उम्रकैद

बहुचर्चित विकास उर्फ पप्पू बंसेले (25) निवासी चीराखदान की हत्या के मामले में न्यायालय ने 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी मामले में एक नाबालिग को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। सुअर चोरी के आरोप में 1 अप्रैल 2016 को मनोज सोनकर और उसके साथियों ने विकास नाम के व्यक्ति को बीच चौराहे पर लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला था। घटना की वीडियो रिकार्डिंग वायरल हो गई थी। घटना के संबंध में थाना कोतवाली खंडवा में अप.क्र. 248/16 धारा 302, 145, 294, 427, 341, 323 भादवि का प्रकरण दर्ज हुआ था।

2. डकैती करने वाले गिरोह के तीन बदमाशों को सात साल की जेल

खंडवा-भुसावल, रेलवे ट्रेक पर कोहदड़-डोंगरगांव रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन नंबर 02486 हजरत निजामुद्दीन-नांदेड़ एक्सप्रेस में डकैती करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन बदमाशों को दोषी पाते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने सात साल जेल की सजा व जुर्माने से दंडित किया है। मामले में मुख्य आरोपी वसीम पिता अहमद सरदार पिंजारी, जावेद उर्फ भूरिया पिता अहमद सरदार पिंजारी, शाहरूख पिता शाइन शाह को धारा 412 में दोषी पाते हुए सात साल जेल की सजा से दंडित किया गया।

3. हाईवे डकैती गिरोह का पर्दाफाश

थाना धनगांव– दिनांक 12 जुलाई 2019 को रात्रि में जिले के थाना धनगांव क्षेत्रांतर्गत हुई लूट के आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है घटना में पकड़े गए आरोपी में राजाराम पिता ओंकार जी मालवीय, रमजान अली पिता मकसूद अली, छोटे खान पिता शब्बीर एवं मनोज पिता अम्बाराम सैनी सभी निवासी देवास के हैं। आरोपीगण से पुलिस ने आयशर वाहन क्र. एमपी 13 जीए 6136 कीमत 22 लाख रुपये, आयशर वाहन क्र. एमएच 18 बीजी 3840 कीमत 22 लाख रुपये, आयशर वाहन क्रमांक एमएच 18 बीजी 3841 कीमत 20 लाख रूपये, विमल पाउच के 55 कटटे कीमती 16 लाख रुपये कुल कीमत 80 लाख रुपए जप्त किये। घटना की रिपोर्ट पर थाना धनगांव में अप. क्र. 166/19 धारा 394 भादवि का अपराध दर्ज किया गया था

जिला बड़वानी

1. मनोज ठाकरे हत्याकांड, सात आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 20.01.2019 को थाना वरला बड़वानी जिले के ग्राम बलवाड़ी थाना वरला क्षेत्र में बलवाड़ी भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे पर अज्ञात बदमाशों द्वारा धारदार हथियारों व पत्थरों से हमला किया गया। इस संबंध में थाना वरला पर अपराध क्रमांक 17/19 धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। लगातार कड़ी मेहनत मशक्कत के बाद विवेचना में ज्ञात हुआ कि बलवाड़ी के ही एक वरिष्ठ नेता ताराचन्द बंजारा ने राजनैतिक रंजिशवश मनोज ठाकरे को निपटाने की पांच लाख रुपये में सुपारी देकर हत्या कराई थी। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपीगण सहित ताराचंद्र बंजारा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2. यू–ट्यूब पर वीडियो देख प्रिंट किए 13.54 लाख रु. के नकली नोट

थाना निवाली में पुलिस ने 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13.54 लाख रुपये के नकली नोट और कलर स्कैनर/प्रिंटर जप्त किये हैं, इसमें दो आरोपी देवा उर्फ दयाराम व गोंदिया उर्फ गेंदालाल सेंधवा क्षेत्र के निवासी हैं। जबकि मास्टर माइंड राहुल पिता शोभाराम शिरपुर तहसील महाराष्ट्र के ग्राम नटवाड़ी का रहने वाला है। 9वीं तक पढ़े आरोपी राहुल ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर नकली नोट बनाने की योजना बनाई थी। आरोपियों द्वारा निवाली क्षेत्र में दुकानों पर 10 से 2 हजार रुपये के कुछ नकली नोट चलाए हैं।

जिला बुरहानपुर

रेप तथा हत्या के आरोपी को मिली दोहरी फांसी की सजा

15 अगस्त 2018, जिला बुरहानपुर थाना शाहपुर के अप.क्र. 435/18 धारा 363 इजाफा 366 ए, 376 (2) ए'', 376 ए,बी, 302, 201 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट 3 साल की बच्ची से रेप तथा हत्या के आरोपी को दोहरी फांसी की सजा सुनाई गई। बुरहानपुर जिले के मोहद इलाके में साढ़े तीन साल की बालिका का अपहरण, रेप और हत्या करने का आरोपी विजय उर्फ पिंट्या वहशी और कामुक प्रवृत्ति का है। वह इसके लिए तंत्र–मंत्र का भी सहारा लेता था। बालिका से रेप और हत्या करने तथा शव मिलने के बाद वह अपने ससुराल महाराष्ट्र भाग गया था। 18 अगस्त को तांत्रिक नर्मदा प्रसाद बैरागी को फोन कर उसने अपराध कबूला था। आरोपी विजय बालिका को चॉकलेट का लालच देकर साथ ले गया था और रेप कर हत्या कर दी थी।

जिला धार

एच.डी.एफ.सी. बैंक शाखा में 1.28 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला बैंक कैशियर क्राइम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में। 01 वर्ष से फरार चल रहा था आरोपी, गिरफ्तारी हेतु 10 हजार रुपये के ईनाम की उद्घोषणा जारी की गई थी। इन्दौर, देवास, खण्डवा में आरोपी फरारी काट रहा था। खर्चा चलाने के लिये आरोपी स्वयं की पहचान छुपाकर, जोमेटो एप्लीकेशन के जरिये फूड डिलीवरी का काम करने लगा था। आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।

उज्जैन जोन

जिला उज्जैन

1. 34 लोगों का बीमा कर हत्या करने वाले सीरियल किलर को उम्रकैद

थाना जीवाजीगंज उज्जैन में दिनांक 10.01.2006 को सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात आरोपी द्वारा दिलीप पंडया के मकान में घुसकर धारदार हथियार से उसके गले में गंभीर चोट पहुंचाई है घायल को अस्पाताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। रिपोर्ट पर अप.क्र. 18/06 धारा 302, 450 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पर धारा 467, 468, 471, 419, 420, 201, 120–बी भादवि एवं 25, 27 आयुध अधिनियम का इजाफा किया गया। विचारण के दौरान दोषसिद्ध पाये जाने पर माननीय न्यायालय अष्टम् अपर सत्र न्यायाधीश, जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 05.08.2019 को आरोपी सिराज मोहम्मद एवं अश्विनी पंड्या को आजीवान कारावास की सजा से दंडित किया।

2. खेतों में खड़े बिजली के खंबे तोड़कर लाइनों के तार चोरी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

पिछले कई महिनों से उज्जैन जिले के सांवेर और चंद्रवतीगंज थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के खंबो के लाइनों के तार चोरी की लगातार घटनायें हो रही थीं जिस पर थाना सांवेर में अप.क्र. 251/19 एवं 408/19, 434/19, 435/19, 452/19, 461/19, 465/19 धारा 136 म.प्र. विद्युत अधिनियम एवं 379,411 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी सेठी चौहान, विजय उर्फ भैयालाल, रामेश्वर उर्फ कालू, संजय यादव, अकील सभी निवासी उज्जैन को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने नागपुर, पानोड, टाकुन, चिमली, राजोदा, सोलसिंदा में विद्युत लाइन के तार चोरी करना बताया, जिनके पास से 20 क्विंटल के एल्युमीनियम के तार कीमत 11 लाख रुपये एवं एक टवेरा कार जप्त किये गये।

3. तीन साल पूर्व हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश

थाना बड़नगर उज्जैन, दिनांक– 23.04.2019 तीन साल पूर्व हुए अंधे कत्ल का पर्दाफाश–पिस्टल, रिवाल्वर, लोहे की रॉड सहित तीन आरोपी गिरफ्तार–दिनांक 16.03.2016 की रात्रि के समय बड़नगर कस्बे के समीप चने से भरे ट्रक क्रमांक टीएन–34 डब्ल्यू/5459 के ट्रक ड्रायवर सुब्रमणी जे. पिता जयावेल उम्र 37 साल निवासी ग्राम सातुर तहसील कोचमपल्ली जिला कृष्णागिरी तमिलनाडू की अज्ञात बदमाशों द्वारा ट्रक के केबिन में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी, पुलिस द्वारा तीन वर्ष पुराना अनसुलझा हत्या के प्रकरण का पर्दाफाश करने में सफलता प्राप्त की गई।

4. दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

थाना महाकाल पर अपराध क्रमांक 324/19 धारा 363 भादवि एवं वृद्धि धारा दिनांक 07.06.2019 को 302, 201, 449 भादवि एवं वृद्धि धारा दिनांक 08.06.2019 को 366, 376 (ए–बी) एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम एवं 3(2)5 अजा/अजजा अधिनियम पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को दिनांक 08.06.2019 को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर चालान क्रमांक 249/27.06.2019 का तैयार किया जाकर माननीय न्यायालय में स्पेशल केस नंबर 97/27.06.2019 पर प्रस्तुत किया गया। माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय (श्री विजय कुमार पाण्डेय) उज्जैन द्वारा दिनांक 31.08.2019 को निर्णय पारित कर आरोपी शिवा राव उज्जैन को आजीवन करावास 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

जिला मंदसौर

1. कुख्यात अंतर्राज्यीय ''घोड़ासन गैंग (मोतीहारी) बिहार'' का पर्दाफाश आठ अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार, 15 लाख रुपये के मोबाइल बरामद

सिटी कोतवाली में दिनांक 6–7 मार्च 2019 की रात्रि में गांधी चौराहा मंदसौर में श्री विक्रम गुर्जर की सैमसंग मोबाइल शॉप में अज्ञात आरोपियों द्वारा दुकान की शटर का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपये मूल्य के सैमसंग कम्पनी के मोबाइल चुरा ले गये। रिपोर्ट पर अप.क्र. 172/19 धारा 457,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के आरोपीगण को गिरफ्तार कर मोबाइल जप्त किये गये।

2. सनसनीखेज हत्याकांड ''हत्यारे 48 घंटे में पुलिस गिरफ्त में''

दिनांक 17.01.2019 को नगर पालिका मंदसौर अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार को नई आबादी जिला सहकारी बैंक के सामने 19:00 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई। जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा ऑटो–रिक्शा में डालकर जिला चिकित्सालय मंदसौर ले जाया गया जहां पर श्री बंधवार की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा घटना के 48 घण्टों के भीतर ही वारदात का खुलासा कर मुख्य अभियुक्त मनीष बैरागी को प्रतापगढ़ राजस्थान से तथा वारदात में सहयोग देने वाले अजय जाट को मंदसौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला नीमच

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई

दिनांक 07.02.2019 को शाम 6:00 बजे दिनेश पिता नाथूलाल बांछड़ा ग्राम बार्डिया से मनासा नोट्स लेने गया था जो वापस नहीं आया। रात्रि 20:30 बजे उसकी बहन ज्योति के मोबाइल पर फोन आया एवं 20 लाख की फिरौती मांगी गयी। सूचना पर पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 74/19 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 11.02.19 को पुनः सूचना प्राप्त हुई की एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पालना तलाई मनासा के पास कुंए में तैर रही है। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर लाश की पहचान कराई गई तो वह लाश अपहृत व्यक्ति दिनेश बांछड़ा की पाई गई। विवेचना उपरांत नीमच पुलिस द्वारा घटना के चार दिवस के भीतर ही अंधे कत्ल का खुलासा कर वारदात में शामिल तीनों आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला रतलाम

1. वैज्ञानिक अनुसंधान से मिली रतलाम पुलिस को बड़ी सफलता

दिनांक 23.01.2019 को सुबह 8:30 बजे 100 डायल पर फोन से सूचना मिली की ग्राम कमेड थाना बिलपांक मे हिम्मत पाटीदार उम्र 36 साल निवासी कमेड की अज्ञात आरोपी द्वारा उसी के खेत पर हथियार से गला रेत कर नृशंस हत्या कर मृतक के चेहरे को जला दिया गया मदन बलाई भी लगभग हिम्मत पाटीदार की उम्र व कद–काठी का था। हिम्मत पाटीदार द्वारा अपनी उधारी का रुपये चुकाने हेतु पहले अपना बीमा करवाया गया बाद उक्त घटनाक्रम को सुनियोजित तरीके से रचा गया, ताकि हिम्मत की मृत्यु की पुष्टि होने पर उसके द्वारा कराये गये बीमे की राशि परिवार वालों को मिल सके। आरोपी हिम्मत पाटीदार को गिरफ्तार कर अनसुलझे हत्याकाण्ड का खुलासा किया गया। घटना के संबंध में थाना बिलपांक जिला रतलाम में अप.क्र. 44/19 धारा 302,201 भादवि का पंजीबद्ध किया गया।

2. ट्रक कंटेनर से नई कारें चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

थाना बिलपांक, दिनांक 27.02.2019 को किशोर ट्रांसपोर्ट मारूती कंपनी गुड़गांव हरियाणा के ट्रक ड्रायवर मोहम्मद फराज अहमद द्वारा रिपोर्ट की गई कि उसने दिनांक 16–17 फरवरी 2019 की मध्यरात्रि में बिलपांक टोल प्लाजा के पास अपना ट्राला खड़ा कर चाय पी, वहीं दो अन्य लोगों ने भी उसे बातों में लगाकर उसके साथ चाय पी थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गया

इसी बीच अज्ञात आरोपीगण उसके कंटेनर को बदनावर तक ले गये तथा कंटेनर में भरी एक ब्रेज़ा कार एक अल्टो कार, दो क्रेटा कार एवं ट्रक का इंजन कुल कीमत 70 लाख रुपये कंटेनर में से उतारकर चुराकर ले गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण की पहचान स्थापित कर हरियाणा में पुलिस का जाल बिछाकर वारदात करने वाले गैंग के दो आरोपियों मनोज दाहिया तथा महेश जाट को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से उपरोक्त पूरा मश्रुका बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3. अवैध हथियार बरामद

थाना बिलपांक, पुलिस के ऑपरेशन सफाया के चलते 6 आरोपियों के पास से कुल 6 पिस्तौल, कारतूस, मैगजीन, 2 बारह बोर देशी कट्टे सहित अवैध हथियार बनाने के औजार जप्त किये हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी आदतन बदमाश हैं जिन पर अलग-अलग थानों में दर्जनों प्रकरण पहले से पंजीबद्ध हैं। घटना के संबंध में थाना बिलपांक में अप.क्र. 414/19 धारा 25,27,35 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।

जिला देवास

''नकली नोट बनाने वाला रैकेट पकड़ाया''

दिनांक 01.04.2019 को थाना प्रभारी कोतवाली देवास श्री महेन्द्र परमार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 03 लोग नकली नोट लेकर देवास की तरफ आने वाले हैं। जिन्हें उज्जैन रोड के ब्रिज के पास गार्डन में क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना स्टाफ की मदद से पकड़ा जिनके पास से 17 हजार कीमत के 50-50 रुपये के नकली नोट बरामद हुये। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह पिछले, 4-5 महीने से नकली नोट बटर पेपर पर कलर प्रिंटर एवं स्केनर की सहायता से आरोपी नौशाद के घर पत्थर मुण्डला इन्दौर में बनाते थे और बाजार में चलाते थे। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से लगभग 01 लाख 60 हजार रुपये के नकली नोट एवं नकली नोट छापने के उपकरण बटर पैपर,स्कैनर व कलर प्रिंटर जब्त किये गये हैं।

जिला शाजापुर

1. पुलिस द्वारा 02 दिन में 10 माह का अपहृत बालक बरामद

दिनांक 06.01.2018 को फरियादी मुकेश की रिपोर्ट पर थाना बैरछा में अप.क्र. 06/2018 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, प्रकरण में अपहृत बालक उम्र 10 माह जो घर से अचानक गायब हो गया था को पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास कर अपहृत बालक को देवास से बरामद कर ही लिया और अपहरणकर्ताओं को भी धर दबोचा। बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि अपहरण काण्ड का मास्टरमाइंड आवेदक का भांजा राकेश पिता मनोहरलाल कारपेन्टर निवासी देवास है। इस संबंध में रहवासियों द्वारा पुलिस के कार्य की दिल से सराहना की गई।

2. दिन दहाड़े लाखों रुपये की चोरी करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

आदित्य नगर शाजापुर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपीगण को लालघाटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लाखों रुपये का मशरूका बरामद करने में सफलता हासिल की है। 17 जुलाई 2019 को आदित्य नगर निवासी देवीसिंह पिता रमेशचंद्र वर्मा और शिक्षिका मनोरमा जोशी के घर पर अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोलते हुए लाखों रुपये के आभूषण चोरी कर लिए थे, जिस पर से थाना लालघाटी में अप.क्र. 151/19 धारा 454,380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों की तलाश कर पुलिस टीम द्वारा हरदा में दबिश देकर सरोज पिता लखन पारदी उम्र 28 वर्ष, राकेश पिता गोपाल सिंह उम्र 40 वर्ष और विनोद पिता गुलाबचंद्र उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से बरामद किए गए सामान की कुल कीमत 5 लाख 8 हजार रुपये आंकी गई है।

जबलपुर जोन

जिला जबलपुर

वर्ष 2018 की अपेक्षा जिला जबलपुर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह जिले छिन्दवाड़ा एवं संपूर्ण जोन में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, वाहन चोरी, गृह भेदन, साधारण चोरी, बलात्कार, महिला के विरुद्ध अपराधों में एक ओर जहां भारी कमी आई है वहीं पुलिस द्वारा की गई सकारात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप अवैध हथियार, मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, अवैध विस्फोटक, अवैध उत्खनन इत्यादि करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही में भी पिछले वर्ष 2018 की अपेक्षा इस वर्ष काफी अधिक वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध घटित अपराध मे 18.2% की कमी एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के विरुद्ध घटित अपराध मे 20.3% की गिरावट आई है। वर्ष 2018 में 22624 गिरफ्तारी/स्थायी वारंटों की तामीली की अपेक्षा इस वर्ष 25584 गिरफ्तारी/स्थायी वारंटों की तामीली हुई है, गिरफ्तारी वारंट तामीली 86.2% एवं स्थायी वारंट तामीली 47% रही है। संपत्ति संबंधी अपराधों में डकैती, लूट, गृहभेदन, साधारण चोरी, वाहन चोरी, पशु चोरी में वर्ष 2018 में बरामदगी 37% थी था जिसे वर्ष 2019 में इसमें सुधार कर 48% लाने में सफल रहे हैं।

यातायात दुर्घटनाओं के अंतर्गत गत वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 मे कुल दुर्घटनाओं मे 3.8% की कमी एवं मृतकों की संख्या में 1.1% की कमी आई है। जघन्य सनसनीखेज चिन्हित अपराधों जैसे– हत्या, बलात्कार इत्यादि में वर्ष 2019 मे कुल 57 प्रकरणों (आजीवन कारावास की सजा – 43) में आरोपियों को सजा होकर सजायाबी 70.4% रही है, जो कि प्रदेश की औसत सजायाबी 66% से अधिक है। इसी प्रकार जोन के जिले नरसिंहपुर एवं सिवनी सी.एम. हेल्पलाइन में लगातार पूरे वर्ष प्रथम अथवा द्वितीय स्थान हासिल करने में सफल रहे हैं।

1. जबलपुर : सायबर पुलिस की सफलता

जोनल सायबर पुलिस ने पकड़े एक ही IMEI पर चल रहे 01 लाख से अधिक मोबाइल नंबर :– प्रत्येक मोबाइल फोन में एक यूनिक International Mobile Equipment Identity (IMEI) होता है जो कि मोबाइल को एक विशिष्ट पहचान देता है और जिसे बदलना अब एक दण्डनीय अपराध है, जिसके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा 25 अगस्त 2017 को अधिसूचना जारी करते हुए ''मोबाइल युक्ति उपस्कर पहचान संख्या में छेड़छाड़ का रोका जाना नियम 2017 बनाया गया हैं।'' जिसमें IMEI को बदला जाना अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। Zonal Cyber Cell को मोबाइल फोन की IMEI अवैधानिक रूप से बदले जाने की सूचना मिली तो इसमें कार्यवाही करते हुए उसने एक व्यक्ति को पकड़ा जिससे पूछताछ उपरांत एक मोबाइल शाप (सिद्धि विनायक मोबाइल शॉप जयंती काम्प्लेस ओमती) द्वारा यह अवैधानिक कार्य किया जाना पाया गया। वहा से IMEI बदलने के उपकरण भी जप्त किये गये हैं व उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदीप ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है।

जबलपुर की जोनल सायबर सैल के द्वारा इस IMEI की ऑल इंडिया सर्च कराने पर पाया गया कि देश भर में 01 लाख से अधिक मोबाइल उपकरण एक ही IMEI पर चल रहे हैं। पुलिस द्वारा ऐसे 125 से अधिक मोबाइल उपकरण धारकों से सम्पर्क करने पर मोबाइल प्राप्त हुए हैं जिसमें उपरोक्त IMEI होना पाया गया है। ये मोबाइल उपकरण कुछ लोगों को गिरे पड़े मिले हैं या कुछ लोगों द्वारा सेकेन्ड हैंड क्रय किये गये हैं। इन लोगों से सम्पर्क कर विस्तृत पूछताछ कर कार्यवाही जारी है। इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक ही IMEI पर जहां एक ही उपकरण दर्ज होना चाहिए वहां 01 लाख से अधिक मोबाइल उपकरण देशभर में चल रहे हैं जो कि सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित है। ये उपकरण चोरी या अन्य अपराधों से संबंधित भी हो सकते हैं एवं इसकी पहचान छुपाने की नियत से इनका IMEI बदले जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में 50 हजार से अधिक नंबरों की सूची तैयार की गई है जिसमें देशभर में इसी IMEI पर चल रहे मोबाइल नंबरों की जानकारी भी सम्मिलित है और पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा इस सूचना पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर Central Equipment Identity Register (CEIR) में यह IMEI नंबर डालने के पश्चात् इन सभी मोबाइल नंबरों को नेटवर्क से बाहर किया जा सकें।

2. शेर की खाल बरामद

थाना कोतवाली जबलपुर के अपराध क्रमांक 79/19 धारा 5,9,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रकरण में आरोपी स्नेह पिता नारायण सरेयाम उम्र 29 साल साकिन वार्ड नं. 12 बालाजी नगर थाना कुण्डीपुरा को गिरफ्तार किया जा कर आरोपी के कब्जे से एक शेर की खाल कीमती 7,00,000/- रु. की जप्त कर विवेचना की जा रही है।

3. जबलपुर पुलिस ने 16 लाख की अफीम के साथ आरोपी को पकड़ा

दूसरे प्रदेशों से लाया जाने वाला मादक पदार्थ जबलपुर में खपाया जाता है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार दिनांक 11.07.2019 को जिला जबलपुर में एसटीएफ की टीम ने दीनदयाल चौक बस स्टैण्ड के पास राजस्थान से आए तस्कर मोतीलाल माली को पकड़कर, उसके कब्जे से 16 लाख रुपये कीमत की अफीम बरामद की। एसटीएफ के अनुसार ग्राम बकानी जिला झालावाड राजस्थान निवासी मोतीलाल उर्फ राजू लंबे समय से अफीम लाकर जबलपुर सहित आस-पास के जिलों में सप्लाई कर रहा था। संदेह होने पर एसटीएफ की टीम ने मोतीलाल का पीछा करते हुए उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर मोतीलाल के बैग से 4 किलो 300 ग्राम अफीम मिली, जिसकी कीमत 16 लाख रुपये आंकी गई है।

4. जबलपुर में ग्रामीण बैंकों में चोरी में संलिप्त शातिर गैंग गिरफ्तार

थाना शहपुरा में पुलिस द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण बैंकों में चोरी करके करोड़पति बनी गैंग के पांच सदस्यों को जबलपुर पुलिस की टीम ने यूपी के एटा शहर से पकड़ा है। गैंग के सदस्यों ने विगत् 2 फरवरी को जबलपुर के शहपुरा स्थित सहकारी बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुये 80 लाख रुपये चोरी की सूचना पर पुलिस की टीम ने एक संदेही युसूफ अली को पकड़ा, जिसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए। थाना शहपुरा में इस संबंध में अप.क्र. 76/19 धारा 457, 380 भादवि का प्रकरण दर्ज होकर विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक श्री आसिफ इकबाल द्वारा की गई।

जिला छिंदवाड़ा

1. छिंदवाड़ा पुलिस को मिली सफलता, पकड़ा गया अवैध हथियार तस्करों का गिरोह

मनोज राय, पुलिस अधीक्षक जिला छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन में विशेष पुलिस टीम द्वारा अवैध हथियारों के तस्कर इमरान आलम निवासी चांदामेटा को पकड़ा गया, जिसके घर से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। पकड़े गये आरोपी से सघन पूछताछ की गयी, जिसने पूछताछ पर बुरहानपुर, खरगौन एवं मैनपुरी (उत्तरप्रदेश) से अवैध हथियारों की तस्करी कर छिन्दवाड़ा लाकर बेचना बताया। इमरान आलम के साथ अवैध हथियारों की तस्करी एवं बेचने में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ा जाकर उनके पास से पिस्टल 14 नग, कट्टे 06 नग, रिवाल्वर 02 नग कुल 22 शस्त्र बरामद किये गये हैं।

2. एटीएम से 67 लाख उड़ाने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में

थाना जुन्नारदेव अंतर्गत दिनांक 24-25 जुलाई 2019 की दरम्यानी रात 03 एटीएम को गैस कटर से काटकर 67 लाख रुपये की चोरी की घटना को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट पर थाना जुन्नारदेव जिला छिन्दवाड़ा में अप.क्र. 227/19 एवं 228/19 धारा 457, 380 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है प्रकरण में दिनांक 11.08.19 को 04 आरोपियों को महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा एवं राजस्थान से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इन आरोपियों से वैरिटो कार, बलेनो कार, गैस सिलेंडर, कटर एवं 06 नग मोबाइल जप्त किये गये।

3. थाना मोहखेड़ा अंतर्गत दिनांक 26.07.2019 की रात्रि में घर में घुसकर डकैती कर मर्डर करने संबंधी अनसुलझे प्रकरण में अज्ञात आरोपियों को ज्ञात किया जाकर 8 आरोपियों (नागपुर एवं मंडला के) को पकडने में सफलता प्राप्त की गयी।

4. अंतर्राज्यीय चोर गिरोह गिरफ्तार

जिला छिंदवाड़ा अंतर्गत थाना कोतवाली में शिवपुरी जिला जेल से छूटे शातिर अपराधी सचिन वाल्मिकी निवासी मुरार, ग्वालियर से पूछताछ करने पर उसके द्वारा जेल से छूटने के उपरांत की गई 28 चोरी की वारदातों का खुलासा – अपराधी सचिन वाल्मिकी के द्वारा जिला छिंदवाडा के थाना कोतवाली, कुंडीपुरा, जिला होशंगाबाद के थाना इटारसी, जिला नागपुर, उज्जैन, भोपाल एवं हैदराबाद में चोरी करना पाया गया। इसके साथी अजय चपटा निवासी मुरार ग्वालियर एवं राजकुमार लालवानी निवासी छिंदवाड़ा से 03 अपराधों मे 11,35,000/– रुपये का मशरूका स्विफ्ट कार, बुलेट मोटर साइकिल, यामाहा मोटर साइकिल, चांदी के जेवर, बर्तन, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि जप्त किया गया। इसी प्रकार प्रमोद उईके एवं 04 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर, उनके द्वारा 07 अपराधों मे चोरी किया गया मशरूका स्कूटी, मोटर साइकिल, एल.ई.डी. टी.वी., होमथियेटर, सोने चांदी के जेवरात इत्यादि कुल मशरूका 5,16,000/– रुपये का बरामद करने मे सफलता प्राप्त की गयी।

5. सराफा व्यापारी की दुकान में 19 लाख की चोरी का खुलासा

थाना बिछुआ अंतर्गत खमरा ज्वैलर्स से अज्ञात आरोपी द्वारा सोने चांदी के जेवरात एवं नगदी की चोरी के प्रकरण में आरोपी गैंग बब्लू सिंह भादा सिकलीगर एवं उसके 05 साथियों को गिरफ्तार कर उनसे जेवरात सहित कुल मशरूका 19,53,470/– रुपये का बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी।

जिला कटनी

1. थाना माधव नगर अंतर्गत कंपनी के मैनेजर के घर में घुसकर मिर्च वाला स्प्रे डालकर 11 लाख रुपये की डकैती के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों को ज्ञात कर गिरफ्तार कर सफलता प्राप्त की गयी। इस घटना की पतारसी में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि आरोपियों द्वारा फ्लिप कार्ट (Flip Cart) से मिर्ची स्प्रे मंगवाया गया था। पुलिस द्वारा कटनी जिले में Flip Cart से संबंधित कोरियर एजेंसियों से जब बातचीत कर उनके रिकार्ड का अध्ययन किया गया तब यह पाया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति ने कुछ दिन पूर्व **"Pepper Spray"** मिर्ची वाला स्प्रे मंगवाया था जिस तथ्य पर से आगे जाकर पुलिस द्वारा समस्त गिरोह को पकडकर घटना का पर्दाफाश किया गया।

2. बैंक में रुपये जमा करने गये व्यापारी के 11 लाख रुपये की चोरी कर भाग जाने संबंधी अपराध में सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान कर उनके भागने के रास्तों पर उनके वाहन की जानकारी लेते हुए आगरा (उ.प्र.) में आरोपी को ज्ञात कर धौलपुर (राजस्थान) तक पीछा कर जिला राजगढ़ निवासी आरोपियों को गिरफ्तार कर मशरूका बरामद कर सफलता प्राप्त की गयी।

जिला नरसिंहपुर

1. 24 घण्टे के अंदर अन्तर्राज्यीय मूर्ति चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता

पुरातात्विक (Antique) महत्व की 300 वर्ष पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां बरामद नरसिंहपुर थाना गोटेगांव दिनांक 11–12 जनवरी की मध्यरात्रि में अज्ञात आरोपियों द्वारा ग्राम कंजई स्थित अत्यंत प्राचीन राम–जानकी मंदिर में पीछे की दीवार में सेंधमारी कर, मंदिर के अन्दर रखी पुरातात्विक (Antique) महत्व की 300 वर्ष पुरानी अष्टधातु की चार मूर्तियां, जिनमें एक रामजी की, एक लक्ष्मण जी की तथा दो मूर्तियां लड्डू गोपाल जी की वजनी लगभग 60–60 किलोग्राम जिनका बाजार मूल्य लगभग दो करोड़, अट्ठारह लाख छप्पन हजार रुपये है, चुराकर ले गये। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 24/2019 धारा 457, 380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संदेह के

आधार पर आरोपी लवकुश को पुलिस द्वारा ग्राम कंधारपानी से उसके रिश्तेदार के घर से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में लवकुश गौंड़ द्वारा अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया एवं चुराई गई सभी चारों अनमोल प्राचीन मूर्तियां बरामद करवाईं। आरोपीगण को गिरफ्तार कर चालान न्याायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. सनसनीखेज डकैती का खुलासा

थाना करेली अंतर्गत 33 टन मूंग से भरे ट्रक की लूट कर चालक को गोली मारकर नर्मदा नदी में फेंकने व क्लीनर की हत्या कर फेंक देने संबंधी अंधी डकैती के प्रकरण में 09 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त वाहन, लूटा गया ट्रक मूंग सहित, घटना में प्रयुक्त हथियार एवं 25,000 रुपये नगद बरामद कर कुल 47,31,000 रु. की सम्पत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त की एवं अंधी डकैती का खुलासा किया गया।

3. मादक पदार्थ जप्त

थाना स्टेशनगंज के अप.क्र. 756/2019 धारा–8/20, 29 एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 420 भादवि में दिनांक 25.10.19 को मेहमदपुर टोल प्लाजा एनएच–26 मे सुजुकी सियाज कार क्र. एमपी 09 सीएक्स 1256 को रोककर चालक 01–शेख मुनीर उर्फ मुन्ना निवासी तेलंगाना, 02– मोहम्मद आशिक खान निवासी तेलंगाना, तथा 03– प्रदीप निवासी तेलंगाना के वाहन की तलाशी लेने पर डिक्की में 53 पैकेट खाकी रंग के पैकिंग टेप से चिपके हुये पाये गये, जिनमें कुल 01 क्विंटल 05 किलोग्राम गांजा नामक मादक पदार्थ जप्त करने में सफलता प्राप्त की गयी है। आरोपियों द्वारा वाहन की नम्बर प्लेट बदल कर वाहन का संचालन करना भी पाया गया है।

4. पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर ढेर

दिनांक 18.08.2019 को नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत ईनामी कुख्यात बदमाशों विजय यादव एवं समीर खान निवासीगण जबलपुर का झिराघाटी में किसी घटना को घटित करने के उद्देश्य से घूमने की सूचना मुखबिर से मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित कर झिराघाटी पहुंचकर उनकी घेराबंदी की गई। बदमाशों के स्विफ्ट कार में होने तथा उन्हें ओवरटेक कर रोके जाने पर उन्होंने वाहन से उतरकर जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग प्रारंभ कर दी। इस पर पुलिस द्वारा भी आत्म रक्षार्थ गोलियां चलाई गईं। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में प्रधान आरक्षक राजेश शर्मा घायल हो गये। पुलिस की गोलियां भी बदमाशों को लगीं कुछ समय बाद कार में बैठे अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर कार से जबलपुर तरफ भाग गये। घायल बदमाश विजय यादव तथा समीर खान निवासीगण जबलपुर के रूप में पहचाने गये,जिन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में लाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित किया गया। इस संबंध में जिला नरसिंहपुर के थाना सुआतला में अप.क्र. 377/2019 धारा 307 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अपराधी विजय यादव के विरुद्ध जबलपुर जिले में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, अवैध रूप से धन वसूली, आर्म्स एक्ट इत्यादि के 16 अपराध दर्ज हैं। इसी प्रकार इसके गैंग के सदस्य समीर खान पर हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, पुलिस अभिरक्षा से फरार होने, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधि. इत्यादि के 20 अपराध दर्ज है।

5. मोटर सायकिल चोर गैंग को पकड़ने में सफलता

जिला नरसिंहपुर अंतर्गत थाना गाडरवारा में अंतर्जिला वाहन चोर 09 सदस्यीय गैंग को पकड़ा जाकर उनसे 28 मोटर साइकिल चोरी की जप्त करने में सफलता प्राप्त की गयी। गैंग द्वारा उक्त मोटर साइकिल जिला भोपाल, होशंगाबाद, पिपरिया इत्यादि जगहों से चोरी कर लाकर मजबूरी बताकर दूसरों को बेच दी जाती थी।

बालाघाट जोन

जिला बालाघाट

1. मानव तस्कर गैंग पकड़ाया

थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गुम ईंसान क्र. 32/19 की गुमशुदा नवयुवती उम्र 19 वर्ष की गुमशुदगी दिनांक 04.05.2019 को उनके पिता श्री जियालाल मर्सकोले द्वारा दर्ज करायी गई थी।

जांच में पाया गया कि गुमशुदा की मुँह बोली दीदी संगीता इनवती के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपनी साथी बेबी सिडाम, प्रदीप हनवत के सहयोग से गुम पीड़िता को केटरिंग का काम दिलाने के बहाने से बारासिवनी, गोदिंया, तिरोड़ा बेयडिपार ले जाकर शारीरिक शोषण जयदेव अगासे के द्वारा गोदिंया में बेबी सिडाम के घर पर किया गया तथा प्रदीप हनवत के द्वारा पूजा काबरा निवासी प्रेमनगर कोटा की मदद से जयदेव अगासे के घर पर भी शारीरिक शोषण किया गया था। आरोपीगण द्वारा एकमत होकर षड़यंत्र रचकर योजना बनाकर आरोपी शंकर पांचाल निवासी बजरंगगढ़ जिला बारा राजस्थान को रुपये 50,000 में अनैतिक देह–व्यापार हेतु विक्रय किया गया तथा आरोपी शंकर पांचाल द्वारा दिनांक 04.05.2019 से 17.05.2019 तक घर में बंद कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गई। गुमशुदा युवती को दस्तयाब कर लिया गया है।

2. बालाघाट में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में दो नक्सली धराशायी

दिनांक 09.07.2019 को उप निरीक्षक अमित सैय्याम हॉक फोर्स एसटीजी को पुलिस अधीक्षक बालाघाट से सूचना प्राप्त हुई थी कि, 10–12 नक्सलवादी थाना लांजी के नेवरवाही पुजारी टोला प्रेमलाल टेकाम के घर आकर किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना पर बताये गये स्थान की घेराबंदी की गई। रात्रि करीब 01:00 से 01:30 बजे के बीच कुछ व्यक्ति टार्च लेकर बाहर निकले उनकी टार्च की रोशनी में वे व्यक्ति नकली वर्दी में हथियार लिये नजर आये, जिन्हें तत्काल पुलिस की पहचान बताकर समर्पण करने के लिये जोर से आवाज दी गई। जिस पर नक्सलियों ने पुलिस को जान से मारने की नियत से तथा हताहत करने हेतु अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस बल ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। कुछ देर पश्चात् जंगल की ओर लोगों के भागने की आवाजें आईं, जिस पर पुलिस द्वारा समर्पण के लिये ललकारा गया। नक्सली पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुये भाग गये। फायरिंग रुकने पर इलाके की सर्चिंग में काले कपड़ों में पुरुष नक्सली अशोक उर्फ मंगेश एसएलआर 7.62 बाडी नं. 167867 के साथ तथा एक महिला नक्सली 315 बोर की रायफल के साथ मृत मिले। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर उक्त सभी आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र कुमार यादव द्वारा की जा रही है। मध्यप्रदेश में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी जिला बालाघाट एवं सैनानी हॉक फोर्स श्री तरूण नायक के नेतृत्व में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में दो नक्सलियों को धराशायी करने पर दोनों शीर्ष अधिकारियों के उत्साहवर्धन हेतु शस्त्र पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

ग्वालियर जोन

जिला ग्वालियर

1. फर्जी पत्रकार गिरोह गिरफ्तार

थाना महाराजपुर द्वारा 5 फर्जी पत्रकार गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपीगण ने यू–ट्यूब पर ईएनएन नाम से चैनल खोला और उसके बाद वह चिटफंड कंपनियों की तलाश कर स्वयं को पत्रकार बताकर उनको ठगने का काम करने लगे। आरोपियों के पास से विभिन्न प्रेस पत्रिका के माइक एवं पहचान पत्र जप्त किये गये। आरोपियों के विरुद्ध थाना महाराजपुरा में अप.क्र. 565/19 धारा 384 भादवि का पंजीबद्ध किया गया। गिरोह का मास्टरमाइंड भगवान बसंत इंजीनियर है जो इंटरनेट पर शेयर ब्रोकर/चिटफंड कंपनी के ऑफिस का विज्ञापन देखकर अपने साथियों के साथ उन्हें ठगने की योजना बनाता था। आरोपियों द्वारा पूर्व में आगरा और जयपुर में भी इसी तरह की वारदात करने की जानकारी मिली है।

2. सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर तंत्र के आधार पर संगठित गिरोह गिरफ्तार

ग्वालियर शहर में विगत दिनों हुई सनसनीखेज लूट की घटनाओं में संलिप्त संगठित गिरोह को सीसीटीवी फुटेज एवं मुखबिर तंत्र के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों द्वारा शहर में 06 लूट की घटनाओं को अंजाम देना बताया है, जिसमें थाना विश्वविद्यालय के अपराध क्रमांक 217/18 धारा 394 भादवि 11/13 एमपीडीके एक्ट एवं अपराध क्रमांक 218/18 धारा 307,34 भादवि 11/13 एमपीडीके एक्ट एवं 368/19 धारा 394, 397 भादवि 11/13 एमपीडीके एक्ट, थाना कोतवाली का अपराध क्रमांक 204/19 धारा 392 भादवि 11/13 एमपीडीके एक्ट एवं थाना कम्पू का अपराध क्रमांक 283/19 धारा 302, 307, 394, 396, 397 भादवि 11/13 एमपीडीके एक्ट एवं महाराजपुर की घटनायें शामिल हैं।

3. क्राईम ब्रांच ने दो स्मैक कारोबारियों को 15 लाख रुपये की स्मैक के साथ किया गिरफ्तार

दिनांक 03.02.19 को थाना क्राईम ब्रांच टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर राधास्वामी सत्संग आश्रम के सामने ग्वालियर भिण्ड रोड पर नाकाबंदी कर चैकिंग के दौरान एक लाल रंग की पल्सर गाड़ी मोटर साइकिल क्र.– MH-06-MM-9439 जिस पर दो व्यक्ति सवार थे, उन्हें रोककर 1. सिकन्दर एवं 2. रजत वर्मा की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक, कीमत 15 लाख रुपये की मिलने पर विधिवत जप्त कर दोनों स्मैक कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया।

4. अन्तर्राज्यीय कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

50 हजार का ईनामी अन्तर्राज्यीय कुख्यात बदमाश अजय जडेजा और पुलिस अभिरक्षा से फरार 30 हजार का ईनामी भीमा यादव एवं उसके साथियों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से तीन पिस्टल व 20 जिंदा राउण्ड, तीन कट्टे मय 16 जिंदा राउण्ड तथा दो कार बरामद किये।

5. क्राईम ब्रांच ग्वालियर की सफलता

क्राईम ब्रांच ने दो हथियार तस्करों को 315 बोर के 10 देशी कट्टे तथा 150 जिंदा राउण्ड सहित किया गिरफ्तार दिनांक 06.06.2019 को थाना क्राईम ब्रांच टीम द्वारा 315 बोर के 10 देशी कट्टे, 315 बोर के 20 तथा 32 बोर के 130 जिंदा राउण्ड कीमती सत्तर हजार रुपये के विधिवत जप्त कर आरोपी 1. प्रेमसिंह नरवरिया पुत्र केदार सिंह नरवरिया निवासी दोनियापुरा थाना गोरमी जिला भिण्ड 2. महेन्द्र रावत पुत्र स्व. रामजीलाल रावत निवासी खेड़ापति मंदिर के पास, राजपुरा रोड़ जिला शिवपुरी को गिरफ्तार किया।

जिला गुना

1. गुना पुलिस को मिली बड़ी सफलता अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक गुना श्री राहुल कुमार लोढा के निर्देशानुसार जिले में संचालित अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान केन्ट पुलिस को अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर कजोड़ मीना पुत्र हीरालाल मीना निवासी ग्राम बटगांव, थाना हरनावदा, जिला बारा, राजस्थान को 280 ग्राम स्मैक पावडर कीमत लगभग 56 लाख के साथ गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

2. तस्करों से भारी मात्रा में गाँजा बरामद

नशे के खिलाफ गुना पुलिस की कार्यवाही में काफी हद तक नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले बड़े–बड़े माफिया भी पुलिस की पकड़ में आये हैं। इसी क्रम में कपड़ों के बीच रखकर भारी मात्रा में गाँजा ले जा रहे अंतर्राज्यीय तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आये हैं। तस्करों से 40 किलो गाँजा भी बरामद किया गया है। यह गाँजा तस्कर उड़ीसा राज्य के जिला सुभारणपुर के रहने वाले हैं जो कि उड़ीसा से भारी मात्रा में गाँजा ले जाकर राजस्थान के बारा जिले में पहुंचाने वाले थे।

3. वृद्ध महिला की हत्या में पूर्व नौकर गिरफ्तार

दिनांक 11.05.2019 को श्री धर्मचंद्र पुत्र मानकचंद्र बत्रा निवासी पंजाबी मोहल्ला गुना ने रिपोर्ट की, कि मैं रोजाना की तरह अपनी दुकान पर चला गया था मेरा लड़का व बहू इंदौर में थे मेरी पत्नी सुदर्शन बत्रा उम्र 76 साल घर में अकेली थी। रात के समय मैं दुकान से घर वापस गया घंटी बजाई तो पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने खिड़की के कांच तोड़कर दरवाजा खोलकर अंदर जाकर देखा तो पत्नी रसोई में ओंधे मुंह खून में लथपथ पड़ी हुई थी एवं मकान के बेडरूम में अलमारी टूटी

हुई थी व अलमारी में रखे करीब 11 लाख रुपये गायब थे। प्रकरण में लगातार विवेचना करने पर ज्ञात हुआ कि इन लोगों का पूर्व नौकर रवि घटना के 01–02 दिन पूर्व घटना स्थल के आस–पास घूमता नजर आया है, जिसे लक्ष्मी नगर बूढ़े बालाजी गुना से लाकर पूछताछ करने पर बताया कि वह चोरी करने की नियत से घर में घुसा था परन्तु श्रीमती सुदर्शन बत्रा ने उसे पहचान लिया था इसीलिये उसने चाकू से कई वार कर उनकी हत्या कर 11 लाख रुपये लूटकर ले गया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटा गया मशरूका 10, 75, 150 रुपये, हत्या में प्रयुक्त चाकू, लूट के पैसों से खरीदा गया मोबाइल फोन बरामद कर जप्त कर लिया है।

4. ईनामी बदमाश गिरफ्तार

थाना धरनावदा जिला गुना पुलिस द्वारा 88,000 रुपये का ईनामी पारदी बदमाश नंदू पारदी सुल्तानगंज, बिहार से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। दिनांक 24.04.2019 को गिरफ्तारी वारंट नंदू पारदी पुत्र गल्या पारदी उम्र 35 साल निवासी खेजरा चक को सुल्तानगंज बिहार से गंगा नदी के घाट पर से गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपी नंदू पारदी को हत्या सहित नकबजनी एवं 05 अन्य गंभीर प्रकृति के अपराधों में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जिसमें अपील उपरांत जमानत मिलने के बाद आरोपी वर्ष 2010 में फरार हो गया था तथा वेष व नाम बदलकर झारखंड एवं बिहार के विभिन्न शहरों में रह रहा था।

थाना केंट जिला गुना पुलिस द्वारा 75000/– रुपये के ईनामी दो पारदी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की:– दिनांक 15.07.2019 को महूगढ़ा स्टेशन के पास जंगल से 1. शेरू पारदी पुत्र अंबाराम पारदी उम्र 55 साल निवासी ग्राम बीलाखेड़ी थाना धरनावदा 2. लप्पा पुत्र कंवरया पारदी उम्र 55 साल निवासी ग्राम कनेरा थाना धरनावदा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी शेरू पारदी के विरुद्ध 04 स्थायी वारंट तथा आरोपी लप्पा पारदी के विरुद्ध 03 स्थायी वारंट काफी लंबे समय से तामीली हेतु लंबित थे। जिनमें आरोपी शेरू पारदी की गिरफ्तारी पर 40,000/– रुपये एवं आरोपी लप्पा पारदी की गिरफ्तारी पर 35,000/– रुपये के ईनाम की उद्घोषणा की गई थी।

5. नकली नोटों सहित आरोपी गिरफ्तार

थाना म्याना जिला गुना पुलिस द्वारा 2,50,000/– रुपये के नकली नोटों एवं छपाई के सामान के साथ मुख्य सरगना सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई।

जिला शिवपुरी

1. ईनामी आरोपी गिरफ्तार

थाना खनियाधाना जिला शिवपुरी पुलिस द्वारा ईनामी आरोपी गिरफ्तार किये गये। दिनांक 18.03.2019 को थाना सिविल लाईन दतिया के अप.क्र. 69/2019 धारा 457, 380 भादवि में गिर. आरोपी 1– अजय पटवा पुत्र पूरन जाटव निवासी ग्राम मामई थाना दुरषडा दतिया एवं 2– आरोपी विनोद पुत्र रामचरण अहिरवार निवासी सदर से पूछताछ करने पर थाना खनियाधाना के अप.क्र. 205/2018 धारा 457, 380 भादवि के अपराध खनियाधाना में रामजानकी मंदिर के ऊपर लगे एक सोने का कलश चोरी करना स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 30,000 रुपये का ईनाम घोषित था।

2. थाना करैरा जिला शिवपुरी पुलिस द्वारा लूटे 12,00,000 रुपये का माल बरामद किया गया। दिनांक 20.06.2019 को फरि. डिप्टी रेंजर गज्जू राम कोली शिवपुरी की रिपोर्ट पर आरोपी रामकुमार परिहार, महेन्द्र परिहार एवं छः अन्य के विरुद्ध थाना करैरा में अपराध क्रमांक 292/2019 धारा 341, 353, 186, 332, 147, 148, 379 इजाफा धारा 395 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्यवाही कर लूटे गये 12,00,000/–(बारह लाख रुपये) का माल बरामद किया गया।

चम्बल जोन

जिला मुरैना

1. स्मैक जप्त

दिनांक 01.07.19 को आरोपी दीपक पुत्र रामकुमार भारद्वाज नि. वार्ड क्र. 02 मुरैना रोड मेहगांव से 60 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जिसकी कीमत लगभग 06 लाख रुपये है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

2. वैज्ञानिक अनुसंधान से पुलिस को मिली सफलता हत्यारा पति गिरफ्तार

थाना माताबसैया :- दिनांक 7 मार्च 2019 को केशव कॉलोनी मुरैना निवासी देवीनन्दन उपाध्याय की रिपोर्ट पर अप.क्र. 36/19 धारा 394, 397, 302 भादवि, 11/13 एम.पी. डकैती एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। फरियादी द्वारा बताई गई कहानी की तस्दीक से पाया गया कि उसकी चोटें स्वयं द्वारा कारित की गई हैं व उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि आरोपी के अन्य महिला से अवैध संबंध थे जिसकी जानकारी पत्नी को लगने पर स्वयं अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की गई थी और पुलिस को गुमराह करने के लिये फर्जी लूट व हत्या की कहानी गढ़ ली थी। घटना में प्रयुक्त कट्टा, खाली राउण्ड, मोबाइल फोन बरामद कर जप्त कर लिये हैं आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

जिला भिण्ड

चार नाबालिग और महिला की हत्या करने वाले युवक को फांसी की सजा

भिंड शहर के वीरेंद्र नगर इलाके में एक महिला और चार नाबालिगों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने वाले अंकुर उर्फ नीतेश दीक्षित को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एमएल राठौर ने फांसी की सजा सुनाई। युवक ने एक के बाद एक पांच लोगों की गला रेत कर हत्या की थी। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी अंकुर पुत्र राजेश दीक्षित निवासी डॉक्टर पाराशर वाली गली गोविंद नगर के मृतिका रीना शुक्ला से अवैध संबंध थे। जिसके कारण से आरोपी ने हत्या कारित की।

जिला श्योपुर

थाना बरगवां जिला श्योपुर पुलिस द्वारा दिनांक 07.03.19 को अफीम के कटे हुए पौधे ड़ोडा सहित एवं 9 बोरियों में भारी मात्रा में अफीम का डोंडा भरा हुआ पाया गया। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत एक करोड़ दस लाख रुपये है। आरोपी शेखडिया भिलाला, मिट्ठूमारवाडी के कब्जे से जप्त कर अपराध क्रमांक 08/15, 8/18, 8/20 एनडीपीएस एक्ट, धारा 201 भादवि के तहत कार्यवाही की गई।

सागर जोन

जिला सागर

फर्जी लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

फरियादी संदीप पिता प्रताप सिंह लोधी निवासी ग्राम चारटोरिया ने दिनांक 01.04.2019 को थाना सुरखी पर आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत किया कि, बजाज फायनेंस नाम से लोन के संबंध में आकर्षक विज्ञापन प्रकाशित कर अनावेदकगण द्वारा आवेदक से धोखाधड़ी कर किस्तों का 61000/- रुपये प्राप्त किये एवं पुनः 25000/- रुपये की और कमीशन की मांग की गयी। शिकायत पर थाना सुरखी में अप.क्र. 188/19 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एसपी सागर के निर्देशन में सायबर सेल टीम द्वारा अथक प्रयास कर आरोपीगण शिवकुमार, मो. नासिर, सुनील यादव, प्रदीप पिता एवं मनोज वर्मा को गिरफ्तार किया। आरोपियों से भारी मात्रा में फर्जी कागजात लेपटॉप व 23 मोबाइल फोन जप्त किये गये। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाकर रुपये ऐंठने के लिये म.प्र. व छतीसगढ़ के न्यूज पेपर में गणपति फायनेंस, बजाज फायनेंस, रिलायंस फायनेंस के नाम से विज्ञापन दिये थे व प्रत्येक से दो हजार से चार हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम से वसूलते थे।

जिला पन्ना

1. पुलिस द्वारा अंधे कत्ल के दो प्रकरणों का पर्दाफाश

1. थाना सलेहा जिला पन्ना– दिनांक 13.06.2019 को थाना सलेहा की पुलिस टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना के मार्गदर्शन में ग्राम बिकौरा निवासी दयाराम आदिवासी की हत्या के प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतासाजी 24 घंटे के भीतर कर आरोपी लाल्ले उर्फ वकील पिता हरभजन आदिवासी उम्र 55 वर्ष निवासी बिकौरा को केन नदी के किनारे घेराबंदी कर दस्तयाब कर गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई। घटना की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि थाना सलेहा अंतर्गत ग्राम बिकौरा में दिनांक 11.06.2019 से 12.06.2019 की दरम्यानी रात्रि दयाराम आदिवासी पिता बन्धेजा आदिवासी की रात्रि में चारपाई पर सोते समय आरोपी द्वारा कुल्हाड़ी से मार कर निर्मम हत्या कर दी थी जिस पर थाना सलेहा में अप.क्र. 54/19 धारा 302 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।

2. फरियादी मंगल पिता जोराबल अहिरवार उम्र 50 वर्ष नि. बेरखेड़ी थाना बण्डा द्वारा अपनी पुत्री कु. रामवती उम्र 11 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला–फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 ताहि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। दिनांक 14.02.19 को ग्राम भंडराना के पास बेरखेरी मौजा हार से बालिका का सिर कटा शव प्राप्त हुआ जिसकी पहचान कु. रामवती पिता मंगल अहिरवार के रूप में किए जाने पर मर्ग क्र. 31/19 द.प्र.सं. पंजीबद्ध कर प्रकरण में धारा 302, 201, 376(2) (एफ),376(2)(आई), 376 –ए, 376डी, 377 ताहि 5/6 पॉक्सो एक्ट इजाफा किया गया। अज्ञात आरोपियों को पते में लाकर आरोपीगण को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

3. थाना बृजपुर जिला पन्ना की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.06.19 को सुखेन्द्रा कोल हत्याकाण्ड के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर आरोपी रामदीन को 12 बोर का देशी कट्टा तथा जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता पाई है। दिनांक 10.06.19 के प्रातः 07 बजे ग्राम मोहनपुरवा के शासकीय स्कूल के सामने रोड के किनारे एक शव पड़ा होने की सूचना थाना बृजपुर में प्राप्त हुई थी उक्त शव की पहचान सुखेन्द्रा कोल पिता सुखदिन्ना कोल उम्र 22 वर्ष निवासी भसूड़ा के रूप में की गई। सूचना पर थाना बृजपुर में अप.क्र. 105/19 धारा 302 भा.द.वि का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के अनुसंधान पर पाया गया कि मृतक माह जनवरी 2019 में मोहनपुरवा की एक लड़की को लेकर कहीं बाहर चला गया था, इसी बात को लेकर उस लड़की का पति आरोपी रामदीन द्वारा अपने साथी धन्नू कोल एवं सोनू कोल निवासी ग्राम बगरहा थाना मारकुण्डी जिला चित्रकूट उ.प्र. एवं सह बाल अपचारी अपने छोटे साले के साथ दिनांक 10.06.19 की रात्रि करीबन 01 बजे सुखेन्द्र के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

4. अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश

जिला पन्ना– आवेदक जगत सिंह पिता राम सिंह घोष उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम करहिया पोस्ट डडवरिया हाल भृत्य नगर पंचायत देवेन्द्र नगर द्वारा दिनांक 22.02.19 को थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट किया कि फरियादी का ए.टी.एम. कार्ड बदलकर दिनांक 18.01.19 से दिनांक 06.02.19 के मध्य उसके खाता से 05,90,000 रुपये निकाल लिये गये जिस पर थाना देवेन्द्र नगर में अप. क्रं.–40/19 धारा 420 भा.द.वि., 66 ग, घ आईटी. एक्ट के अंतर्गत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सूरज तिवारी के कब्जे से 60,000 रुपये नगद, एक स्विफ्ट डिजायर कार, अन्य व्यक्तियों के विभिन्न बैंकों के 04 नग ए.टी.एम. कार्ड, 04 मोबाइल सिम, 03 मोबाइल तथा आरोपी राहुल यादव के कब्जे से 40,000 रुपये नगद, 04 ए.टी.एम. कार्ड एवं 01 मोबाइल फोन जप्त किया गया।

जिला छतरपुर

1. अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती के आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 24.03.19 को थाना सिविल लाईन में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की ग्राम मोराहा में भगवतदीन पटेल, महेश पटेल अपने खेत के बीचो–बीच में अफीम के पौधे लगाये हुये हैं। सूचना की तस्दीक पर थाना में उपलब्ध बल सहित उक्त स्थान से 636 अफीम के पौधे वजन 15 किलो 525 ग्राम कुल कीमती दस लाख रुपये जप्त कर आरोपी 1. भगवतदीन तनय रामनाथ पटेल 2. महेश तनय रामनाथ पटेल के विरुद्ध थाना सिविल लाईन में अप.क्र. 157/19 धारा 8/15, 18 एनडीपीएस एक्ट पंजीबद्ध किया गया।

2. वृद्धा से ज्यादती कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा

थाना सिविल लाईन अप.क्र. 66/17 धारा 457, 376, 323 इजाफा 302 भादवि, विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम ने इस वारदात को बहुत ही जघन्य करार देते हुए आरोपी को फांसी की सजा दी है। दो साल पहले 22 फरवरी 17 को सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वृद्ध महिला किराए के घर में रहती थी। 21 फरवरी की रात को वह खाना खाकर अपने कमरे में सो गई। सुबह करीब 5 बजे उसने देखा कि महिला के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। वहां जाकर देखा तो वृद्धा के शरीर पर चोट के साथ खून बह रहा था। बेहोशी की हालत में महिला को जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना स्थल से एक चश्मा और शर्ट के बटन बरामद किए। 28 फरवरी को इलाज के दौरान पीड़िता की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

3. तीस हजार रुपये का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 27.07.2019 को फरियादी की रिपोर्ट पर थाना हिनौता में आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्र. 21/19 धारा 307.34 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के उपर शासन से 30000/- रुपये का ईनाम घोषित है। जिसे थाना चंदला, गोयरा, सरवई, जुझारनगर, बंषिया, की संयुक्त टीम द्वारा घेरा बंदी कर हंथोहा पुल केन नदी के पास दिनांक 28.7.19 को गिरफ्तार किया गया।

जिला टीकमगढ़

1. 25 हजार रुपये का इनामी फरारी आरोपी राजाराम पिता वंशी यादव निवासी मुहारा हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी जैसी अपराध घटित करने वाला आरोपी गिरफ्तार-थाना जतारा के अपराध क्र. 109/86 धारा 341, 294, 323 ताहि., अप.क्र. 4/88 धारा 379 ताहि., अप.क्र. 78/88 धारा 341, 294, 506बी ताहि., अप.क्र. 80/88 धारा 353, 294, 506बी, 186, 34 ताहि., अप.क्र. 206/90 धारा 147, 148, 149, 302 ताहि., अप.क्र. 37/91 धारा 147, 148, 149, 323, 451 ताहि., अप.क्र. 162/93 धारा 147, 148, 323, 451 ताहि., अप.क्र. 33/99 धारा 147, 148, 149, 450, 302 ताहि., अप.क्र. 22/06 धारा 342, 323, 34 ताहि., अप.क्र. 194/06 धारा 147, 148, 149, 307, 302 ताहि. का फरारी ईनामी वारंट राजाराम पिता बंशी यादव निवासी मुहारा थाना जतारा हाल शंकर कालोनी अशोकनगर जिला अशोकनगर को 20 वर्षों से फरार था।

2. डकैती की योजना बनाते हुए चार दुर्दान्त आरोपी गिरफ्तार

जिला टीकमगढ़- पुलिस अधीक्षक को प्राप्त सूचना पर थाना दिगौड़ा, जतारा एवं लिधौरा पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान चार दुर्दान्त अपराधियों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया है। जिन्होंने अपना नाम 1. प्रमोद यादव 2. मजबूत सिंह यादव पिता राजाराम यादव 3. जयहिन्द सिंह घोष पिता तिलकसिंह घोष 4. करन यादव पिता लक्ष्मी यादव का होना बताया। घटना स्थल से आरोपीगण के कब्जे से 04 कट्टे व 8 जिंदा कारतूस बरामद किये गये। घटना के संबंध में थाना दिगोड़ा पर अप.क्र. 212/19 धारा 399,402 भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 30.06.19 को अजेन्द्र यादव की हत्या करके आरोपी प्रमोद यादव अपने साथियों के साथ फरार हो गया था जिस पर से थाना दिगौड़ा में अप.क्र. 190/19 पंजीबद्ध हुआ था। आरोपी को पूर्व में थाना दिगोड़ा के अप.क्र.149/09 धारा 307, 364, 323, 294, 302, 201, 34 ताहि. में माननीय सत्र न्यायालय से हत्या के प्रकरण में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। जिस पर यह अभी माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पर है। इसके विरुद्ध हत्या एवं हत्या के प्रयासों सहित 16 मामले थाना लिधोरा और दिगोड़ा में पंजीबद्ध हैं।

3. अपहरण एवं अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी गिरफ्तार

थाना कोतवाली टीकमगढ़ के अप.क्र. 678/19 धारा 365 ताहि. इजाफा 302, 364, 201, 120बी, 34 ताहि. :- दिनांक 25.09.2019 को फरियादी प्रियंक खरे पिता सुभाष चन्द खरे उम्र 30 साल निवासी नर्सिंग कालोनी टीकमगढ़ ने रिपोर्ट किया कि इसका भाई मयंक उर्फ विनी खरे के गुम जाने की घटना पर गुम इंसान क्र. 61/19 दिनांक 25.09.19 कायम किया अनुसंधान दौरान आरोपी रहमान निवासी ईटायली थाना बम्हौरीकलां को दिनांक 04.10.2019 को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी इशाक खान पिता रहमान खान एवं अन्य को दिनांक 09.10.2019 को गिरफ्तार किया गया जो पूछताछ पर अपहृत मयंक खरे की हत्या कर शव को धसान नदी में फैकना बताया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर सफलता अर्जित की गई।

4. पिछले 08 वर्षों से फरार 25 हजार रुपये का अन्तर्राज्यीय ईनामी बदमाश मुकेश यादव गिरफ्तार – उक्त आरोपी निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिले और मध्यप्रदेश की सीमावर्ती राज्य उत्तरप्रदेश के कई जिलों में हत्या, हत्या प्रयास, लूट, फिरौती के लिए अपहरण, अवैध बसूली, जबरन कब्जा जैसे कई अपराधों में संलिप्त था, जिसे टीकमगढ़ पुलिस द्वारा जिला बांदा उ.प्र. से दिनांक 22.09.19 को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई।

रीवा जोन

वर्ष 2019 में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाहियों में तुलनात्मक वृद्धि हुई है। गत वर्ष 183 प्रकरणों की तुलना में इस वर्ष 380 प्रकरण दर्ज हुये हैं। जोन में तीन चरणों में कुल 101 क्विंटल गांजा का विनष्टीकरण किया गया है एवं छः चरणों में एनडीपीएस प्रकरणों में कुल 42 जप्तशुदा वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। फिरौती के लिए अपहरण के प्रकरणों में 60 प्रतिशत की कमी हुई है।

जिला रीवा

जिला रीवा में आरोपीगण दीपक सोनी एवं शक्ति गुप्ता को गिरफ्तार कर चैन स्नेचिंग के 11 प्रकरणों में सोने की चैन बरामद की गई है।

जिला सतना

1. एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाला गिरोह पकड़ा

एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया थाना नागौद द्वारा 16 कार्ड 03 बाईक सहित 07 आरोपी 1. चिंटू उर्फ दयानंद विश्वकर्मा पुत्र रामचरण उम्र 26 साल निवासी पाठक मार्केट सलेहा रोड देवेन्द्र नगर 2. रामप्यारे चौधरी उर्फ छंगा पुत्र कल्ला उम्र 29 निवासी नुनगरा 3. अनुज पाठक पुत्र राजेन्द्र उम्र 23 साल निवासी चादनी चौक बमरी देवेन्द्र नगर 4. सतेन्द्र गौतम पुत्र प्रभुदयाल उम्र 26 निवासी बडागांव देवेन्द्र नगर 5. सोमकमल सोनी पुत्र वंशीधर उम्र 24 निवासी बड़ागांव 6. भोलू उर्फ अनिरुद्ध सिहं पुत्र सूरज पाल उम्र 29 निवासी तलैया देवेन्द्र नगर 7. तूफान खान उर्फ रिंकू पुत्र हुसैन उम्र 26 साल निवासी तलैया मोहल्ला देवेन्द्र नगर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

2. ''सतना पुलिस द्वारा 60 लाख रुपये की नशीली कफ सिरप बरामद''

थाना कोलगवां पुलिस टीम द्वारा जानकीपुरम बांस नाका टिकुरिया टोला में दिनांक 10.07.19 को छापा मार कार्यवाही करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक आरोपी संजय ताम्रकार के किराए के गोदाम में अवैध रूप से रखी हुई करीब 60 लाख रुपये की 419 पेटी कफ सिरप एवं नशीले कैप्सूल जप्त करने की प्रशंसनीय कार्यवाही की गई। घटना के संबंध में थाना कोलगवां में अप.क्र. 847/10 धारा 5/13 म.प्र. ड्रग्स कंट्रोल एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध होकर विवेचनाधीन है।

3. मासूम जुड़वां प्रियांश, श्रेयांश के हत्यारे गिरफ्तार''

जिला सतना – श्री ब्रजेश रावत सीतापुर के 02 जुड़वा पुत्र प्रियांश एवं श्रेयांश को दि. 12.02.19 को दोपहर 12:30 बजे स्कूल कैम्पस से दो बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया व फिरौती हेतु दो करोड़ रुपये की मांग फोन द्वारा की गई। पतारसी पर आरोपी रोहित द्विवेदी निवासी–भवुआ थाना–बबेरू जिला–बांदा को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। जिसने अपने साथियों पदम शुक्ला एवं अन्य चार साथियों के साथ उक्त बालकों को फिरौती के लिये अपहरण कर पहचान उजागर होने के डर से हत्या कर दी गई थी तथा मासूमों के पिता से 20 लाख रुपये भी ऐंठ लिये थे। आरोपी रामकेश यादव अपहृत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को तत्परतापूर्वक गिरफ्तार कर फिरौती हेतु दी गई राशि 20 लाख रुपये बरामद कर ली गई है। प्रकरण में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

4. सतना मैहर : ''मानव तस्कर गैंग'' पकड़ाया

दिनांक 05.03.2019 को श्री शिवलाल साकेत निवासी मिसिरगंवा थाना मउगंज जिला रीवा की लड़की गुम हो गई थी। घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुये पुलिस द्वारा अपहरण का प्रकरण दर्ज कर मैहर कस्बे में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चैक की गई जिसमें अपहृत बालिका एवं संदिग्ध व्यक्ति का चेहरा सामने आने पर पैम्प्लेट तैयार करवाकर अनेक स्थानों पर चस्पा कराये गये एवं वितरण कराया गया।

दिनांक 26.03.2019 को थाना प्रभारी श्री शिवपूजन सिंह को मुखबिर सूचना मिलने पर रायपुर कर्चुलियान में दबिश देकर अपहृत बालिका को आरोपी रानी तिवारी के कब्जे से दस्तयाब किया गया।

5. सतना में अंधे कत्ल का खुलासा

दिनांक 04.07.2019 थाना धारकुण्डी में सूचनाकर्ता संजीव शुक्ला की सूचना पर मर्ग क्र. 09/19 धारा 174 जाफौ कायम किया जाकर जांच की गई। मर्ग जाँच पश्चात् अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी अज्ञात महिला की मृत्यु कर एवं साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को बोरी में भरकर कुएं में फेंकना पाये जाने से थाना धारकुण्डी में दिनांक 13.07.2019 को अपराध क्र. 79/19 धारा 302, 201 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर दिनांक 14.07.2019 को रामपाल साकेत को दस्तयाब कर पूछताछ की गई संदेही रामपाल साकेत द्वारा जुर्म करना स्वीकार किया जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया।

6. अंधे कत्ल

अंधी हत्या के 12 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। एक प्रकरण अनुसंधान में लंबित है एवं थाना धार कुण्डी के 10 वर्ष पूर्व पुरानी अंधी हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी गिर. किए जाकर न्यायालय प्रस्तुत किये गये हैं। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

7. सम्पत्ति संबंधी अपराध

संपत्ति संबंधी अपराधों में डकैती के 04 प्रकरणों में से चारों प्रकरणों में आरोपी गिरफ्तार किए गये हैं। लूट में 39 प्रकरणों में से 26 प्रकरणों में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गृहभेदन में 250 प्रकरणों में 87 प्रकरणों मे गिरफ्तार हुई। साधारण चोरी के 164 प्रकरणों में 60 प्रकरणों में गिरफ्तार हुई है। एवं वाहन चोरी के 305 प्रकरणों में से 78 में गिरफ्तारी हुई है। बरामदगी का प्रतिशत 67 रहा है।

8. वाहन लूट/चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा

दिनांक 03.05.2019 थाना कोलगवां पुलिस द्वारा अपराध क्र. 618/19 धारा 392, 365, 34 भारतीय दण्ड विधान में पकड़े जाने पर आरोपी मोहम्मद अलील, वसीम खान, रफीक खान के साथ मिलकर वाहन चोरी व लूट की घटनाएं घटित करना बताया। विवेचना के दौरान आरोपियों के कब्जे से चोरी एवं लूट की 10 नग मोटर साइकिल, एक नग आटो तथा 07 नग मोबाइल फोन कुल कीमत 8 लाख 50 हजार लगभग का मश्रुका बरामद किया गया। गांजा/ड्रग अधिनियम गांजा के 74 प्रकरणों में अवैध तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे 02 क्विंटल 83 किलो 510 ग्राम गांजा कीमती 38,10,530/- रुपये का जप्त कर कार्यवाही की गई है। गांजा नष्टीकरण की कार्यवाही के साथ-साथ जप्त वाहनों की नीलामी की कार्यवाही भी कराई गई है। ड्रग अधिनियम के 35 प्रकरणों में आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से 7711 शीशी नशीली कफ सिरप कुल कीमत 9334112/- रुपये जप्त कर कार्यवाही की गई है।

9. अपहरण

अपहरण के वर्ष 2019 में 356 प्रकरण कायम किये जाकर अनुसंधान में लिए गए अनुसंधान दौरान वर्ष 2019 के प्रकरणों में की गई है। कुल दस्तयाबी वर्ष 2019 में 471 प्रकरणों में की गई है। प्रदेश में जिला सतना की दस्तयाबी दूसरे नंबर पर रही है।

10. थाना सोहागी दिनांक 13.11.2019 को चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर एक कार रोकी गई और तलाशी में वाहन में अवैध कोरेक्स की 1375 बोतल सीरप कीमत 1,58,355 रुपये व 20 अदद जिंदा कारतूस वाहन में पाये जाने पर मौके पर वाहन को मय कोरेक्स के जप्त कर अरोपी 1. बृजेश कुमार पटेल 2. महेश उर्फ तनरीश तिवारी को गिरफ्तार कर थाने पर अपराध क्र. 270/19 धारा 8, 20, 22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 औषधी नियंत्रण अधि. एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध किया।

जिला सीधी

1. साइबर सेल सीधी द्वारा गुमे 241 फोन में से 189 मोबाइलों को बरामद किये गये, जिनकी कीमत कुल 26,48,534 रुपये है। पुलिस द्वारा दिनांक 14.08.19 को संबंधित रिपोर्ट कर्ताओं को पुलिस अधीक्षक सभागार में बुलाया गया एवं मोबाइल सेट की पहचान कराने के बाद वापस कर दिया गया।

2. सीधी में एक बड़े चैन–स्नेचिंग गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपीगणों अभिषेक पाण्डेय, कृष्णा साकेत एवं अजीत साकेत को गिरफ्तार कर कुल 08 प्रकरणों में चैन बरामद की गई है।

शहडोल जोन

शहडोल जोन द्वारा वांछित अपराधियों का ऑनलाईन डाटाबेस तैयार

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पु.मु. मध्यप्रदेश द्वारा सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य के स्थायी/उदघोषित/फरार/ईनामी अपराधियों की जानकारी थाना स्तर पर अपलोड करने हेतु ''क्रिमिनल इंफार्मेशन मॉडयूल'' विकसित किया गया है, जिससे वांछित अपराधियों की जानकारी प्रदेश ही नहीं देश के किसी भी थाने से साझा की जा सकती है। इस कार्य में श्री एस.पी. सिंह, पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन म.प्र. द्वारा विशेष रुचि लेते हुए अपने जोन के जिलों के सभी थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये डाटा एन्ट्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर मॉडयूल के अनुसार वांछित अपराधियों का डाटा एन्ट्री कार्य प्रारंभ कराया गया, डाटा बेस में 15 जुलाई 2019 तक शहडोल जोन के चारो जिलों शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिण्डोरी में 90 प्रतिशत वांछित अपराधियों के की निम्नानुसार सूचनाएं दर्ज की जा चुकी है।

क्रं	जिला	कुल वांछित अपराधी/स्थायी वांरट	कुल ऑनलाइन फीड वांछित अपराधियों/स्थाययी वारंट
1	शहडोल	693	586
2	उमरिया	164	131
3	अनूपपुर	499	477
4	डिंडोरी	200	200
	योग	1556	1394

जिला शहडोल

रेप और हत्या के दोषी को दोहरे मृत्युदंड की सजा

थाना अमलाई अप.क्र. 217/15 धारा 302, 201, 376 भादवि, 5/6 पाक्सो एक्ट 11 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को शहडोल जिले की एक स्थानीय अदालत ने दोहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि रामनाथ को तब तक फांसी पर लटकाकर रखा जाए जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। प्रकरण में छठी कक्षा की छात्रा अचानक घर से लापता हो गई थी। बाद में पास में ही स्थित एक सुनसान घर में उसका शव भूसे के ढेर में दबा हुआ मिला। पुलिस को जांच में पता चला कि आरोपी रामनाथ को उस घर में आते–जाते देखा गया था। जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

होशंगाबाद जोन

जिला होशंगाबाद

1. ट्रेन से गिरा युवक, जान बचाने उसे कंधे पर उठाकर डेढ़ किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ा सिपाही

थाना सिवनी मालवा द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 सुबह 9 बजे बादलपुर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से गिरे व्यक्ति (शिवशंकर सरोज) को डायल – 100 के सिपाही पूनम बिल्लोर और पायलेट राहुल साकल्ले द्वारा अपने कंधे पर उठाकर डेढ़ किलोमीटर ट्रैक पर दौड़ कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवनी मालवा पहुँचाकर उसकी जान बचाई।

2. डॉक्टर द्वारा सर्जिकल ब्लेड से हत्या, पुलिस की सजगता से रंगे हाथों पकड़ाया

थाना कोतवाली दिनांक 5.02.2019 आनंद नगर क्षेत्र में रहने वाले डॉ. सुनील मंत्री जो इटारसी के डी.एस.पी.एम अस्पताल में पदस्थ थे, के द्वारा अपनी कार के ड्रायवर वीरू उर्फ वीरेन्द्र पचौरी को बेहोश किया, उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी। बाद में अपने इस जघन्य कृत्य को छुपाने के लिये सर्जिकल औजारों से मृतक के शरीर के कई टुकड़े कर दिये तथा सबूतों को नष्ट करने की नियत से शव के टुकड़ों को गलाने के लिये अपने घर के बाथरूम में अलग–अलग एसिड से भरे ड्रमों में डालकर रखा हुआ था पड़ोसियों को एसिड की तेज गंध आने पर तथा डॉक्टर की गतिविधियों पर संदेह होने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल घर व उसमें स्थित क्लीनिक की तलाशी लेने पर कई ड्रमों में भरे एसिड पदार्थ व उसमें मानव शरीर के कई अंग मिले साथ ही आरी, हेक्सा ब्लेड इत्यादि मिले। पुलिस द्वारा आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त सर्जिकल औजार, एसिड इत्यादि जप्त कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

3. थाना कोतवाली अपराध क्रं. 183/2019,धारा 302, 34 भा.दं.वि. (24 घण्टे में सनसनीखेज हत्या के आरोपी गिरफ्तार) दिनांक 01.04.2019 की रात्रि करीब 10 – 10.30 बजे के मध्य मृतक छोटे उर्फ ओमप्रकाश आ. सुखलाल यादव उम्र 35 वर्ष निवासी कालीटोल रायसेन की चाकू से मारपीट कर हत्या किये जाने संबंधी फरियादी दीपक आ. टीकाराम मालवीय निवासी वार्ड नं. 03 मढ़ईपुरा रायसेन की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रं. 183/2019, धारा 302, 34 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया था।

जिला रायसेन

1. पेट्रोल पम्प पर चोरी की घटना का पर्दाफाश

दिनांक 14.07.2019 को फरि. दिनेश पिता हुकुमचंद गंगराडे, भारत पेट्रोल पम्प सुल्तानपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई, कि, वह भारत पम्प पर मैनेजर के पद पर नौकरी करता है। दिनांक 13.07.2019 की रात्रि करीब 10.00 बजे बिक्री का कैश 7,96,331/– रुपये व दिनांक 12.07.2019 की बिक्री का कैश 2,88,000/– रुपये कुल 10,84,331/– रुपये दो बैग में मुख्य सेल ऑफिस में रखी लोहे की अलमारी में रखकर स्टॉफ के लड़कों के साथ शटर बंदकर ताला लगाकर पम्प से लगे भूरा ढाबा पर खाना खाने चला गया था। पम्प की लाइटे बंद कर दी थी, खाना खाकर करीब 11.00 बजे पंप पर ऑफिस में सोने वापस आये तो देखा कि, शटर का ताला टूटा पड़ा था और करीब डेढ़ फिट शटर खुला मिला, स्टॉफ के राजू यादव, राजेन्द्र यादव, भूरा गौर ने अंदर जाकर देखा तो अलमारी के गेट खुले थे, और जिन बैगों में रुपये रखे थे, नहीं मिले। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सुल्तानपुर में अपराध क्रं. 138/2019, धारा 457, 380 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।

प्रकरण में आरोपीगण क्रमशः ठाकुर प्रसाद पिता बद्रीप्रसाद परमार, रोहित पिता मुकेश वर्मा उम्र 25 वर्ष, 3.संदीप उर्फ बद्री पिता मुकेश वर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी रफीकगंज जिला सीहोर को दिनांक 15.07.2019 को गिरफ्तार कर उनसें कुल 9,41,000/– रुपये बरामद किये गये हैं।

2. अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना सुल्तानगंज द्वारा आरोपी रामराज पिता कुंवर सिंह दांगी निवासी ग्राम पिपलिया विचैली को पुरषोत्तम पिता जगने अनु. जाति उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पिपलिया विचैली की हत्या के प्रयास हेतु न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला हरदा

12 लाख 17 हजार की चोरी का किया 24 घंटे में खुलासा

थाना हरदा के अपराध क्रमांक 80/19 धारा 457,380 भादवि दिनाँक 18.02.19 को फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक–16.02.19 को शाम 05:30 बजे फीस काउंटर कार्यालय एवं कालेज बंद कर चले गये थे। दिनांक–18.02.19 को कॉलेज जाकर देखने पर फीस काउंटर कक्ष के दरवाजे का ताला एवं अलमारी के लॉक कुंदे टूटे हुये थे तथा उसमें रखे 12,17,000 रुपये नगदी नहीं मिली, रिपोर्ट पर उक्त अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीयन के 24 घण्टे के अंदर आरोपी लोकेश गौर, विकाश, विष्णु प्रसाद एवं करण को गिरफ्तार कर चोरी गये मशरूका 12 लाख 17 हजार रुपये जप्त किया गया।

रेल जोन

शासकीय रेल पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

जीआरपी मध्यप्रदेश में एक दिन में रेल में यात्रा करने वाले मुसाफिरों की औसतन संख्या, 347000 है। मध्यप्रदेश में 4948 किलोमीटर रेल्वे ट्रैक है जिससे होकर अन्य राज्यों के लिये कुल 752 ट्रेने निकलती हैं। जीआरपी में मुख्यत: चोरी एवं जहरखुरानी के अपराध घटित होते हैं। घटना स्थल, फरियादी आरोपी, साक्षी सभी चलायमान होते हैं। ऐसी स्थिति में अपराध घटित होने पर अनुसंधान अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीआरपी द्वारा लगातार अपराधियों की धरपकड़ भी की जा रही है।

1. थाना जीआरपी आमला के अप.क्र. 10/19 धारा 363 इजाफा धारा 376 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 01.03.2019 को अपहृत नाबालिग बालिका निवासी चिखलीखुर्द थाना मुलताई जिला बैतूल को दस्तयाब कर इसी गांव के आरोपी आशीष पिता श्रीराम महोबे उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर मात्र 36 दिवस में विवेचना पूर्ण कर चालान प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार अप.क्र. 122/19 धारा 366, 342, 343, 376, 376(2)(एन) भादवि 3–ए/4, 5–एम/6/7/8 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 24.08.2019 को सात वर्षीय नाबालिग बालिका निवासी कलमुण्डी. थाना उमरेठ जिला छिन्दवाड़ा को आरोपी राजा उर्फ किशोर प्रजापति उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम मोमिनपुरा थाना दमुआ के कब्जे से दस्तयाब कर उसे गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर मात्र 20 दिवस में चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
2. थाना जीआरपी खण्डवा के अप.क्र. 95/19 धारा 380 भादवि में चलती ट्रेन नंबर 11094 महानगरी एक्स. में यात्री मेहुल पटेल निवासी बापू नगर अहमदाबाद की बर्थ के नीचे रखे बैग जिनमें तीन करोड़ रुपये नगदी रखे थे, यात्री को नकली पुलिस वाले बनकर बातों में उलझाकर अज्ञात 04 व्यक्तियों द्वारा चुराकर ले गये। विवेचना में आरोपी संजय कुमार जाटव, देवेश कुन्दानानी, अक्षय कुंदनानी, नारायण आहूजा, रोहित उर्फ मोनू सुखबानी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मशरूका 2,60,90,000/– रुपये का बरामद कर जप्त करने में सफलता प्राप्त, की। इसी प्रकार दिनांक 27.05.2019 को यात्री डॉ. श्रीमती स्मिता करजगांवकर निवासी उज्जैन का चलती ट्रेन त्रिशताब्दी एक्सप्रेस में से उज्जैन से नागपुर यात्रा के दौरान लेडीज पर्स जिसमें सोने के बहुमूल्य जेवरात एवं नगदी रुपये कुल 9,00,000/– रुपये का सामान चोरी की गई, रिपोर्ट पर थाना जीआरपी भोपाल में अप.क्र. 388/19 धारा 379 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना की गई, जिसमें आरोपी 1. मोह. आमिर 2. मोह. फैजान 3. मोह. इमरान 4. मोह. आवेद सभी निवासी भोपाल को गिरफ्तार कर उक्त शत प्रतिशत मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई एवं थाना जीआरपी गाडरवारा में सूचना पर नकली प्रधान आरक्षक शिवम पिता देवीसिंह बडकुर उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम डूमर थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद को नकली ड्रेस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की एवं उसके कब्जे से थाना गाडरवारा के तीन चोरी के अपराधों का मश्रुका 03 लैपटॉप, 11 नग मोबाइल, 05 ट्रॉली बेग मय कपड़ो के कीमती 5,01,000 रुपये जप्त करने में सफलता प्राप्त की। थाना जीआरपी उज्जैन के अप.क्र. 169/18 धारा 380 भादवि में दिनांक 08.07.2018

को यात्री संजय निवासी गोरखपुर उ.प्र. को अवन्तिका एक्स. में सूरत से उज्जैन यात्रा के दौरान अज्ञात बदमाश द्वारा 12 बोर लायसेंसी पिस्टल मय 10 राउण्ड व मैगजीन एवं नगदी 1,90,000/– रुपये चोरी गया था, जो आरोपी हरमिंदर पिता सुरेन्द्र उम्र 35 साल निवासी बिजनौर उ.प्र. को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त संपूर्ण मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की। इसी प्रकार पुरी एक्सप्रेस से दिनांक 16.03.2019 को यात्री डॉ. दीपक पिता वासुदेव निवासी भुवनेश्वर उड़ीसा की पत्नी का लेडीज पर्स जिसमें ज्वेलरी, मोबाइल एवं नगदी कुल कीमत 12,00,000/– रुपये का यात्रा के दौरान चोरी हो गया था, जो आरोपी राजू पिता प्रयाग मिस्त्री उम्र 54 साल निवासी पटना बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मशरूका 11,92,000/– रुपये जप्त करने में सफलता प्राप्त की। थाना जीआरपी रतलाम के अप.क्र. 79/18 धारा 380, 201, 120–बी, 411 भादवि में यात्री अरूण कुमार निवासी सूरत द्वारा उदयपुर से सूरत जयपुर–मुम्बई एक्स. में यात्रा के दौरान एक बेग जिसमें ज्वेलरी, मोबाइल व अन्य सामान कीमती 6,24,000/– अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था जो आरोपीगण 1. नइेम उर्फ नाजिम 2. रघु खोसला 3.अजीत 4. सलमान 5. अञ्जू 6. बसेडी उर्फ डेविड निवासी गाजियाबाद उ.प्र. को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मशरूका कीमती 5,39,200/– रुपये जप्त किया गया एवं प्रकरण क्र. 99/18 धारा 380,201,120 बी भादवि में बांद्रा–हरिद्वार एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान यात्री श्रीमती तारा देवी निवासी वेस्ट मुम्बई का एक बैग जिसमें रखी ज्वेलरी, मोबाइल व अन्य सामान कीमती 4,83,000/– रुपये का अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था, जो उपरोक्त आरोपीगण के कब्जे से ही संपूर्ण मशरूका जप्त किया गया। इसी प्रकार जीआरपी सामगढ़ के अप.क्र.77/18 धारा 380 भादवि में यात्री सुनीत पिता पुखराजमल निवासी कोटा जो मुम्बई–जयपुर एक्स. में मुम्बई से कोटा आ रहे थे का सूटकेस जिसमें ज्वेलरी व अन्य सामान कीमती 10 लाख रुपये का अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गया था विवेचना में आरोपी विपुल पिता भंवरलाल जैन उम्र 35 साल निवासी बलसाड गुजरात को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से संपूर्ण 10 लाख रुपये का मशरूका जप्त करने में सफलता प्राप्त की। उक्त सभी प्रकरणों में चालान न्यायालय प्रस्तुत किये गये हैं।

3. लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर रेल पुलिस इकाई जबलपुर में गठित एसएसटी टीम द्वारा अवैध राशि के परिवहन के 25 प्रकरणों में 1,40,77,513/– रुपये की राशि पकड़ी गयी। पकड़ी गयी राशि के संबंध में नियमानुसार चुनाव आयोग द्वारा गठित एसएसटी टीम, आयकर विभाग, अनुविभागीय अधिकारी को इसकी सूचना भिजवायी गई।

यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये जीआरपी मध्यप्रदेश द्वारा की जा रही कार्यवाही

जीआरपी मध्यप्रदेश में किसी भी ट्रेन में अपराधिक घटना की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थानों से क्यूआईआरटी टीम को भेजकर पीड़ित व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाती है। क्यूआईआरटी व्यवस्था से यात्रियों को अपनी यात्रा बाधित नहीं करनी पड़ती तथा घटनास्थल से संबंधित सभी साक्ष्य नष्ट होने के पूर्व अनुसंधान में एकत्रित कर लिये जाते हैं।

अपराधों की रोकथाम तथा पतारसी हेतु राज्यस्तयरीय जीआरपी रिसपोन्स मोनिटरिंग सेन्टर स्थाापित किया गया है। यह एक वृहद व्यवस्था है जिसके अंतर्गत स्टेट कंट्रोलरूम, स्टेट सायबर सेल, व्हीएलआर डेस्क, स्टेट क्राईम इन्वेस्टीगेशन प्लान सेल, 5 इन्टरस्टेट इन्वेस्टीगेशन यूनिट, इन्टरसैप्सन यूनिट तथा सीसीटीवी फुटेज/वीडियोग्राफी एनालिसिस सेल कार्यरत है। यात्रियों की सुरक्षा तथा सुविधा के लिये जीआरपी हेल्प ऐप लॉन्च की गयी है। जिसके माध्यम से यात्री चलती ट्रेन में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया जीआरपी हेल्प लाईन 1512 जीआरपी एम.पी. फेसबुक पेज जीआरपी एम.पी. व्हाट्सऐप नंबर 7049150010 तथा ट्विटर एकाउन्ट जीआरपी एम.पी. के माध्यम से प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही हेतु क्यू.आई.आर.टी. टीम भेजी जाती है। रेल्वे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के अतिरिक्त आने–जाने वाली ट्रेनों की वीडियोग्राफी करायी जा रही है, आउटरों पर एम्बुश प्वाइन्ट कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाकर चढ़ने उतरने वालों पर सतत् नजर रखी जा रही है। रेल्वे स्टेशनों एवं ट्रेनों में संदिग्धों के विरुद्ध सतत् कार्यवाही की जाकर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखा जा रहा है। महिलाओं पर घटित अपराधों की रोकथाम हेतु प्लेटफॉर्म, टिकिट खिड़की पर महिला पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। तथा महिला कोच में समय–2 पर अभियान चलाया जाकर पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ की जाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाती है। पुराने अपराधियों की प्रोफाईल तैयार कराई गई है, जिसमें बदमाशों के फोटो एवं रिकॉर्ड जिला पुलिस के थानों तथा जीआरपी के थानों में भेजा जाकर निगरानी कराकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

शासकीय रेल पुलिस खंडवा की गिरफ्त में आये शातिर चोर

जीआरपी खंडवा– दिनांक 13.03.19 को आरोपीयों 1. मोनू उर्फ रोहित सुखवानी, 2. संजय कुमार जाटव, 3. अक्षय कुन्दंनानी, 4. नारायण आहुजा एवं 5. देवेश कुन्दनानी ने महानगरी एक्स. के एस–10 एवं एस–11 में आरोपियों ने पुलिस वर्दी धारण कर चैकिंग के नाम पर फरि. विकास यादव पिता पन्नालाल यादव एवं मेहुल पटेल पिता कान्तीलाल पटेल को बातों में उलझाये रखकर बर्थ के नीचे रखे बैगों में रखी रकम चोरी कर ले गये। जिसमें जीआरपी थाना खण्डवा ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए सायबर सेल भोपाल से प्राप्त सीडीआर के आधार पर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर, उनसे चोरी की रकम 2,65,20,500 (दो करोड़ पैंसठ लाख बीस हजार पांच सौ) रुपये जप्त करने में सफलता प्राप्त की।

''तरीका ए वारदात'' से पकड़ाया मंकीमैन गिरोह

भोपाल जीआरपी ने एक बार फिर मंकी मैन गिरोह के चार शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी टीआई हेमन्त श्रीवास्तव के मुताबिक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 19 साल का मोहम्मद आमिर उर्फ मंकी मैन बेहद शातिर है। इसे जनवरी 2019 में भी जीआरपी ने चोरी के नौ मोबाइल फोन के साथ पकड़ा था। पूछताछ में उसने अपने ''तरीका ए वारदात'' का ब्यौरा पुलिस के सामने रखा था। वह चलती ट्रेन में चढ़ जाता है, फिर खिड़की की रॉड पकड़कर किसी महिला या अन्य यात्रियों का पर्स व मोबाइल फोन चुरा लेता है।

थाना अजाक, बुरहानपुर को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के सर्वश्रेष्ठ तीन थानों में चयनित किया गया है।

पुलिस थाना कोतवाली, गुना एवं थाना अजाक गुना द्वारा ISO प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया।

वर्ष 2019 में ''चिन्हित'' अपराध योजना में मध्यप्रदेश पुलिस की ऐतिहासिक सफलता –

- वर्ष 2008 से जघन्य/ सनसनीखेज अपराधों को ''चिन्हित'' करने की योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2019 में पहली बार किसी भी वर्ष में सर्वाधिक 966 गंभीर अपराधों को ''चिन्हित'' श्रेणी में लिया गया है, जो निश्चित ही मध्यप्रदेश पुलिस की ऐतिहासिक सफलता है।
- कुख्यात एवं दुर्दान्त आरोपियों को और अधिक संख्या में दण्डित कराने हेतु वर्ष 2020 से प्रदेश के जिलों में जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को चिन्हित करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- जिला श्योपुर, निवाड़ी, हरदा, उमरिया, डिण्ड़ौरी, रेल भोपाल, रेल जबलपुर एवं रेल इंदौर में वार्षिक लक्ष्य 15 निर्धारित किया गया है।
- जिला इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रीवा एवं सतना में वार्षिक लक्ष्य 50 निर्धारित किया गया है।
- क्रमांक–01 एवं 02 में उल्लेखित जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी जिलों में वार्षिक लक्ष्य 25 निर्धारित किया गया है।

जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों को चिन्हित करने की योजना की समय–समय पर प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की जाती रही है। जिला कटनी थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 518/18 धारा 376(2)आई, 323 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में दिनांक 27.07.2018 को मान. न्यायालय द्वारा मात्र 05 दिवस में आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किये जाने पर देश के माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा भी प्रशंसा की गई थी। साथ ही FICCI स्मार्ट पुलिसिंग अवार्डस 2019 में भी ''चिन्हित अपराध योजना'' को नामांकित किया जाने पर नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया है।

गत 05 वर्षो में (2015 से 2019 तक) चिन्हित प्रकरणों की उपलब्धियाँ

वर्ष	चिन्हित प्रकरणों की संख्या	मृत्यु दण्ड से दण्डित प्रकरणों की संख्या	मृत्यु दण्ड से दण्डित आरोपियों की संख्या	आजीवन कारावास से दण्डित प्रकरणों की संख्या	आजीवन कारावास से दण्डित आरोपियों की संख्या	सजायाबी का प्रतिशत
2019	966	11	11	314	564	66%
2018	932	21	23	292	584	71%
2017	858	4	5	214	379	70%
2016	746	4	4	133	281	67%
2015	620	6	10	145	239	72%

चिन्हित प्रकरणों की वर्षवार संख्या

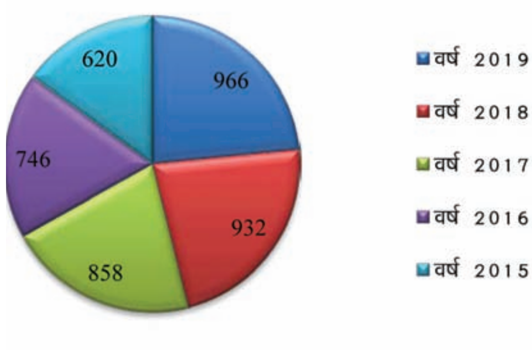

चिन्हित निराकृत प्रकरण वर्ष 2019

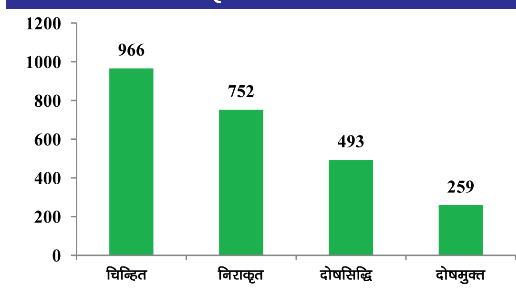

चिन्हित दोषसिद्ध प्रकरण वर्ष 2019

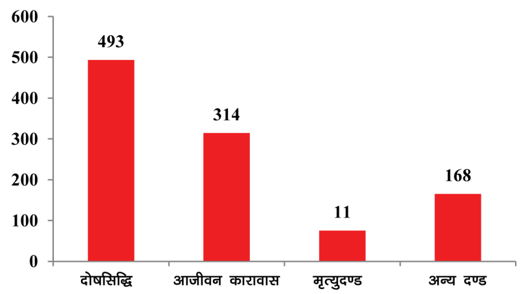

चिन्हित प्रकरण वर्ष 2020 का लक्ष्य

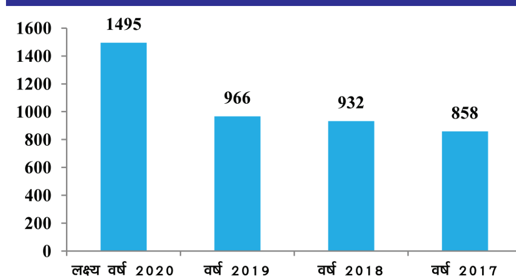

वर्ष 2019 में डाटा सिक्योरिटी काउन्सिल अवॉर्ड विजेता निरीक्षक अभिषेक सोनेकर

विवेचक जिनके द्वारा की गई विवेचना में आरोपियों को मृत्युदण्ड दिया गया है।

आलोक श्रीवास्तव
निरीक्षक

प्रवीण कुमार
कुमरे, निरीक्षक

सज्जन सिंह
परिहार, निरीक्षक

संजीव चोकसे
निरीक्षक

गिरवर सिंह
निरीक्षक

मिर्जा आसिफ
बेग, निरीक्षक

राघुवेन्द्र सिंह
तोमर, निरीक्षक

सुशील शर्मा
निरीक्षक

अखिलेश पुरी
गोस्वामी, निरीक्षक

अरविन्द कुजुर
निरीक्षक

आलोक सिंह
भदौरिया, निरीक्षक

निर्माणाधीन RFSL,अनेक्सी

प्रधान संपादक : श्री डी. श्रीनिवास वर्मा, पु.म.नि., अ.अ.वि.
संपादक : श्रीमती श्रद्धा तिवारी, स.म.नि., अ.अ.वि.
सह-संपादक : श्रीमती शहनाज खान एवं श्री मुख्तार कुरैशी, निरीक्षक, अ.अ.वि.
साज-सज्जा : दीपक जाटव एवं उपेन्द्र नरवरिया, आरक्षक, अ.अ.वि.